राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ३७वां दिवस [संख्या २०

मंगलवार, १८ मार्च १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न-संख्या ६१५

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

स्टाम्प वेन्डर्स

६१६. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में किन-किन जिलों में स्टाम्प वैन्डरों को तनख्वाह दी जाती है और किन-किन जिलों में कमीशन दिया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(२) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में स्टाम्प वेन्डरों को केवल कमीशन ही दिया जाता है?

(३) क्या सरकार राजस्थान में तमाम स्टाम्प वेन्डरों में समानता लाने के लिये एक किस्म की स्केल निर्धारित करने को तैयार है? यदि हां, तो, कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) :

(१) केवल जयपुर और बीकानेर शहरों में वैज्ञानिक स्टाम्प विक्रेता हैं। अन्य सब जगह कमीशन पर स्टाम्प बेचे जाते हैं।

(२) जी हां।

(३) सरकार स्टाम्प विक्रय की प्रणाली में समानता लाने की आवश्यकता नहीं समझती।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

तहसीलदार दूनी के दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया अहिंसात्मक आन्दोलन

६१७. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सच है कि ता० १९-८-५६ को दूनी (जिला टौंक) में स्थानीय तहसीलदार के दुर्व्यवहार के विरोध में वहां के लोगों द्वारा अहिंसात्मक आन्दोलन किया गया था?

(२) यदि हां, तो इस आन्दोलन के सिलसिले में कितनी गिरफ्तारियां हुई थीं? गिरफ्तारियों के पहले स्थिति को बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की थी?

Page No.2

(डॉ० चन्द्रकला)

(३) क्या उक्त तहसीलदार के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) जी नहीं।

दूनी में कुछ लोगों ने तहसीलदार के खिलाफ आन्दोलन किया था जो अहिंसात्मक नहीं था।

(२) आन्दोलन से शांति-भंग होने का अन्देशा हो गया था, अतः पुलिस को मजबूरन ७ गिरफ्तारियां करनी पड़ीं।

एस. डी. ओ. मालपुरा को तुरन्त जांच करने के आदेश दिये गये थे। एस. डी. ओ. ने शिकायत करने वालों को मौके पर पहुंच कर बुलाया, मगर कोई सहादत लेकर उपस्थित नहीं हुए तथा जांच समाप्त होने से पहले ही आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया।

(३) जांच के परिणामस्वरूप तहसीलदार निर्दोष पाया गया। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सत्य है कि तहसीलदार के खिलाफ कलेक्टर साहब जांच के लिये गये थे, तो राजेन्द्रलाल नामक एक क्लर्क ने उनकी सारी कार्यवाही उनके सामने कही थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जवाब दे दिया कि जांच के परिणाम स्वरूप तहसीलदार निर्दोष पाया गया।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि राजेन्द्रलाल का इसी घटना के फलस्वरूप अलवर की तरफ ट्रान्स्फर कर दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : राजेन्द्रलाल का इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि वहां एक ६०-६५ वर्ष के बुड्ढे व्यक्ति को जो कि घर से बाहर भी नहीं निकल सकता था इस आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह व्यक्ति ६०-६५ वर्ष की उम्र का जरूर होगा, पर यह बात झूठ है कि वह घर से बाहर नहीं निकल सकता था और चलने फिरने लायक नहीं था।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार का ऐसा मानना है कि वह अशांति की कार्यवाहियों में शामिल था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के मानने की बात नहीं, एस. डी. ओ. ने जांच करने के बाद ऑर्डर जारी किया।

प्रश्न संख्या ६१८

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

भ्रष्टाचार निरोध

६१६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के ध्यान में है कि अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कानून के अनुसार समय पर काम नहीं करने के कारण जनसाधारण को असुविधा हो रही है तथा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ?

Page No.3

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

(२) यदि हां, तो क्या सरकार इसके संबंध में कोई ठोस कदम उठाने की सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया):

(१) किसी हद तक ऐसा होना संभव हो सकता है ।

(२) नियमानुसार कार्य न करने पर तथा किसी बदनियत से कागजों में देरी करने पर ऐसे कर्मचारियों को नियमों में दण्ड देने की समुचित व्यवस्था है ।

प्रश्न संख्या ६२०

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द ।

प्रारम्भिक पाठशाला, जालौर

६२१. **लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या प्राइमरी स्कूल, जालोर का भवन किराये पर लिया हुआ है ?

(२ यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि मकान मालिक ने उक्त मकान को खाली करने हेतु गवर्नमेन्ट को नोटिस दे दिया है ?

(३) यदि हां, तो सरकार भवन का क्या प्रबन्ध कर रही है और वहां पर कब तक भवन का निर्माण कर देगी !

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) नया मकान बनाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है । इसमें जनता को अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिये ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अगर जनता सहयोग नहीं दे सकती तो सरकार क्या विचार रखती है ?.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अर्ज किया कि यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या उस मकान को खाली करने का जुडिशियल कोर्ट में दावा किया था और दावे की डिक्री जुडिशियल कोर्ट से हो गई है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं प्रश्न (१) और (२) के उत्तर में जो जवाब दिया उसमें इसका उत्तर आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी ।

एस० टी० सी० स्कूलों का स्थानान्तरण

६२२. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Chief Minister be pleased to state:-

(a) Is it correct that the S. T. C. Schools from Ajmer, Jaipur and Kotah have been shifted to Masuda, Rajgarh (Alwar) and Indergarh respectively ? If so, why and what rent the Government will have to pay for accommodating them at these places ?

(b) Is it correct that a lady trainee at Rajgarh was lifted away from her bed by Goondas and this has created panic amongst other trainees ?

Page No.4

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) यह सही है कि एस. टी. सी. स्कूल्स अजमेर व जयपुर को क्रमशः मसूदा व राजगढ़, अलवर में बदल दिया गया है। एस. टी. सी. स्कूल, कोटा को अभी नहीं बदला गया है। उक्त दोनों ट्रेनिंग स्कूलों को, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ही कि जहां तक हो सके ऐसे स्कूल रूरल एरिया में ही रखे जायं, बदला गया है। इसके अलावा अजमेर व जयपुर में इन स्कूलों के लिये स्थान की कमी भी थी। इसके अतिरिक्त अजमेर में एक नया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित करने के लिये भवन की आवश्यकता थी जिससे इन दोनों ट्रेनिंग स्कूलों को अजमेर व जयपुर से हटाया गया। एस. टी. सी. स्कूल राजगढ़ के लिए कोई किराया नहीं दिया जा रहा है और एस. टी. सी. स्कूल मसूदा के भवन का जो किराया दिया जावेगा, वह पी. डब्ल्यू. डी. के अधिकारियों द्वारा निश्चित किया हुआ दिया जावेगा।

(ख) एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल, राजगढ़ में गुण्डों द्वारा किसी महिला प्रशिक्षार्थी को उठाये जाने की कोई ऐसी वारदात नहीं हुई और न ही उनमें कोई भय का वातावरण अब चल रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : जो स्कूल्स मसूदा और दूसरी जगह शिफ्ट किये गये, क्या उनके लिये किराया अभी तय नहीं किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी, अभी नहीं किया गया है।

श्री पी० के० चौधरी : स्कूल शिफ्ट करने से विद्यार्थियों को काफी तकलीफ होती है, यह बात है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि राजगढ़ स्कूल की लड़कियों का एक डेपुटेशन आपके पास आया था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री पी० के० चौधरी : क्या उन्होंने शिकायत नहीं की कि एक व्यक्ति ने होस्पिटल में घुस कर एक लड़की का हाथ पकड़ लिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जांच की गई तो पता चला कि ऐसी कोई बात नहीं थी, वहां से हटाना चाहते थे। कई असुविधाएं थीं, उनको दूर करने की कार्यवाही कर दी है।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही नहीं है कि ऐसी शिकायत उन्होंने सी. एम. से की थी ?

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

६२३. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मन्त्री या किसी कार्यकर्ता का मकान बोर्ड ने किराये पर ले रखा है ?

(ख) यदि हां, तो मकान का क्या किराया है और इनका किराया किस आधार पर तय किया गया है।

उप वित्त मन्त्री (श्री खिमचन्द धारीवाली) : (क) स्वयं मन्त्री या किसी कार्यकर्ता का मकान बोर्ड ने किराये पर नहीं ले रखा है।

(श्री शिवचन्द धारीवाल)

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

पंचायत सांचोर द्वारा ताडिया बाजार से दुकानें हटाये जाने हेतु दिया गया आवेदन-पत्र

६२४. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जिला जालोर के कस्बा सांचोर के ताडिया बाजार से कुछ दुकान सार्वजनिक हित के लिए हटाने का पंचायत सांचोर ने वहां के सब डिवीजन ऑफिसर को लिखा है? यदि हां, तो कब और उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जी हां, हटा दिया गया है १२–१३ मार्च को।

प्रश्न संख्या ६२५

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२६

श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६२७

श्री जुगलकिशोर।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

गोचर भूमि

६२८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या गोचर भूमि में पाला, लूंग, पलड़ी आदि का भी नीलाम किया जाना शुरू हो गया है? यदि हां, तो कब से?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : जब गोचर भूमि राजस्व विभाग के अधिकार में थी, तब इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं होती थी, किन्तु जब से गोचर भूमि पंचायतों के अधिकार में दी गई है तब से कुछ पंचायतों ने गोचर भूमि में भी पाला लूंग, पलड़ी आदि का नीलाम करना प्रारम्भ कर दिया है, जो उनको नहीं करना चाहिये। पंचायतों को हिदायत कर दी गई है।

प्रश्न संख्या ६२६

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६३०

श्री तनसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३१

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय

६३२. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या योजना व विकास मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल मिला कर किस किस जिले में कितना कितना रुपया खर्च हुआ?

Page No.6

(श्री भैरोंसिंह)

(ख) किस किस जिले की निर्धारित धन-राशि में से कितना-कितना खर्च नहीं किया जा सका और क्यों ?

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध के आंकड़े जनता की जानकारी हेतु प्रकाशित कराये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(घ) क्या यह सही है कि उदयपुर डिवीजन के जिलों में प्रथम पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत और जिलों की अपेक्षा ज्यादा धन खर्च हुआ है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (क) चूंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना की धन राशि का जिलेवार बंटवारा नहीं किया गया था, अतः यह बताया जाना कि उक्त योजना में किस किस जिले पर कितना-कितना खर्च हुआ सम्भव नहीं है।

(ख) जब कि जिलेवार बंटवारा नहीं किया गया, तो यह बताया जाना कि किस किस जिले की निर्धारित धन–राशि में से कितना कितना धन खर्च नहीं किया जा सका, संभव नहीं है।

(ग) हां, केवल सिंचाई और स्थानीय विकास कार्यों के जिलेवार आंकड़े सरकार ने जनता की जानकारी हेतु एप्रेज़ल ऑफ फर्स्ट फाइव इयर प्लान में प्रकाशित नहीं कराये हैं। अन्य आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकाशित नहीं कराये गये।

(घ) धन-राशि का जिलेवार बंटवारा न होने के कारण तुलना संभव नहीं है।

प्रश्न संख्या ६३२

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री।

हरिजन वैलफेयर बोर्ड

६३४. **श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री** (आमेर): क्या समाज कल्याण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान के हरिजनों के उत्थान हित एक हरिजन वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

(ख) अब तक इसकी कितनी मीटिंग्स हुई ?

उप समाज कल्याण मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) नही, यह सत्य नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : आपने जो जवाब दिया है वह गलत मालूम होता है। राजस्थान में हरिजन वैलफेयर बोर्ड है और इसकी स्थापना श्री भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई थी। उसकी मीटिंगें भी हुई हैं।

श्री भीखाभाई : हरिजन वैलफेयर बोर्ड के नाम से कोई संस्था नहीं बनी थी, शेड्यूल कास्ट एड्वाइज़री कमेटी जरूर बनाई गई थी। उसकी एक मीटिंग जरूर हुई थी।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या इन दोनों में डिफरेंस है।

श्री भीखाभाई : हां, समिति और बोर्ड में डिफरेंस है। केन्द्रीय सरकार ने ऐसे बोर्ड बनाये हैं, राजस्थान भी ऐसे बोर्ड बनाने का विचार कर रही है।

Page No.7

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : क्या माननीय सदस्यों को इसके लिये सूचित कर दिया गया है कि भविष्य में हरिजन नाम यूज नहीं करें ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि ऐसे बोर्ड बनाने का राजस्थान सरकार विचार कर रही है।

श्री हरिशंकर सिद्धांतशास्त्री : ऐसे बोर्ड किन किन जिलों में हैं ?

श्री भीखाभाई : वैसे कई जिलों में हैं। सोशियल वेलफेयर बोर्ड पहले बने हुए थे, स्टेट लेवल पर नहीं थे, इसका विचार अब चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री सूरजमल।

बुनाई शिक्षकों की नियुक्ति

६३५. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि वीविंग अध्यापक उन्हीं को नियुक्त किया जाता है जो मिडिल हों व बुनाई कताई में पास हों ?

(२) दस साल के बुनाई कताई के तजुर्बे वाले अध्यापकों को क्या ग्रेड दिया गया व एक साल की ट्रेनिंग पाकर जो अध्यापक बने उनको क्या ग्रेड दिया जाता है ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) जी हां, न्यूनतम योग्यता यही है।

(२) प्रीमर्जर अध्यापक ४०–२–५०–३ ८० की ग्रेड में काम कर रहे हैं जो उस समय ट्रेन्ड मिडिल ग्रेड थी। अब ४०–१–५०–२ ६० के यानी अन-ट्रेन्ड मिडिल ग्रेड में नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न संख्या ६३६

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीमानसिंह।

(अनुपस्थित)

वित्तमंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अभी तैयार होकर नहीं आया है।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी पूछा ही नहीं गया है।

प्रश्न संख्या ६३७

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६३८

श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

सामोद (जयपुर) की चारदीवारी का विक्रय

६३९. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या जागीर मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि ठिकाना सामोद तहसील आमेर, जिला जयपुर ने सामोद कस्बे की चार दीवारी तथा कुछ बुर्जें किसी व्यक्ति विशेष को बेच दी हैं ?

(ख) यदि हां, तो कस्बे की रक्षार्थ बनाई हुई दीवार को पर्सनल प्रोपर्टी में किस प्रकार शामिल किया गया ?

Page No.8

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) ठिकाना सामोद की सिटी वाल और दरवाजा नहीं बेचा गया है । सिर्फ जयपुर दरवाजे के ऊपर बगल के रियायशी मकान जिनमें हमेशा से जागीरदार के मुलाज़मान रहते थे, जागीरदार ने बेच दिये हैं ।

(ख) अभी जागीरदार सामोद की निजी सम्पत्ति का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । जांच जारी है ।

(ग) जैसा कि ऊपर जवाब दिया गया है बुर्ज आदि नहीं बेचा गया । सिर्फ दरवाजे के ऊपर बगल के रियायशी मकान, जिनमें हमेशा से मुलाज़मान रहते थे, बेचे गए ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह जागीरदार की पर्सनल प्रोपर्टी में है या पब्लिक प्रोपर्टी में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अभी आपको बताया कि पर्सनल प्रोपर्टी का अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : कब तक हो जाएगा; और जो पोर्शन बेचा जा रहा है, वह पर्सनल प्रोपर्टी होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह ।

राजकीय हाई स्कूल, आबू रोड में कमरों की कमी

६४०. **श्री मोहब्बतसिंह** (सिरोही) : Will the Education Minister be pleased to state:

Is the Government aware that there is acute scarcity of class rooms in the Government High School at Abu Road ? If so, when does the Government contemplate to take up this work ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जी हां, राजकीय हाई स्कूल, आबू रोड के लिए अतिरिक्त कमरों के बनवाने के प्रश्न पर, अन्य ऐसे ही स्कूल भवनों के साथ आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आगामी वर्ष विचार किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

राजस्थान मंत्रणा परिषद

६४१. **श्री लक्ष्मण हीरात** (गोगुंदा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान मंत्रणा परिषद् के सदस्य कितने व कौन कौन हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि सन् ५७ में राजस्थान मंत्रणा परिषद् की एक भी बैठक नहीं हुई और कई महत्वपूर्ण मामले इस वजह से अब तक पेन्डिग हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्यों ?

(घ) जो केस अब तक पेन्डिग हैं उसका जुम्मेदार कौन है ?

उप मन्त्री समाज कल्याण विभाग (श्री भोलाभाई) : (क) राजस्थान मन्त्रणा परिषद् नाम की कोई समिति नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न से पता नहीं चला कि यह किस केस से सम्बन्धित है ।

Page No.9

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : यह उत्तर गलत है। राजस्थान आदम कमेटी क्या है ?

श्री भीखाभाई : यह मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य जो समझ रहे हैं, वे भ्रम में हैं। राजस्थान आदम जाति मन्त्रणा परिषद् थी, उसके बजाय दूसरी कायम हो गई है और उनके नाम शीघ्र ही घोषित होने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी अर्ज कर दूं कि उनके नाम भी घोषित किये गये हैं। आदम जाति की मंत्रणा परिषद् का संविधान के पंचम सूची के पेरा ५ में उल्लेख किया गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

तहसील शाहबाद में हाई स्कूल की स्थापना

६४२. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या तहसील शाहबाद में कोई हाई स्कूल खोलने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक पूर्ण होगी ?

मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : यदि शाहबाद मिडिल स्कूल सरकार की आधारित शर्तों की पूर्ति करेगा, तो आगामी वर्ष में हायर सेकेन्डरी स्कूल्स खोलते समय अन्य स्कूलों के साथ इस स्कूल के प्रश्न पर भी इसकी उपयुक्ततानुसार विचार किया जावेगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : आधारित शर्तें क्या हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भवन की सुविधा, पब्लिक का भवन में आर्थिक सहयोग, ७ वीं और ८ वीं कक्षाओं में आस-पास के क्षेत्रों में छात्रों की संख्या। २० मील या १५ मील में कोई हाई स्कूल है या नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह सही है कि शाहबाद की जनता ने भवन के लिए पैसा इक्ट्ठा कर लिया है और इसकी सूचना सरकार को दे दी है !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन वहां पर शर्तों की पूर्ति करने के साथ साथ बजट में जो प्रोविज़न है उसको भी देखना है।

श्री दयाकृष्ण विजय : शाहबाद से ४०-५० मील के एरिया में कोई हाई स्कूल नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमें यह विचार करना होगा कि किशनगंज में पहले खोलें, या शाहबाद में ?

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार हाई स्कूल या हायर सेकंड्री खोलना चाहती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी तक हायर सेकन्ड्री खोली है। पुरानी स्कूलों को हायर सेकन्ड्री करें या हाई स्कूल खोलें, इसमें भारत सरकार से परामर्श करना उचित समझा गया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

पुरुषार्थियों के लिये आरक्षित भूमिखण्ड गंगानगर

६४३. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या पुनर्वास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है सन् १९५१ में श्री गंगानगर में पुरुषार्थियों के लिये ३२५

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

प्लॉट रिज़र्व कर दिये गये थे तथा इसकी मंजूरी भी कमिश्नर बीकानेर के यहां से हो गई है ?

(ख) यदि हां, तो इन लोगों को प्लॉट कब तक अलॉट कर दिये जावेंगे ?

पुनर्वास मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) श्री अजीतप्रसाद जैन, भूतपूर्व केन्द्रीय पुर्नसंस्थापन मंत्री के सन् १९५१ में गंगानगर आने पर पुरुषार्थियों के लिए अस्थाई मिलिटरी परेड ग्राउन्ड व इसके बराबर और खाली मुरब्बों में प्लॉट बना कर जमीन देने की सिर्फ बात हुई थी। बाद में आवश्यक जांच पड़ताल के पश्चात् पुलिस लाइन व नहर के बीच की जमीन में १०० प्लॉट काट कर आदर्शनगर बनाया गया जो सन् १९५५ से आबाद है और जहां विस्थापित परिवार रहते हैं। इसके अलावा १६४ प्लॉट विस्थापित परिवारों के लिए और तजवीज किये जा रहे हैं।

(ख) प्लॉटों के एलोटमेंट के लिए सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की गई है जो काम जल्दी प्रारम्भ करेगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि पुरुषार्थियों के लिये ४ मुरब्बा जमीन एलॉट की गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऐसी बात नहीं थी। कोई ४ मुरब्बा एलॉट नहीं हुई थी। मैंने उसकी आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं जो खाली मुरब्बा था उनको एलॉट करने की बात-चीत हुई थी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि उस आधी जमीन में वहां के भूतपूर्व म्युनिसिपल चेयरमैन ने अपनी फैक्ट्री कायम कर ली है और कुछ में मकान......

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई जमीन एलॉट नहीं हुई थी। भूतपूर्व मंत्री श्री जुगलकिशोरजी थे, उन्होंने मौके पर जमीन एलॉट की....

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जावे कि १९५१ से अभी तक शरणार्थियों को एलॉटमेंट नहीं हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एलॉटमेंट ही नहीं, बल्कि वे वहां पर बस भी गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : वहां के चेयरमैन ने अपनी फैक्ट्री के लिये जमीन ले ली है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन चेयरमैन, क्या नाम है ? आप बतावें ऐसी बात नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपने अभी बताया कि चेयरमैन ने अपनी फैक्ट्री के लिये जमीन एलॉट की, वह किस बात पर कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने नहीं कहा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : एलॉटमेंट के लिये कोई कमेटी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की कमेटी बना दी गई है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वहां का चेयरमैन फिर झगड़ा कर रहा है, उसका क्या होगा ?

Page No.11

श्री दामोदरलाल व्यास : झगड़ा पैदा होगा, उसका निर्णय मैरिट्स पर होगा ।

एक माननीय सदस्य : चार मुरब्बा जो आपने बताया उसमें भी अब और शरणार्थी बस रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने चार मुरब्बों का नहीं कहा, मैंने आपको बताया कि माननीय अजीतप्रसाद जैन जब गंगानगर आए उस समय मिल्ट्री परेड ग्राउन्ड व उसके बराबर की जमीन खाली प्लॉटों में बना कर देने की बात हुई थी । उसके कुछ मास बाद माननीय जुगलकिशोरजी चतुर्वेदी, रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर, राजस्थान गंगानगर आए । उन्होंने परेड ग्राउन्ड की आवश्यकता को ध्यान में रख कर उस स्थान के बजाय पुलिस लाइन नहर के बीच की जमीन शरणार्थियों के मकान बनाए जाने के लिये तजवीज की । इस तजवीज के अन्तर्गत उस स्थान पर १०० प्लॉट काटे जाकर आदर्श-नगर बनाया गया, जो सन् १९५५ से आबाद है ।

श्री भैरोंसिंह : यह बात किस के बीच में हुई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अजीत-प्रसादजी आये थे, उस समय ऑफिसर्स और नोन-ऑफिसर्स सब मौजूद थे, उनसे किया था ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : १०० प्लॉट शहर में अलग काट कर दिये, न कि जहां पर तजवीज की गई थी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि तजवीज नहीं की गई थी, बात हुई थी । तजवीज आप अपनी बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

डिग्री कॉलेज

९४४. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिनमें कोई डिग्री कॉलेज नहीं है ?

(ख) इन जिलों में डिग्री कॉलेज न होने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही वहां डिग्री कॉलेज खोलने का कोई विचार रखती है ?

(घ) यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

मुख्य एवं शिक्षा मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : (क) निम्नलिखित जिलों में सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं हैं :

१. बूंदी	२. झालावाड़
३. सवाई माधोपुर	४. सीकर
५. टोंक	६. पाली
७. नागौर	८. बाड़मेर
९. जैसलमेर	१०. जालोर
११. चित्तौड़गढ़	१२. डूंगरपुर
१३. बांसवाड़ा	१४. झुन्झुनू

जिला झुन्झुनू में पिलानी तथा नवलगढ़ में प्राइवेट डिग्री कॉलेज हैं । टोंक जिले में वनस्थली में लड़कियों के लिये डिग्री कॉलेज है । ये डिग्री कॉलेज युनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हैं ।

(ख) क्योंकि प्रत्येक जिलों में डिग्री कॉलेज खोलने की आवश्यकता नहीं समझी गई थी ।

Page No.12

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(ग) तीन वर्षीय डिग्री कोर्स के सिद्धान्त को मान लिया गया है; अतः तीन वर्षीय कोर्स के डिग्री कॉलेज खोलते समय इन स्थानों का ध्यान रखा जावेगा और सरकार के आधारित कोटे के अनुसार इन स्थानों की उपयुक्तता को ध्यान में रख कर कॉलेज खोले जावेंगे।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री शिवचरणदास।

प्रश्न संख्या ६४५

श्री शिवचरणदास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६४६

श्री तेजाराम गहलोत।

(अनुपस्थित)

जिलाधीशों के कार्यों का निरीक्षण

६४७. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कलेक्टरों, अतिरिक्त कलेक्टरों व सहायक कलेक्टरों के कार्यों का निरीक्षण साल में कितनी बार किसके द्वारा होता है ?

(२) क्या आज तक पिछले साल में किसी कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर व सहायक कलेक्टर के कार्य की न्यूनता के कारण किसी भी रूप में वार्निङ्ग या कोई सजा भी दी गई है ? यदि हां, तो किन किन को और किस किस कारण से ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) कलेक्टरों, अतिरिक्त कलेक्टरों व सहायक कलेक्टरों का निरीक्षण साल में एक बार आयुक्त द्वारा होता है। सहायक कलेक्टरों, तहसीलों व अन्य कोर्टों का निरीक्षण कलेक्टरों द्वारा भी साल में एक बार किया जाता है।

(२) जी नहीं गत वर्ष में किसी भी रूप में किसी को वार्निङ्ग या सज़ा नहीं दी गई।

श्री मूलचन्द डागा : कौन कौन से कार्यों का निरीक्षण होता है; केस वर्क का भी होता है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सब कामों का होता है।

श्री मूलचन्द डागा : सब काम कौन कौन से हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप किस किस का पूछना चाहते हैं; पूछिये मैं बता देता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : क्या दौरे का भी निरीक्षण होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके केस वर्क, दौरे और लैन्ड रेवेन्यू का भी दौरा होता है।

श्री मूलचन्द डागा : किसी भी अधिकारी ने कम केस वर्क किया तो क्या सरकार ने उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिसका काम संतोषजनक नहीं होता उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्री मूलचन्द डागा : ऐसे कौन कौन से आदमी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने सन् ५७-५८ का पूछा है; मैंने बता दिया सब ठीक है।

Page No.13

श्री मूलचन्द डागा : एक अधिकारी के लिये कितना काम का कोटा होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग अलग अधिकारियों के लिये अलग अलग कोटे होते हैं । आप किसी विशेष अधिकारी का पूछें तो मैं जवाब दूंगा ।

हिन्दी का राज्यभाषा के रूप में प्रयोग

६४८. श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा हिन्दी को राज्यभाषा कब स्वीकार किया गया था ?

(ख) उस समय हिन्दी को राज्यभाषा के रूप से प्रयोग करने के लिये क्या विधि निश्चित की गई थी ?

(ग) अब तक किन-किन विभागों में हिन्दी पूर्ण रूप से तथा किन में आंशिक रूप में व्यवहार में लाई जा रही है और किन में अभी तक उसका व्यवहार नहीं हो पाया है ?

(घ) क्या यह सही है कि कुछ विभागों में पहले हिन्दी प्रचलित होकर भी अब उसका प्रचलन बन्द हो गया है ?

(ङ) सरकार को सम्पूर्ण विभागों में हिन्दी को प्रचलित करने में क्या-क्या कठिनायां हैं तथा इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है ?

(च) राजस्थान के समस्त विभागों में पूर्ण रूप से हिन्दी का प्रचलन होने में और कितना समय लगेगा ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) ६ दिसम्बर, १९५२ को ।

(ख) अधिनियम की धारा २ में यह विधि वर्णित है । अधिनियम की एक प्रति सदस्य महोदय की जानकारी के लिये सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(ग) निम्नलिखित विभागों में पूर्ण रूप से तथा आंशिक रूप से हिन्दी को व्यवहार में लाये जाने के आदेश हो चुके हैं :

१. पंचायत विभाग, मुख्य पंचायत अधिकारी के स्तर तक ।

२. नगरपालिकायें, स्थानीय निकायों (लोकल बॉडीज़) के संचालक के स्तर तक ।

३. शिक्षा विभाग, शिक्षणालय निरीक्षकों के स्तर तक ।

४. सहकारी विभाग, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के स्तर तक । उन समितियों के अतिरिक्त कि जो शीर्ष बैंकों से सम्बद्ध हैं ।

५. देवस्थान विभाग, देवस्थान कमिश्नर के स्तर तक ।

६. सचिवालय में, कानून विभाग का विधान सभा सम्बद्ध उप विभाग ।

७. राजस्व विभाग (सचिवालय) की समस्त शाखाओं में, जिनमें कि जंगलात जागीर व देवस्थान विभाग सम्मिलित हैं ।

८. राजस्व विभाग सम्बन्धी अधीनस्थ समस्त कार्यालय राजस्व मंडल की अदालती कार्यवाही के अतिरिक्त ।

९. समस्त राजपत्रित अधिकारियों (गज़टेड ऑफिसरों) के अवकाश, स्थानान्तर आदि की नियुक्ति विभाग की राजपत्र में प्रकाशित होने वाली आज्ञायें ।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

(घ) ऐसी बात सरकार के ध्यान में नहीं है।

(ङ) समस्त विभागीय कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की अभ्यस्तता का अभाव, तथा भारत सरकार इत्यादि के पत्र अंग्रेजी में आने के कारण व टैक्नीकल टर्म्स अभाव के कारण।

(च) हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन प्रशिक्षण कक्षायें सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ताकि विभागीय पत्र व्यवहार हिन्दी में हो सके। भारत सरकार इत्यादि से पत्र व्यवहार अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा जब तक वहां से हिन्दी में पत्र आने प्रारम्भ न हों। टेक्नीकल शब्द धीरे-धीरे प्रचलित किये जा रहे हैं।

(छ) इसके लिये अभी समय निश्चित करना सम्भव नहीं।

(नोट : मूल प्रश्न में 'च' भाग ही है जब कि 'छ' भाग तक उत्तर दिया गया है।)

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री जनार्दनराय नागर : क्या सरकार यह बता सकती है कि जो आपने विधि दी है तो समस्त विभागों में उसके अनुसार ही कार्य हो रहा है ? पंचायत विभाग और अन्य जिन विभागों में हिन्दी में कार्य करने के लिए जो विधि दी गई है, तो क्या उसके अनुसार शतप्रतिशत कार्य हिन्दी में उन विभागों में होता है ? मैं समझता हूं कि ६० प्रतिशत कार्य अब भी उन विभागों में अंग्रेजी में ही होता है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह आप जानकारी दे रहे हैं लेकिन किसी विभाग के लिए खास तौर पर इस प्रकार की जानकारी देंगे कि वहां इसकी अवज्ञा निश्चित तौर पर की जा रही है।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इन प्रत्येक विभाग में धड़ल्ले से अंग्रेजी में कार्य हो रहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इतना तो मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं क्योंकि उन विभागों से आये हुए पत्र वगैरह देखे हैं। सारा ही कार्य अंग्रेजी में हो होता हो, यह सही नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या राजस्व मंत्री अपने पत्र अंग्रेजी में ही लिखते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आम तौर पर नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या राजस्थान सरकार यह आवश्यक नहीं समझती है कि हिन्दी की अत्यधिक आवश्यकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हम भी इसको मानते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रशासन में हिन्दी में ही कार्य हो, इसके लिए हमने व्यवस्था की है और जो व्यवस्था चालू है उसके अनुसार पिछले साल ७ कक्षायें शीघ्रलिपि लेखन और मुद्रलेखन की कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार ने चलायीं, जिनमें ३४६ परीक्षार्थी बैठे और १६२ विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। चार कक्षायें फिर चालू की हैं जिनमें करीब १८० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और यही नहीं खास तौर पर १२७ मुद्रयण सरकार ने खरीदें हैं ताकि इनमें शिक्षा दे सकें।

श्री श्रीभानसिंह : In view of the difficulty of technical terms, is

(श्री श्रीमानसिंह)

the Government contemplating to keep English at the Secretariat level and Hindi at the district level ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह प्रश्न यहां खड़ा नहीं होता। इसके लिए टेक्नीकल टर्म्स की आवश्यकता होती है और उसको लागू करके राजस्थान में जितना जल्दी हो सके, हिन्दी लागू हो यह हमारा विचार है।

श्री जनार्दनराय नागर : राजस्थान सरकार के...

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

(श्री नागर से) उन्हें पूछने दीजिये, उनका प्रश्न है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या हिन्दी प्रचलित करने के लिये यहां समय समय पर समितियों का निर्माण हुआ था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : उनकी सिफारिशें क्या आयीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि जो सिफारिशें आयीं उनके अनुसार ही आज्ञायें लागू की गईं और उसका वह परिणाम है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सिफारिश की गई थी कि इतनी अवधि में हिन्दी का प्रचलन हो जावेगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह की गई थी। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सम्पूर्ण कार्य अभी से हिन्दी में हो सकता है, ऐसी संभावना प्रतीत नहीं होती।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह सही है कि समस्त रियासतों में राजस्थान बनने से पूर्व प्रत्येक में हिन्दी का प्रचलन था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी नहीं। कहीं उर्दू थी, हिन्दी और अंग्रेजी आ गई।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : अंग्रेजी और उर्दू को छोड़ कर सब रियासतों में हिन्दी थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी जानकारी है कि सब रियासतों में सम्पूर्ण रूप से हिन्दी नहीं थी।

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार के कर्मचारियों में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मातृ भाषा अंग्रेजी है और हिन्दी नहीं है। मेरी जानकारी है अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में जितने कर्मचारी है, उनमें से लगभग शत प्रतिशत ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी है और अंग्रेजी नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मेरी जानकारी है कि सिवाय एक दो के और नहीं हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : फिर मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब शतप्रतिशत कर्मचारियों की मातृभाषा हिन्दी है, तो फिर यहां कुशलता, अकुशलता, अवरुद्धता और रुकावट का प्रश्न कहां आता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसे मैंने निवेदन किया, प्रश्न इस वजह से उठता है कि टाइपराइटर्स, मुद्रलेखन और शीघ्रलेखन के जो कार्य हैं उन पर पूरी तरह से कर्मचारी ट्रेनिंग न पा लें और टैक्नीकल टर्म्स हैं, उनका उपयोग पूरी तरह से होने लगे, इसलिए यह प्रश्न आ रहा है न कि केवल मातृभाषा का प्रश्न सामने है।

श्री भैरोंसिंह : अंग्रेजी का यहां रहने का कारण यह है कि सेक्रेटेरियेट के लोग अंग्रेज दां हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : अंग्रेजी भी पूरी नहीं जानते।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अंग्रेज दां है इसलिए यहां चालू किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से बहुत से कार्य सुगम होते जा रहे हैं, जैसे बजट यहां पेश किया गया है, तो उसमें जो टेक्नीकल टर्म्स हैं उनसे सदस्यों को कॉफी वकफियत हो जावेगी। कॉफी सहूलियतों की दृष्टि से यह किया गया था।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या किसी राज्य की भाषा जनता की सुविधा की दृष्टि से होती है या अधिकारियों की सुविधा की दृष्टि से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो आम तौर पर जनता के सम्पर्क में आने वाले विभाग है, उनमें हिन्दी को लागू करने का प्रयास किया है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनसे लिखा पढ़ी करने के लिए जनता का सम्पर्क कम आता है और टेक्नीकल टर्म्स ज्यादा होते हैं उनमें अभी अंग्रेजी है।

श्री मनोहर कोठारी : ऐसे कौन से विभाग हैं जिनसे जनता को सम्पर्क में आने का मौका नहीं मिलता ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ज्ञानचन्द मोदी।

लगान सम्बन्धी पर्चों की उज्रदारियां

६४६. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) नीम का थाना तथा श्रीमाधोपुर के असिस्टेन्ट सेटेलमेंट ऑफिसर के कार्यालय के पर्चों की कितनी उज्रदारियां हुई और उनमें से ६ माह तक कितनों का फैसला नहीं हुआ ? इस विलम्ब का क्या कारण है ?

(ख) क्या जो लगान की दर कायम की गई, वह ठीक है ? यदि नहीं, तो जनता के आवेदन पर जो आश्वासन दिया गया था, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि सीकर जिले में हजारों कुए इस कारण बेकार पड़े हुए हैं कि नाल एक की है तो जमीन किसी दूसरे की ? यदि हां, तो सीकर जिले में कितने कुए इस स्थिति से बेकार हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) तहसील नीम का थाना में आखिरी पर्चा वितरण जून, ५५ में हुआ। वितरण के बाद ६ माह में ३६७० उज्रदारियां आई जिनमें से (६ माह में) ३३२७ का फैसला हुआ और ३४३ बाकी रहीं। अब तक तहसील में ५७२६ उज्रदारियां हुई हैं उनमें से अब ५५ उज्रदारियों बाकी हैं। तहसील श्री माधोपुर में आखिरी पर्चा वितरण जून, १९५५ में हुआ। वितरण के बाद ६ माह में ९५८ उज्रदारियां आई, उनमें से ६ माह में २९५ का फैसला हुआ और ६६२ बाकी रहीं। अब तक कुल उज्रदारियां ५८९८ हुई हैं जिनमें से ६७९ अब शेष हैं।

(ख) तहसील नीम का थाना और श्री सवाई माधोपुर के ८० और ४२ ग्रामों की दरों का पुनरावलोकन किया जा रहा है।

(ग) ऐसी कोई बात नोटिस में नहीं आयी है। तहसीलदारों से जानकारी प्राप्त की जा रही है कि ऐसी स्थिति में कितने कुए

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है जो बेकार पड़े हैं। टिनेन्सी एक्ट में प्रोविज़न है कि कुओं के मालिक कोई दूसरे होते हैं और जमीन के दूसरे लेकिन उन कुओं से जो जमीन काश्त की जाती है उस के अनुसार काश्तकार मालिक बन सकता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गणतंत्र दिवस पर देहली में राजस्थान द्वारा प्रस्तुत झांकी

६५०. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या दिनांक २६ जनवरी, १९५८ को देहली में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में निकलने वाले जुलूस में राजस्थान की ओर से कोई झांकी प्रस्तुत की गई थी ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जी हां। राजस्थान सरकार की ओरसे २६ जनवरी, १९५८ को गणतन्त्र समारोह के अवसर पर "हमारा राजस्थान" नामक झांकी प्रस्तुत की गई थी। इस झांकी का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। चित्र सदन की मेज पर है।

(कृपया विवरण के लिए परिशिष्ट २ देखिये)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : क्या यह सही है कि दिल्ली के पत्रों में राजस्थान झांकी के बारे में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हुए हैं -

"राजस्थान की झांकी में एक लड़की को पेश किया गया है जो राजस्थान के लिये अपमान की बात है।"

क्या इस प्रकार और अन्य प्रकार से समाचार अखबारों में प्रकाशित हुए हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किस पत्र में हुए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : २८ जनवरी के पत्रों में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं तो पूछ रहा हूं, किस पत्र में हुए।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : वीर अर्जुन दिल्ली से प्रकाशित होता है, उसमें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हो सकता है 'वीर अर्जुन' जैसे पत्रों ने इस प्रकार की बातें लिखी हों।

श्री जगदीशप्रसाद मथुर : हिन्दुस्तान अखबार में भी निकला है।

(विराम)

क्या इस संबन्ध में सरकार यह जांच करवायेगी कि इस प्रकार की कोई झांकी पेश की गई या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूं इस बारे में जो चित्र आपको दिया गया है वह आपके समक्ष है, किस पत्र ने क्या लिखा कैसे लिखा इससे आप ज्यादा अन्दाज़ लगा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : उस झांकी का विवरण क्या है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसमें तस्वीरें हैं, राजस्थान के अलग अलग जीवन की तस्वीरें हैं।

ग्राम अजीतपुर (भादरा) की सामलात जोहड़ का पायतन

६५१. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे :

(श्री धर्मपाल पंवार)

(१) गांव अजीतपुर, तहसील भादरा में गांव की सामलात तथा जोहड़ के पायतन के लिये कितनां रकबा सरकारी था ?

(२) क्या यह सच है कि इस रकबे पर किसी ने जबरन कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किसने ? क्या उक्त भूमि पर से नाजायज़ कब्जा हटाने के लिये गांव की सामूहिक दरख्वास्त पर स्थानीय तहसीलदार आदि ने कब्जा छुड़ाने के लिये नोहर निज़ामत को सिफारिश की थी ? यदि हां ; तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

(१) गांव अजीतपुर में शामलात का ८३।।। ४ रकबा और पायतन जोहड़ २०२। ४ बीघा रकबा बन्दोबस्त के समय से मन्जूर है ।

(२) जी नहीं ।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या इस संबन्ध में कुछ लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं वे तहसील में गुम हो गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी की जायगी ।

सवर्णों की अनुसूचित जाति के लिए संरक्षित स्थानों पर नियुक्ति

६५०. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राजस्थान राज्य की क्लर्क्स एवं फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स की जगहों पर कुछ सवर्णों ने अपने आपको शिड्यूल्ड कॉस्ट के बतला कर नौकरियां प्राप्त कर ली हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके नाम, पते तथा वे पहले किस जाति से थे और बाद में शिड्यूल्ड कास्ट की किस जाति के बन कर नौकरी को विवरण बतायेंगे ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस प्रकार का एक मामला राजस्थान सेक्रेटेरिएट जयपुर के अन्तर्गत भी हुआ ? यदि हां, तो वह क्या था ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

(क) सचिवालय के अलावा अन्य व्यक्तियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है । क्योंकि मिनिस्टीरियल और क्लास फोर्थ के पदों पर हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट्स या हैड ऑफ ऑफिसेज़ को नियुक्त करने के अधिकार प्राप्त हैं न ऐसी कोई शिकायतें सरकार के पास प्राप्त हुई हैं ।

(ख) सचिवालय में जो ऐसा एक मामला हुआ है उसके विवरण इस प्रकार हैं:—

नाम जो बतलाया गया	रूपनारायण पुत्र रूरा
पता	भूरा टीबा पंच गली, तहवीलदारों का रास्ता, जयपुर ।
जाति जो बतलाई गई	चमार ।
असली नाम	नानगराम पुत्र रघुनाथ
असली जाति	नाई ।

(ग) हां । जैसा बतलाया गया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इस मामले में क्या कदम उठाया जा रहा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनको ३० सितम्बर, १९५७ को मुअत्तिल कर दिया गया और पुलिस में यह केस दे दिया गया और इस केस में फौज़दारी केस लाया जा रहा है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जो जाति बदल कर उसने नौकरी की, अब क्या उसे पुरानी जाति में रखा जायगा या नई जाति में ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो आप पर निर्भर करता है, आप क्या पसन्द करेंगे !

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : ऐसे मामले में क्या इन्तजाम किया है कि आयन्दा ऐसे मामले न हों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन पर फौज़दारी मुकदमा चलाया जा रहा है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आयन्दा इस प्रकार की कार्यवाही न हो, इसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : आप शिकायतें करते जाइये, मुकदमे चलते जायेंगे ।

अम्बर चर्खा प्रशिक्षण

६५३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अम्बर चर्खे व उसके प्रशिक्षण में राज्य के कितने रुपये लगे हुए हैं ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान के खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित बुनाई केन्द्रों में तैयार होनेवाले ऊनी वस्त्रों में ऑस्ट्रेलियन धागे का इस्तेमाल किया जाता है ?

उप वित्त मंत्री (रिखबचन्द धारीवाल) : (१) राजस्थान सरकार की कोई रकम अम्बर चर्खे या उसके प्रशिक्षण के लिये नहीं दी गई है ।

(२) नहीं ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ऊनी धागों के लिये ऑस्ट्रेलियन ऊन इस्तेमाल की जाती है या नहीं, उसका आपने उत्तर दिया क्या ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऑस्ट्रेलियन ऊन धुनाई होती है उसमें इस्तेमाल की जाती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या धागे आदि में ऑस्ट्रेलियन ऊन इस्तेमाल नहीं की जाती ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऊन की जो धुनाई होती है उसमें काम में ली जाती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : आपकी नीति के अनुसार ऑस्ट्रेलियन ऊन का इस्तेमाल कहां तक उपयुक्त है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह ऐसा है कि राजस्थान की जो ऊन है, वह रफ क्वालिटी की है, इसलिये विदेशी ऊन को मिलाकर उसको धुनने में काम लिया जाता है और दोनों को मिलाकर ऊन के धागे बनाये जाते हैं ।

श्री दयाकृष्ण विजय : जब ऐसा है तो खादी के जो कपड़े बनते हैं उसमें भी विदेशी मशीनों से बना हुआ धागा क्यों इस्तेमाल नहीं किया जाता ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह तो अलग सवाल है । जहां तक उद्योगों का सवाल है, वहां उनको प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में जो भी नीति हम रखते हैं उसके अनुसार उनको प्रोत्साहन दिया जाता है । जैसे हैंडलूम वस्त्र को हम प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो हैंडलूम का उद्योग बढ़ेगा ।

Page No.20

श्री दयाकृष्ण विजय : तो क्या खादी के पीछे स्वदेशी की भावना है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : खादी के पीछे स्वदेशी की भावना है इससे कौन इन्कार कर सकता है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : तो फिर आस्ट्रे-लियन ऊन का प्रयोग क्यों किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आस्ट्रे-लियन ऊन एक फाइन क्वालिटी की ऊन है, उसके बिना ऊनी धागा नहीं बन सकता इस लिये उसका इस्तेमाल किया जाता है ?

डॉ० चन्द्रकला : क्या आस्ट्रेलिया के मुकाबले भारत में कोई दूसरी ऊन नहीं मिलती है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इतनी नरम नहीं मिलती है, जितनी कि नरम आस्ट्रेलियन ऊन होती है ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या कभी मान-नीय मन्त्री महोदय ने ऊन का धागा काता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मेरी ऐसी जानकारी है कि भारत में जो ऊन पैदा होती है उसका अच्छा धागा नहीं निकलता है ।

श्री मुरलीधर व्यास : अभी जो हवाला दिया गया है कि यह तो मिक्स करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो मेरा ऐसा निवे-दन है कि ऊनी वस्त्रों में आस्ट्रेलियन धागे का ही इस्तेमाल किया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मुझे तो ऐसी जानकारी है कि केवल मिक्स करने के लिये ही इसका प्रयोग किया जाता है । आप जब ऐसी जानकारी देते हैं तो मालूम किया जायगा ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड, खारची

६५४. **श्री बेनाराम** (खारची) : क्या सामु-दायिक विकास योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पाली जिले की खारची तहसील में राष्ट्रीय विस्तार खण्ड की स्थापना कब हुई ?

(२) वहां पर विकास अधिकारी कब आये और उस खण्ड ने अब तक क्या प्रगति की है ?

(३) क्या यह सत्य है कि विकास अधि-कारी ने तहसील के तमाम ग्रामों का दौरा अब तक नहीं किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) खारची स्टेशन के बाजार की सड़क को सुधारने की विकास अधिकारी ने क्या व्यवस्था की है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखा-ड़िया) : (१) अक्टूबर सन् १९५६ में ।

(२) विकास अधिकारी ने दिनांक १४-६-५६ को कार्यभार सम्भाला था । अब तक विकास कार्यों की जो प्रगति हुई है, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी है ।

(३) जी नहीं ।

(४) सार्वजनिक निर्माण विभाग से लिखा-पढ़ी की जा रही है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ६५५

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री रामधन ।

Page No.21

माप तोल

६५६. **श्री रामधन** (दौसा) : क्या वाणिज्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान बनने के पश्चात् सब ही जगह तोल अंग्रेजी हो जाने पर भी काश्तकारों से उनकी जिन्स, घृत, रुई, लाल मिर्च आदि देशी तोल में ही ली जाती हैं ?

उप वाणिज्य मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई है। राजस्थान बाट व माप अधिनियम ५४ के अनुसार निम्न तोल पर आधारित बाट प्रमाणित बाट हैं :

तोला	१८० ग्रेन
सेर	८० तोला
मन	४० सेर
पौंड	७००० ग्रेन

इनके अलावा अन्य किसी प्रकार के बाटों का प्रयोग गैर कानूनी है।

श्री रामधन : क्या यह सही है कि जयपुर प्रोपर में देसी तोल से घी लिया जाता है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अगर लिया जाता है तो यह गलत है, इस सम्बन्ध में हमने रोकथाम के लिए निरीक्षक और सहायक निरीक्षक नियुक्त कर दिये हैं उनके सामने ऐसा सवाल आता है तो वे देखते हैं।

श्री रामधन : क्या निरीक्षण लोग देखते भी हैं या केवल निरीक्षण ही करते हैं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मामला मिलता है तो उसकी जांच की जाती, उसके अलावा वे निरीक्षक करते रहते हैं।

श्री रामधन : इनकी नियुक्ति कब की गई और आज तक कितने मामले पकड़े ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : तारीख तो मुझे पता नहीं, किन्तु मामले जरूर पकड़े हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : कितने मामले पकड़े हैं, संख्या बता सकते हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जिला विकास समिति, पाली

६५७. **श्री शंकरलाल** (रायपुर) : क्या मन्त्री समाज कल्याण विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जिला विकास समिति, पाली द्वारा सन् १९५६ में पाली जिले के पहाड़ी इलाकों की अनुसूचित जन जातियों एवं पिछड़ी हुई जातियों के विकास के लिए पूर्ण जांच करने के पश्चात् एक योजना बनाकर प्रेषित की गई थी ?

(२) यदि हां, तो सरकार द्वारा अभी तक उसे स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं।

(३) क्या सरकार उक्त योजना को कार्यान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) हां, जिलाधीश पाली ने जिला विकास समिति से परामर्श करने के पश्चात् एक योजना बनाकर प्रेषित की थी जिसमें अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं कही गई है।

(२) यद्यपि योजना में कुछ पाठशालाओं, कल्याण केन्द्रों तथा राहत केन्द्रों के स्थापित

Page No.22

(श्री भीखाभाई)

करने एवं कुओं तथा नाड़ों, छोटे तालाब के खुदवाने के प्रस्ताव थे पर योजना के अधिकांश भाग में बहुत सी सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव थे, जिलाधीश को सरकार द्वारा सन् ५६ में सूचित कर दिया गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उक्त सड़कों के प्रस्ताव नहीं सम्मिलित किये गये हैं अतः वे सड़कों का निर्माण राष्ट्रीय विस्तार खंड के बजट से हो सकते हैं। तत्पश्चात् यह फिर स्पष्ट कर दिया गया कि संबन्धित इलाके राष्ट्रीय विस्तार खंड में आते हैं, अतः योजना में निहित कुछ कार्य विस्तार खंड से करवायें जा सकते हैं।

(३) हां, उक्त योजना के कुछ भाग विकास खण्डों एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित करवाये गए हैं और कुछ कार्य जो अब करवाये जायेंगे वे खण्डों तथा समाज कल्याण विभाग के अपने प्रोग्रामों के अनुसार संपादित होंगे।

श्री शंकरलाल : कौन से भाग में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्य कराया गया है ?

श्री भीखाभाई : दो तहसीलों में। वैसे इस सवाल का उत्तर विकास विभाग द्वारा ही दिया जाना चाहिये था। इसके फलस्वरूप पाली और दूसरी तहसीलों में ब्लॉक खोले गये हैं और समाज कल्याण विभाग द्वारा जो काम किया गया है उनकी सूची इस प्रकार है :

(१) क्राफ्ट स्कूल १

(२) एडल्ट नाइट स्कूल एवं सोशल कल्चरल सेन्टर ३

(३) इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेन्टर १

(४) सोशल कल्चर सेन्टर ८

(५) तालाब व बांध लागत रुपया ७,०००)

(६) ६० मकानों के लिये आर्थिक सहायता रुपया ३५,०००)

और इसके अलावा जो मैंने बताया कि इसके सम्बन्धी जो विकास विभाग है या जो ब्लॉक है उसमें काफी काम सड़कों के निर्माण वगैरह का किया गया है।

श्री शंकरलाल : ये कार्य किन-किन जगहों पर कराये गये ?

श्री भीखाभाई : इसका विशेष सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है। कलेक्टर की रिपोर्ट के बारे में उल्लेख है तो आंकड़े भी इसके हमारे पास नहीं थे। वैसे ही कोई विशेष सम्बन्ध भी इससे हमारा नहीं है। विकास खण्डों का है। आपका जो प्रश्न है, उसका उत्तर विस्तार से वहां से दिया जा सकता है। ज्यादा जानकारी वहीं से मिल सकती है।

श्री शंकरलाल : विशेष सम्बन्ध नहीं होने का तात्पर्य क्या है ?

श्री भीखाभाई : यह तो यह है कि पाली जिले की सारी जनता के लिये क्या कार्य किया गया इसका सम्बन्ध हम से है। बाकी शिड्यूल कास्ट्स के लिये और शिड्यूल ट्राइब्स के लिये क्या करना चाहिये, क्या किया गया इसका सम्बन्ध हमसे अधिक नहीं है, विकास खण्डों से है इसलिये विस्तार से नहीं बताया गया।

श्री शंकरलाल : तो क्या जहां राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हैं, वे समाज कल्याण विभाग का काम नहीं करते ?

श्री भीखाभाई : काम तो करते हैं पर इसकी कलेक्टर ने जो योजना भेजी है, उसमें

(श्री भीखाभाई)

उल्लेख नहीं है कि आदिवासी और हरिजनों के लिये अमुक काम किया जाना चाहिये ।

श्री शंकरलाल : पिछड़ी जातियों का भी प्रश्न है और उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कुछ नहीं कहा ?

श्री भीखाभाई : शिड्यूल कास्टस और शिड्यूल ट्राइब्स के अलावा और दूसरी कौन सी पिछड़ी जातियां हैं ?

श्री शंकरलाल : क्या शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स ही पिछड़ी जातियों में हैं और दूसरी नही ?

श्री भीखाभाई : बैकवर्ड क्लासेज़ में में सांसी, कंजर, मीणा, गरासिया भी हैं तथा और, और भी बहुत सी जातियां हैं और अलग अलग जातियों के लिये अलग-अलग योजनाएं हैं ।

श्री शंकरलाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों में क्या अन्तर है, क्या असमानता है ?

श्री भीखाभाई : बहुत अन्तर है । संविधान में इनको स्पेशल रिज़र्वेशन है । सब का अलग-अलग जिक्र है कॉन्स्टीट्युशन में । सब में अन्तर है । उनको एक नहीं माना है ।

श्री भैरोंसिंह : इस कालका मेल में कुछ समझ में नहीं आया साहब ।

(हंसी)

श्री भीखाभाई : बैठ जाइये साहब ।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : बैठ जाने से आप रुक जायेंगे ।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह (अध्यक्ष) :

एक माननीय सदस्य : जमाना मेल का ही है ।

(हंसी)

कमिश्नर व जिलाधीश आदि अधिकारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी नियम

६१५. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या कमिश्नर, कलेक्टर, एस. डी. ओ. व एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट आदि के तबादले के सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम हैं ?

(२) कितने कितने ओहदेवार तबादले सन् १९५७ में हुए तथा इसमें सरकार का क्या व्यय हुआ ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) तबादले करने के बारे में कोई विशेष सिद्धान्त निश्चित नहीं हैं । तबादले प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर जनहित में किये जाते हैं ।

(२) केडरवार तबादलों की संख्या निम्न प्रकार है जो कि सन् १९५७ में किये गये हैं ।

आई० ए० एस० २७

आर० ए० एस० १९५

तहसीलदार जिनकी आर० ए० एस० में स्थानापन्न नियुक्ति की गई ४५

व्यय सम्बन्धी सूचना अकाउन्टेन्ट जनरल से प्राप्त की जा रही है । यदि माननीय सदस्य चाहें, तो यह सूचना अगले सत्र में सदन की मेज पर रख दी जावेगी ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसके नियम नहीं हैं, तो क्या यह भी सही है कि

Page No.24

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

यह तहसीलदारों के तबादले होते हैं, वे ढाई ढाई घंटे में हो जाते हैं ?

(हंसी)

अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकरणसिंह ।

अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

६१८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के छात्रों के छात्रवृत्ति के फार्म्स भर कर भेजने की जिम्मेदारी स्कूलों के हैडमास्टरों पर है ?

(ख) यदि हां, तो क्या उनके पास इसके लिये नोटिस भेजे जाते हैं ?

(ग) यदि हां, तो तहसील कोटपुतली में किस किस स्कूल में कब कब भेजे गये ?

(घ) क्या उनका पालन किया गया है ?

(ङ) यदि हां, तो कैसे ज्ञात किया गया कि उनका पालन किया ही गया है ?

(च) यदि नहीं, तो किसने पालन नहीं किया ?

(छ) जिस हैडमास्टर ने पालन नहीं किया क्या उससे इस बारे में जवाब मांगा गया है और आगे के लिये ऐसा न करने के आदेश दिये हैं, जिससे कि छात्रों की मदद में वे बाधक न हों ?

उप समाज कल्याण मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(लगभग एक ही प्रकार का उत्तर प्राप्त होने पर, अट्टहास)

श्री रामकरणसिंह : यह 'क' का जवाब देते हुए माननीय उपमन्त्री ने बताया कि 'नहीं'। तो क्या किसी की जिम्मेदारी भी समझी गई है ?

श्री भीखाभाई : इसमें जहां तक समझने का सवाल है सभी स्कूलों में छात्रवृत्ति के फार्म भेजे जाते हैं और वहां से विद्यार्थी सम्बन्धित हैड मास्टरों से वे प्राप्त करते हैं। प्रति वर्ष वे फार्म भेजे जाते हैं। इनमें जो कॉलम्स होते हैं उनकी पूर्ति करने में हैड मास्टर सहायता देते हैं और फिर वे एसिस्टेंट डाइरेक्टर या सम्बन्धित डिपार्टमेंट को भेज दिये जाते हैं ।

श्री रामकरण सिंह : मेरा प्रश्न साफ है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, उनके फार्म भरने के लिये क्या वहां के स्कूलों के हैड मास्टरों की जिम्मेदारी है क्या ?

श्री भीखाभाई : जिम्मेदारी किसी पर नहीं है। आप और हम पर है। हम मदद

(श्री भीखाभाई)

करके उनके फार्म भरवाए । वैसे जिम्मेदारी छात्रों की स्वयं की है कि वे उन्हें भरकर भेज दें ।

श्री रामकरणसिंह : क्या आप और मेरे भरने पर और उन पर आपके और मेरे साइन होने पर छात्र-वृत्ति दी जा सकती है ?

श्री भीखाभाई : फार्म भरने में आप और हम मदद कर सकते हैं, आप और हम दस्तखत करें यह नहीं है । दस्तखत तो छात्र ही करेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या हैड मास्टर की इस बात की रेस्पोन्सिबिलिटी है कि वह फॉर्म्स को आगे फार्वड करे ?

श्री भीखाभाई : हां, पेश करते हैं छात्र उनको तो हैडमास्टर की यह रेस्पोन्सिबिलिटी है कि वह उनको फॉर्वर्ड करे ।

श्री भैरोंसिंह : उन फॉर्मर्स में यह भी वह देखे कि उनकी एन्ट्रीज़ सही हुई हैं या गलत ?

श्री भीखाभाई : हां, वह देखते हैं पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी-मोटी भूल रह जाती है तो उसकी पूर्ति बाद में करवा ली जाती है ।

श्री भैरोंसिंह : हैड मास्टर के लिये यह भी सर्कुलर इश्यू किया हुआ है क्या कि उनको अपने सामने भरवावें ?

श्री भीखाभाई : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : फिर कैसे कह दिया कि हैड मास्टर की रेस्पोन्सिबिलिटी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भीखाभाई : एक कालम जरूर है सिफारिश करने का, फोर्वर्ड करने का, वह है ।

(हंसी)

ऊन सफाई व कताई केन्द्र

६२५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर में स्थापित ऊन सफाई व कताई केन्द्र पर राज्य सरकार ने अब तक कितना रुपया खर्च किया है ?

(२) उपरोक्त केन्द्र से अब तक प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी आय हुई ?

(३) क्या उक्त केन्द्र अभी तक भी ठप्प पड़ा है और वहां कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ?

(४) उपरोक्त केन्द्र के लिये कितनी रुपये की मशीनें कब खरीदी गई और किस फर्म से ?

(५) उपरोक्त केन्द्र पर प्रतिवर्ष कितना खर्चा हुआ ?

(६) क्या यह केन्द्र किसी सरकारी भवन में है ? यदि हां, तो उस भवन का निर्माण कब और कितनी लागत से हुआ ?

(७) क्या यह सही है कि उस भवन की मौजूदा हालत अत्यन्त शोचनीय है ?

(८) उक्त केन्द्र की इस अवस्था के लिये कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? अपराधी अफसर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(९) इस प्रकार के केन्द्र राजस्थान में और कहां-कहां पर हैं ? उनकी आर्थिक व्यवस्था का व्यौरा प्रस्तुत किया जावे ।

Page No.26

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) जनवरी, सन् १९५८ के आखिर तक कुल १,७०,१८१ रुपये २७ नये पैसे खर्च हुए हैं।

(२) ऊन सफाई व कताई केन्द्र बीकानेर की आय विवरण निम्न प्रकार है :

(क) सन् १९५५-५६ में ६७ रुपया

(ख) सन् १९५६-५७ में २५५ रुपया।

(३) कार्य हो रहा है।

(४) मशीनों के खरीद का विवरण निम्न प्रकार है :

सन् १९५३-५४ में मशीनें ६०५२९) की नेशनल इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन, पानीपत से खरीदी। मशीनें ३००१) गोपीनाथ पतंगवाला, जयपुर से खरीदी गई। मशीनें २००३) १४ आने ट्रेड एण्ड विंग्स, जयपुर से खरीदी गई। सन् १९५४-५५ में मशीनें ६०,५२६-नेशनल इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन, पानीपत १६,२७५) की नेशनल इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन, पानीपत से खरीदी गई।

सन् १९५५-५६ में मशीनें व स्पेअर पुर्जे १६,६१८) के नेशनल इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, पानीपत से खरीदे गये। इस तरह कुल खरीद १,११,४२६) चौदह आने की हुई।

(५) इस केन्द्र के खर्च का विवरण निम्न प्रकार है :

	रुपया	आना	पाई
सन् १९५३-५४	६५,५२९	१४	०
सन् १९५४-५५	३६,५३६	१४	६
सन् १९५५-५६	३८,८८०	५	९
सन् १९५६-५७	२२६३५	१०	०
	६५९८	८	

अप्रेल ५७ से जनवरी ५८ तक। कुल १,७०,१८१ रुपया ४ आने ३ पाई।

(६) हां, यह पुराना भवन है। इसके निर्माण की तारीख व लागत की सूचना इस विभाग में नहीं है।

(७) नहीं, पी. डब्ल्यू. डी. की राय में यह भवन (हैवी मशीनरी) यानी भारी मशीनरी बिठाने के लिये उपयुक्त नहीं है।

(८) यह केन्द्र कई साल पहिले मौजूदा भवन में चालू कर दिया गया था। मगर भवन में क्रैकस (दरारें) आ जाने के कारण पी० डब्ल्यू० डी० ने एक नोटिस द्वारा इस भवन में हैवी मशीनरी चलाने को रोक दिया। इसी कारण यह केन्द्र बन्द करना पड़ा। इसके लिये कोई अफसर जिम्मेदार नहीं है और इसलिये इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस केन्द्र के चलाने के लिये एक नये शेड का निर्माण किया जा रहा है जो जल्दी ही इस महीने के अन्त तक पूरा हो जावेगा।

(९) कहीं नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५३-५४ में इस केन्द्र से कितनी आमदनी हुई ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैंने निवेदन किया, ५३-५४ में इसके तो आंकड़े नहीं हैं मेरे पास। यह जो आमदनी हुई है यह तो ५५-५६ और ५६-५७ में ही हुई है. इसके पहले नहीं हुई।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : ५३-५४ और ५४-५५ में नहीं हुई ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : नहीं हुई।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह केन्द्र कब प्रारम्भ किया गया ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैंने निवेदन किया न कि ५५-५६ में ये मशीनें लगाई गई थीं और ये जहां चालू की गई कि इतने में ही एक दो या तीन दिनों में ही दीवार में क्रेक्स आ गई और इसके कारण इनको चलाना बन्द कर दिया, पी० डब्ल्यू० डी० के इन्स्पेक्शन की रिपोर्ट के आने के बाद। इस कारण अब नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। उसके बनने में भी कुछ दिक्कतें आई, जैसे गर्डर नहीं मिलीं और कुछ सामान देर से मिला। अब कम्प्लीट हो गई है और मशीनें उसमें फिट हो रही हैं, इस वक्त भी फिट की जा रही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो मशीनरी खरीदी गई, इसके लिए कोई टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह अलग प्रश्न है। इसके लिए आप नोटिस देंगे तो इसके बारे में पूरी जानकारी करके बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मशीनरी लगाने से पहले पी० डब्ल्यु० डी० विभाग से इस बात की जानकारी प्राप्त की गई थी कि इस भवन में यह मीशनरी फिट कर दी जाये या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : अमूमन पी० डब्ल्यु० डी० विभाग से जानकारी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कोई अन्देशा नहीं था कि इसको चलाने से उस भवन में क्रेक आ जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : जहां हैवी मशीनरी इन्स्टाल की गई हैं वहां यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि पी० डब्ल्यु० डी० विभाग से इसकी जानकारी प्राप्त की जाये ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि यह कोई हैवी मशीनरी नहीं है। लेकिन उसका वाइब्रेशन इतना हुआ था कि जिसकी वजह से बिल्डिंग में क्रेक आ गया।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या यह बिल्डिंग इतनी खराब थी कि उसमें क्रेक आ गया और कॉन्ट्रेक्टर ने उसे खराब बनाया ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री भैरोंसिंह : मेरा इसमें एक प्रश्न मामूली सा है।

इस फैक्ट्री से प्रत्येक वर्ष में कितनी आमदनी अपेक्षित थी और वह अपेक्षित आमदनी कम क्यों हुई और इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह फैक्ट्री चली नहीं, इसलिए अपेक्षित आमदनी होने का और कितना चाहिए, कितना नहीं इसका कोई सवाल नहीं है। चली इसलिए नहीं कि उसमें क्रेक आ गया। इसके लिए अब दूसरी बिल्डिंग बन रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

६२७. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डीग) : क्या योजना मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर, राजस्थान में व्यय होने वाली रकम में से प्रत्येक जिले पर कितना कितना व्यय करने की व्यवस्था की गई है तथा उसके अनुसार संबंधित जिलों में प्रत्येक वर्ष के लिए विकास अथवा निर्माण कार्य सम्पन्न करने की क्या क्या योजना तैयार की गई है ?

(ख) यदि नहीं की गई, तो प्रत्येक जिले के लाभार्थ निर्धारित रकम का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

(ग) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना निश्चित करली है जिसके अनुसार पूर्वोक्त पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए निश्चित रकम राजस्थान के समस्त जिलों के हितार्थ समान रूप से व्यय की जा सके ?

(घ) यदि हां, तो वह क्या योजना है ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसा करने का इरादा है ?

योजना मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : मैं समझता हूं कि इसका उत्तर कई बार इस सदन में दिया जा चुका है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह समय समय पर निश्चित नहीं किया गया कि प्रत्येक जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो व्यय हो उसकी रकम निर्धारित की जानी चाहिए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह पहले निवेदन किया जा चुका है कि सेक्टरवाइज़ खर्च तय किया गया है, जिलावार नहीं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : इन जिलों में कितना खर्च हो, यह निर्णय हुआ है या नहीं ? यह मामला भी निश्चित हुआ है या नहीं कि प्रत्येक जिले में खर्च होने की रकम यहां निश्चित की जाय ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जी नहीं ।

श्री श्रीभानसिंह : सैक्टरवाइज़ तय करने का क्या आधार है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : आवश्यकता है ।

श्री श्रीभानसिंह : आवश्यकता है । लेकिन सेक्टर की पोपुलेशन ली जाती है या नीड्स ली जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : सेक्टर से मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके बाद में इर्रिगेशन, पॉवर्स वगैरह हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी में प्रत्येक जिले से यह सुझाव नहीं लिया गया कि वहां कितनी कितनी चीजों की और किस किस चीज की आवश्यकता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जी हां, मांगा गया था और जो खर्च कुल मिलाकर के फाइनल शेप में तय हुआ वह जिलेवार तय नहीं हुआ, अलग अलग राशि तय हुई है, अलग अलग सेक्टर में ।

श्री चंदनमल वेद : क्या उनका जिलेवार ब्रेक-अप नहीं किया जा सकता ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सी कमियां रह जायेंगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

Page No.29

बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन

६२६. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन की मैनेजिंग एजेन्सी के शेयर सरकार ने कब खरीदे और उनकी क्या कीमत थी ?

(२) क्या सरकार ने ५ लाख रुपयों का इस दिशा में भुगतान भी किया है ? यदि हां, तो किस किस आधार पर ?

(३) क्या अप्रेल, ५० से ५६ तक डिबेन्चर्स पर लगभग ४ लाख रुपया का ब्याज सरकार को लेना था ?

(४) क्या यह सही है कि इस रकम का रोकड़ भुगतान नहीं हुआ ? यदि नहीं हुआ तो, भुगतान किस प्रकार हुआ; सविस्तार बतावें ?

(५) जिनसे मैनेजिंग एजेन्सी खरीदी गई, उसके शेयर होल्डर्स कौन कौन थे ?

उप-वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) सरकार द्वारा बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीकानेर के मैनेजिंग एजेन्ट्स से २२,६५७ साधारण और ५,५०४ अविमान्य हिस्से जो प्रत्येक ५० रु० के हिसाब के मूल्य के कुल १४,२३,०५० रु० (अभिहित मूल्य) के हैं, ३० जून, १९५६ को खरीदे गये थे।

(२) हां, इन हिस्सों का मूल्य ५ और १० लाख के बीच देना निश्चय किया गया था और श्री ए. पी. जैन, केन्द्रीय खाद्य मन्त्री जिनके निर्णय को दोनों पक्षों ने मानना स्वीकार किया था, द्वारा वास्तविक मूल्यन किये जाने तक इन हिस्सों के विरुद्ध संबन्धित पक्ष को ५ लाख रु० की रकम दे दी गई थी। क्योंकि कम्पनी के माल को देखते हुए कीमत इससे नीचे मूल्यांकित होने वाली नहीं होती थी।

(३) हां, इस अवधि के ब्याज की रकम ४,०५,००० रुपये की थी।

(४) रुपये ५५,१३८, १४ आने की एक रकम मदिरा के बिलों के विरुद्ध, जो सरकार द्वारा कम्पनी को देय थी, समायोजित कर दी गई थी और रु० ३,०८,५५६ रु० ८ आ० ६ पा० की रकम जनवरी, १९५७ में नकद प्राप्त हुई। कम्पनी के अनुसार उसके कुछ बिलों का भुगतान करना अभी भी शेष है, जिनके विरुद्ध ४१,३०४ रु० ९ आ० ६ पा० की शेष रकम समायोजित की जायेगी, जिसके लिए कार्यवाही की जा रही है।

(५) यह एक प्राइवेट कम्पनी है और इस सम्बन्ध में सूचना का सरकार से संबन्ध नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या ये शेयर्स खरीदने से पहले गवर्नमेंट ने उनकी मार्केट प्राइस एसर्टेन की थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि इस मार्केट प्राइस के एसर्टेन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, जब कि एक आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया था और यह कह दिया गया था कि पांच से दस लाख के बीच में जो भी निर्णय करेंगे वह दे दिया जायेगा।

श्री श्रीभानसिंह : What was the basis of the decision; whether it was prevalent market price of shares of just imagination ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : In fact the company was purchased. Until

Page No.30

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

and unless we purchase the shares of Managing Agents for certain amount. how would it be possible for the Government to run it ?

श्री भीमानसिंह : But how did the Government come to the conclusion that the shares are worth certain amount, that is what I want to know ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : Their assessment was there already, property was there and the porperty was ascertained that it is not less than 5 to 10 lacs. After all in a public limited company the balance sheets are being prepared and assets valued.

श्री पी० के० चौधरी : इसका जो वैल्युएशन आपने किया, वह असेस कैसे किया, यह सवाल पूछा जा रहा है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : Not book value, but on the balance sheet-on the audited balance sheet of the company.

श्री पी. के. चौधरी : इसका मतलब यह है कि आपने बुक वेल्यु पर लिया है, एक्चुअल वैल्युएशन नही किया ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : That means we are purchasing the whole of the company intact for about, between, 5 to 10 lakhs of rupees.

श्री तनसिंह : आपने यह क्या कन्सीडर किया था कि जिस समय शेयर्स खरीदे उस समय मार्केट में इनकी क्या कीमत थी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि शेयर्स की मार्केट के अन्दर क्या वैल्यु थी, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। इस वास्ते नहीं उठता कि मैनेजिंग एजेन्ट्स के पास में उस कम्पनी को ऑपरेट करने के लिए मैनेजिंग एजेन्ट्स के शेयर थे और उनको लेना था।

श्री चन्दनमल वेद : क्या सरकार ने यह पता लगाया कि उस समय मार्केट में इन शेयर्स की क्या कीमत थी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं इसमें यह निवेदन कर दूं कि यह दोनों पार्टीज़ के एग्रीमेन्ट से सरकार ने लिया था। वैसे सरकार के पास इसको टेक-ओवर करने का इरादा नहीं था और सरकार ने यह समझा कि यह कन्सर्न सरकार के पास चली गई तो इसमें जो कुछ रुपया बाद में दिया जायगा उसमें सरकार को घाटा नहीं होगा और एक्सपीरियेन्स हुआ उससे यह स्पष्ट है कि पांच से दस लाख रुपये के बीच में देना निश्चय किया था। बाद में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के जो फूड मिनिस्टर थे, उनको यह रेफर किया गया और वहां से एक्सपर्ट्स भेजे गये और जो कुछ राजस्थान सरकार ने तय किया वह एम्पली जस्टीफाइड है कि पांच लाख रुपया पे किया जाय और ८ लाख और कुछ रुपया जो एक्सपर्ट्स आये थे, उन्होंने देना तय किया और जो लिया गया उसका परिणाम यह हुआ कि हर वर्ष उससे कुछ लाख रुपये का बराबर लाभ होता रहा। सरकार यह समझती है कि जो कुछ सरकार ने किया वह जस्टीफाइड था।

श्री पी० के० चौधरी : Valuation was done on the purchase Price...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.६ म० प०

अनुदानों की मांगों पर मत-दान

श्री अध्यक्ष : आज से अनुदान की मांगों पर बहस व मतदान होगा । ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक दिन में कम से कम एक मांग जरूर तय हो जाय । आज मांग संख्या ३२ ली जायेगी । बहस की व्यवस्था इस तरह से है कि पहले मन्त्री महोदय मांग को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद में जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव भेजे हैं वे उन सब प्रस्तावों को पेश करके उन पर बोलेंगे । कटौती प्रस्ताव पेश करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसे दोहरायें । कटौती प्रस्ताव को बिना बोले ही, माननीय सदस्य, उस पर अपना भाषण शुरू कर सकते हैं । ३ बजे तक जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव भेजे हैं उनके भाषण होंगे और ३ से ४ बजे तक मन्त्री महोदय की तरफ से उनका जवाब आयेगा और ४ से ४।। बजे तक अगर आवश्यकता हुई तो जिन माननीय सदस्य का कटौती प्रस्ताव है, उनको प्रत्युत्तर देने का मौका दिया जायेगा और उसके बाद में मतदान होगा ।

(१२.१०. म० प०)

मांग संख्या ३२, सिंचन, नौ–चालन इत्यादि

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मन्त्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट–बन्धन इत्यादि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,९४,०३,००० रु० तक की धनराशि प्रदान की जावे ।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस मांग पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

रावराजा श्री सरदारसिंह (१५०) :
1. "That the demand No. XXXII, Major head 68-Construtction of Irrigation etc. be reduced by Rs. 1/- (to discuss delay in execution of Galwa Project)."

श्री सोहनलाल भटनागर (१६१) :
2. "That the demand No. XXXII, Major head 68 -Construction of Irrigation, Navigation, Embanment and Drainage work be reduced by Rs. 1/- (to discuss the high irrigation rates charged from works constructed after 1952)."

9. "That the demand No. XXXII, Major head 68-Construction of irrigation, Navigation, Embankment and Drainage etc. be reduced by Re. 1/- (to discuss the problem of seapage in Jaisamand Canal area)."

१४. "मांग संख्या ३२ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण में से १) रु० कम कर दिया जाय (सरकार की लघु सिंचाई योजनाओं से सुधार कर नहीं लेने पर विचार करने के लिये) ।

१५. "मांग संख्या ३२ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण में से एक रु० कम कर दिया जाय (लघु सिंचाई योजना को महत्व नहीं दिया गया है इस विषय पर विचार करने के लिये)–

श्री बहादुरसिंह (१०) :

३. "अनुदान संख्या ३२ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण में से १००) रु० कम कर दिये जायें (धौलपुर डांग क्षेत्र के खारों के बांध बांधने पर विचार करने के लिये)"।

श्री मूलचन्द डांगा (१०३) :

४. "अनुदान संख्या ३२ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन आदि में से १००) रु० कम कर दिये जायें (गांव दूधिया, दून्डरोकों की ढाणी, ढावर तहसील पाली आदि गांवों को सरदार समद बांध से पानी बिल्कुल नहीं मिलने से किसानों को हजारों रुपयों के नुकसान पर विचार करने के लिये)"।

"६. मांग संख्या ३२ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ६८–सिचन, नौचालन आदि में से १००) रुपये कम कर दिये जायें (समय पर हेमावास बांध से पाली तहसील के भाडाई, चौटिला खुंडावास विटठू आदि गांवों को पानी नहीं मिलने से लाखों रुपयों की हानि पर विचार करने के लिये)" !

श्री रामेश्वरदयाल (१२३) :

5. "That the demand No. 32, Major head 68-Construction of Irrigation Projects etc. be reduced by Rs. 100/- (to discuss failure of Government to construct and repair minor irrigation works in Kota Division.)"

श्री पी० के० चौधरी (१२१) :

7. "That the demand No. 32 Major head 68-Construction of irrigation projects etc. be reduced by Rs. 100/- (to discuss mismanagement in the construction of Gudha Project, resulting in its repeated breaches)."

श्री रामकरणसिंह (१३४) :

१०. "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण में १) रु० मात्र की कटौती की जाय (तहसील कोटपुतली में इस विभाग की ओर से निराशाजनक कदम रहा इस बारे में वाद–विवाद करने हेतु) ।"

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (६५) :

११. "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण में १००) रु० की कटौती की जावे (राजस्थान कैनाल के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करने के लिये)" ।

१२. "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण में १००) रु० की कटौती की जावे (जवाई बांध से जल वितरण में अव्यवस्था पर विचार करने के लिये) ।"

१३. "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन तथा जल निकास निर्माण में १००) रु० की कटौती की जावे (सरकार की लघु सिंचाई योजना पर विचार करने के लिये) ।"

श्री मनोहर कोठारी (६५) :

16. "That the demand No. 32, Major head 68-Construction of Irrigation Projects etc. be reduced by Rs. 1/- (To dicsuss the delay caused in the construction of the Khari feader to Rajasamand.)"

श्री भीमसेन (१७) :

17. "That the amount of the demand No. 32, Major Head 68-Construction of Irrigation Projects etc. be reduced by Rs.

(श्री भीमसेन)

100/- (to discuss Rajasthan Canal Project.)"

श्री दयाकृष्ण विजय (३४) :

१८. "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ८० (क)-में १००) रु० की कटौती कर दी जाये (कोटा सिंचाई बांध के निर्माण में हो रही गलतियों पर वाद विवाद करने हेतु)" ।

श्री श्योपतसिंह (१५५) :

२०. "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण में १) रु० की कटौती कर दी जावे (सरकार के ठेकेदारी सिस्टम से राजस्थान कैनाल पर काम करवाए जाने पर आलोचना हेतु)" ।

२१. "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन, नौचालन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण में १) रु० की कटौती की जावे। (नहरों के मोघों के सिस्टम में तथा नहरों के टूटने में विभाग की लापरवाही पर आलोचना करने हेतु)" ।

डॉ० चन्द्रकला (२७) :

२२. "मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (छोटी सिंचाई योजनाओं पर सरकार द्वारा अधिक ध्यान न देने पर विचार करने हेतु)" ।

२३. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन नौचालन, तट बन्धन तथा जल निकास निर्माण में एक रुपये की कटौती कर दी जाय (नारी के नाके के बंध की सुरक्षा के संबंध में वाद विवाद करने हेतु)" ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (२२) :

२४. "मांग संख्या ३२ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिये जायें । (बसवा तहसील में नदी सावों पर गादरवाड़ा के नजदीक लघु सिंचन कार्य योजना में प्रस्तावित बांध बनाने में असफल रहने पर विचार करने के लिये)" ।

२५. "मांग संख्या ३२ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ६८- सिंचन, नौचालन आदि में से १००) रु० कम कर दिये जायें (बसवा तहसील में एक भी लघु सिंचन कार्य न बना सकने पर विचार करने के लिये) ।"

श्री श्रीमानसिंह (१६२) :

184. "That the Demand No. 32, Major head 68-Construction of Irrigation etc. be reduced by Rs. 1/-(To discuss the. Development of minor Irrigation works)."

185. "That the Demand No. 32, Major head 68-Construction of Irrigation etc. be reduced by Rs. 1/- (To discuss the inability of Govt. to repair and maintain Irrigation Bunds in Rupbas Tehsil)."

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या ३२, मेजर हैड ६८.......

श्री अध्यक्ष : आप इसको रिपीट न करें। अपना भाषण शुरू करें। लिस्ट नं० १, सीरियल नं. १ ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कटौती प्रस्ताव इस वास्ते रखा है कि मैं आपके द्वारा, जो मेरे क्षेत्र में काम हो रहा है, वह किस तरह से हो रहा है,

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

उस पर प्रकाश डालूं और हाउस इसको ध्यान में रखे कि वाकई उनके साथ में क्या बर्ताव किया जा रहा है।

यह जो गलवा प्रोजेक्ट का काम है अव्वल तो बहुत बड़ा काम है और अगर यह सीधा गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती तो इस टाइम शायद मेरी कॉन्स्टिटुएन्सी में यह होने वाला नहीं था, क्योंकि आज दिन तक राजस्थान बने हुए १० साल हो गये, सिवाय इस गलवा प्रोजेक्ट के मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी में दूनी, नजीदाबाद, तमाम जितनी भी जगह हैं वहां इसके अलावा कोई ऐसा बड़ा कार्य हो रहा तो मुझे एग्ज़ाम्पल बताया जाय। यह भी क्यों हुआ, इसकी वजह है कि जब ठिकाना था उस वक्त ठिकाने ने एक ओवरसियर इंगलैंड रिटर्न को बुलाकर एक साल भर के लिए रखा और इस गरज से रखा था कि जितना भी ३०० स्क्वायर माइल का एरिया है उसमें कितना पानी वेस्ट जाता है और कितना वह काम में आता है, इसका एक सर्वे करे और सर्वे करके अपनी राय जाहिर करे कि कहां कहां क्या २ बांध बनाये जा सकते हैं। जब उन्होंने यह तमाम बातें अपनी रिपोर्ट के साथ में पेश कीं तो मुझे लगा कि उस वक्त लाला भगवानदास और शेषगिरी राव जब बनास प्रोजेक्ट, बिसलपुर प्रोजेक्ट के सर्वे के लिये गये, उस वक्त में उस प्रोजेक्ट को मैंने हैंएड ओवर किया और उस वक्त रिक्वेस्ट की कि ८ लाख का बहुत बड़ा यह प्रोजेक्ट है और ठिकाने की ऐसी हालत नहीं है, इसलिये गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में ले ले तो बहुत अच्छी बात है। तो उस वक्त में उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मंजूर करके मेरे यहां से उसकी फाइल ले ली। उसके बाद में उन्होंने उसका बाकायदा सर्वे करवाया और सर्वे करवाने के बाद इसके अन्दर उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़े प्रोजेक्ट का प्लान बनाकर २०–२१ लाख का प्रोजेक्ट बनाया और १२ हजार एकड़ जमीन में काश्तकारों वगैरह के पानी के लिए बनाया और २–३ जगह इसके मौके टांके, वह उपयुक्त नहीं हुआ और उनियारे से एक मील के ऊपर जाकर शायद जब वे चले गये उसके बाद में ५३–५४ में जाकर काम शुरू हुआ। अध्यक्ष महोदय, एक दो साल इसका काम बराबर अच्छी तरह चला। उसके बाद में ही डेढ़ साल तक इसका काम, माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि ठेकेदार की मृत्यु की वजह से बन्द हो गया; ठीक है, उसके मरने के बाद में जो बन्द हो गया इसके लिए निवेदन करने पर टेन्डर मंगाये गये। तो एक दफा जो टेन्डर मंगाए तो वह १० पर्सेन्ट हाई गये। फिर वापिस चालू किया गया तो टेन्डर बाद में बड़े हाई आये, फिर उसके बाद में दूसरा टेन्डर मंगाया गया तो २० पर्सेन्ट हाई गया। उन्होंने कहा कि यह भी टेन्डर हाई है। मैंने जाकर कन्सर्न्ड ऑफिसर से निवेदन किया कि ज्यों ज्यों टेन्डर मंगाये जायेंगे त्यों त्यों हाई चलते जायेंगे। चुनाचे पहले जो हाई था उससे भी हाई होकर उसका टेन्डर हुआ बतलाया है, यह मैंने सुना है। डेढ़ साल के अर्से से स्टाफ वहीं का वहीं मौजूद है। मुझे तहकीक मालूम नहीं है कि कार्य शुरू हुआ है या नहीं। लेकिन डेढ़ साल से स्टाफ वहीं का वहीं बना हुआ है। उस स्टाफ के लिए मैंने सवाल किया कि यह स्टाफ यहां का यहां बना हुआ है। काम में लगाओ तो ठीक है और अगर काम में नहीं लगाना चाहते हैं तो स्टाफ को दूसरे काम में एम्प्लॉय करो या और किसी दूसरी जगह भेजो। आखिर नहरों का काम चालू करना तजवीज किया, तालाब का

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

काम बन्द रहा। नहरों का काम जारी किया तो काश्तकारों की जो जमीनें हैं, बेचारे खेती के अन्दर बैठे २ तमाम स्टाफ क्या करें तो वे वहां जाते हैं और खेतों के अन्दर डोरी डालते हैं और डोरी डालकर, अध्यक्ष महोदय, खेत वालों को धमकियां देकर कि हम नहरें डाल रहे हैं, तो बेचारे अगर गर्म करें उनकी जेबें तो बचा दिये जायं और उसके बाद जो अकड़े रहें तो बेचारों के खेतों के अन्दर बुरा दिया जाय। तो मैंने एक क्वेश्चन भी किया था, तो उसमें माननीय मंत्रीजी ने यह बताया कि हम यहां की जमीन की नाप तोल करके रेवेन्यु डिपार्टमेंट को भेज देंगे, लेकिन आज दिन तक बेचारे काश्तकारों को वह जो जमीन ३०० एकड़ या न मालूम कितनी एरिया में है उस पर बराबर हासिल लग रहा है और अभी तक उनको न तो कम्पेन्सेशन मिला है और न उनको गज़ट के अन्दर एक्वायरमेंट का नोटिस दिया है और बराबर अभी तक गेहूं, चनों की फसलों के अन्दर, उनके अन्दर, नहरें खोदी जा रही हैं। बान्ध का काम ज़ारी नहीं है, और नहरों का काम जारी है, और इस वक्त वही फेसिलिटीज़ मोटरों की आज भी मोजूद हैं। साइकिलें भी मौजूद हैं और मोटर साइकिलें भी मोजूद हैं, मगर मेरी समझ में नहीं आया कि करते क्या हैं? जब गलवा का काम शुरू नहीं हुआ तो क्या बात है?

तो, माननीय अध्यक्ष, इस तरह से दो, दो वर्ष हो गये हैं और मेरे यहां की गलवा के बान्ध के अन्दर बहुत सी जमीनें आगई हैं और आज दिन तक उसका कोई कम्पेन्सेशन नहीं मिला है और न उनको बसाने की कोई व्यवस्था की गई है। कई दफा बान्ध के ऑफिसर के पास चले गये हैं और कई दफा कलेक्टर से मिल चुके हैं, बल्कि यहां से जो ऊपर से कुछ ऑर्डर जाते हैं तो कहा जाता है, वहां के ऑफिसर लोग कहते हैं कि जाओ वहां से ले लो। इसलिए अगर यह कागजात जो इर्रिगेशन से तय होकर कम्पेन्सेशन के लिए रेवेन्यु मिनिस्टर साहब के पास गये हैं तो रेवेन्यु मिनिस्टर साहब कृपा करेंगे... ...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): नहीं आये।

रावराज श्री सरदारसिंह: नहीं आये हैं तो इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कागज़ात को वहां पर भेजें और भेजकर व्यवस्था करें और तावक्त व्यवस्था न करें तो कम से कम लगान तो नहीं लिया जाय, जो जमीनें डूब में आ गई हैं और जिन जिन में नहरें खोदी जा रही हैं। (घंटी) इसलिए मैं आयन्दा के लिए बहुत ही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इसका काम जल्दी ही चालू करवा दें। वह गवर्नमेंट के हित में फायदा है और प्रजा के हित में फायदा है। आयन्दा बरसात आने पर ८ लाख रुपये लग चुके हैं तो वह बरबाद चले जायेंगे और माननीय मन्त्रीजी ने मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे आदमी वहां पर नियुक्त करने चाहिए कि जो उस काम को दिल से करें; टैकनिकल हैण्ड हों, ऐसे आदमी मुकर्रर करेंगे जो इस काम को ठीक चलायें और माननीय मन्त्रीजी भी जाकर सम्हाला करें। क्यों कि अध्यक्ष महोदय का आदेश हो गया है इसलिए यही निवेदन करना है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष, इर्रिगेशन की मांग पर सुझाव के रूप में मेरे ४ कटौती प्रस्ताव हैं। मेरा पहला कटौती प्रस्ताव लिस्ट नं० १ के

(श्री सोहनलाल भटनागर)

आइटम नं० २ पर है। यह सब को विदित है कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है। प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कम से कम ४७ पर्सेन्ट रकम सिंचाई के लिये रखी गई थी और उसके अन्तर्गत लाखों बीघा जमीन की सिंचाई हुई। साथ ही द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी इरिगेशन पर काफी खर्चा किया गया है; इसके साथ साथ अपने प्रदेश के आर्थिक साधन कैसे बढ़ें, यह एक समस्या है। मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के सामने सिंचाई के साधन बढ़ाने के लिये खर्चा करने की समस्या है; इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि काश्तकारों के सामने खास समस्या क्या आई? राजस्थान को बने हुए ६ वर्ष हो गये हैं। इससे पहले अलग अलग रियासतों में अलग अलग सिंचाई की दरें चल रही थीं और अभी एक नया सर्कुलर १८-१-५६ को राजस्थान सरकार का निकला जिसमें यह बताया गया कि सन् ५२ के बाद में जितनी सिंचाई हुई उसकी दर गेहूँ के लिये १० रु० पर एकड़, चना के लिये ७ रु० पर एकड़, जौ के लिये ८ रु० पर एकड़ इस तरह से दरें लागू की गईं। बावजूद इसके कि दूसरी दरें जो पहले से चली आ रही हैं, वे वही रखी हैं। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कुछ स्पष्टीकरण किया था और इस पर प्रकाश जरुर डाला था कि नयी दरें लगाने के कारण यह वसूली ठीक नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण यह है: "estimates could not be worked upto for want of full development of irrigation and non-recovery of a portion of the dues in the old as well as new areas. As a result of investigation made it has transpired that people are objecting to pay irrigation charges at enhanced rates in respect of new areas as in the adjacent old areas, the rates are low."

इसके साथ ही आगे यह कहा कि इनको रेशनेलाइज़ किया जायगा, तब यह आशा हुई कि दरें अवश्य कम की जायेंगी। लेकिन आगे पेज २५ पर ८ लाख रुपये रेशनेलाइज़ करने की वजह से आमदनी में बढ़ौतरी बतायी गयी है। अध्यक्ष महोदय, यह देख कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। यह जो वर्किंग है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले पुरानी जितनी भी कॉवेनेन्टिंग स्टेट्स थीं और उनमें जो दरें प्रचलित थीं उनका मुकाबला सन् ५२ की रेट्स से करें और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेशों में जो रेट्स प्रचलित हैं उनसे मुकाबिला करें तो माननीय अध्यक्ष, सिद्ध होगा कि जो पहलेवाली रेट्स हैं वे और जो दूसरे प्रदेशों में रेट्स हैं वे रिवाइज़्ड रेट्स के मुकाबिले में रुपये में ३ आ, ४ आ, ५ आ के बराबर हैं। इसी तरह जो दूसरे प्रदेश की रेट्स हैं वे भी काफी कम हैं। उदाहरण के लिये सारे स्टेट्स की रेट्स यहां निवेदन करके हाउस का समय बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन कुछ उदाहरण जरूर प्रस्तुत करूंगा; जैसे ले लीजिये, "Statement showing the water rates of former Udaipur State", वहां खालसा में २ रु० लिये जाते थे और जागीर एरियाज़ में ४ रुपये इसी तरह "Irrigation rates in former Bikaner States" गेहूं ६ रु० इसी तरह फ्लोविंग वाटर रेट्स ४ रु० ६ आ० प्रति एकड़। इसी तरह से गंग केनल एरिया में ५ रु० ५ आ० प्रति एकड़ की रेट थी। इससे साफ प्रतीत होता है कि पुरानी रेट्स नयी से लगभग आधी थीं।

इसी तरह यदि हम पंजाब, मध्य भारत

(श्री सोहनलाल भटनागर)

और यू. पी. वगैरह में प्रचलित रेट्स की तुलना हमारे यहां से करें तो विदित होगा कि वहां भी रेट्स हमारे यहां की रेट्स की बनिस्बत काफी कम हैं। मैं तालिका पर सदन का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहां की कोवेनेन्टिंग स्टेट्स और एड-जोइनिंग पंजाब, मध्य भारत आदि में काफी कम रेट्स हैं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि रेट्स मुकर्रर करते समय सबसे बडा सवाल जो सामने आता है वह है प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड और काश्तकारों को कितना लेबर खर्चा करना पड़ता है और सोर्सेज़ ऑफ वाटर सप्लाई क्या हैं ! वाटर सप्लाई के सोर्सेज़ पेरेनियल हैं या नोन पेरेनियल हैं। इन बातों को हमें देखना पड़ेगा क्योंकि पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर सप्लाइ हो; जैसे भाखरा, चंबल आदि वहां ज्यादा रेट्स हो सकती हैं लेकिन माइनर इर्रिगेशन वर्क्स के लिये यह रेट मुकर्रर की जाय तो उचित नहीं है। यह सब वर्षा पर आश्रित है। कभी वर्षा ज्यादा होगी तो पानी काफी मिलेगा और वर्षा कम होगी तो पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसी हालत में इतनी अधिक रेट्स लगाने से काश्तकारों पर बहुत अधिक भार पड़ रहा है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि फूड ग्रेन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से, दूसरी सरकारों की ओर से और पंडित जवाहर-लालजी नेहरू ने यह कहा है कि बड़ी-बड़ी योजनाओं पर इतना अधिक खर्चा करें तो पैदावार बढ़ाना भी जरूरी है, पैदावार बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि जो दरें प्रच-लित करते है, वे अगर ज्यादा होंगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। वित्त मंत्रीजी ने भी बताया था कि आमदनी नहीं बढ़ने का कारण यह है कि दरों में काफी बढ़ोतरी हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दरें मुकर्रर करते समय किसानों को कितनी मजदूरी लगती है, उसको और उनकी भूमि समस्या को और सोर्सेज़ ऑफ वाटर सप्लाई को देखना जरूरी है। इन सबको देखते हुए दरें रखी जायं और साथ ही देश को आम समस्या है उनको भी ध्यान में रखना जरूरी है। किसानों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बई प्रान्त में राज्य सर-कार ने इर्रिगेशन की दरों में काफी कमी की और प्रथम वर्ष में माफ कर दी। इसका मुख्य कारण यह है कि इर्रिगेशन को प्रोत्साहन मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रकट करता हूं कि सरकार कृपा करके आज्ञा संशोधित कर देगी। लेकिन एक बात यह है कि नये टैक्स उसी जगह लिये जायं जहां बारानी और चाही लगान है, वहां चार-पांच रुपये पहले से ही लगान लगा हुआ है। मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि माइ-नर इर्रिगेशन के जो क्षेत्र हैं वहां एक फसल नहीं होती है। वहां पर जब वर्षा होती है उसी के अनुसार सिंचाई होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहरों से जहां सिंचाई होती है वहां २ फसलें जरूर होती हैं, लेकिन दूसरी जगहों पर ऐसा नहीं होता और जब वर्षा होती है तो इर्रिगेशन हो जाता है। इतनी बढ़ी हुई दरें लगाने से काश्तकारों पर भार जरूर होता है। मैं आशा करता हूं इर्रिगेशन मिनिस्टर साहब इस ओर ध्यान देंगे और पहले की रेट्स से अधिक बढ़ाने का नहीं सोचेंगे बल्कि सन् ५२ में रेट्स थीं उनसे घटायेंगे अवश्य।

क्या मैं दूसरे कट मोशन पर भी बोल सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष : दूसरे पर भी बोल लीजिये।

श्री सोहनलाल भटनागर : (जारी) माननीय अध्यक्ष, मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है वह लिस्ट नं० १ के आइटम नं० ६ पर है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे राजस्थान में जयसमंद झील एक सब से बड़ी झील थी, उसी प्रकार से इर्रिगेशन के लिये इसका उपयोग करने की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन राजस्थान सरकार ने अवश्य इस ओर ध्यान दिया जिसके लिये मैं उनको अवश्य धन्यवाद देता हूं। राजस्थान सरकार ने नहरें बनाकर काश्तकारों की समस्या को दूर करने में काफी योग दिया है और इस वर्ष ३० हज़ार एकड़ में सिंचाई हो रही है। इसके साथ ही एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां सीपेज बहुत बढ़ गया है और उस सीपेज की वजह से हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो रही है। इसके बारे में यदि निवेदन किया जाता है तो इन्जीनियर कहते हैं कि पक्का नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें काफी खर्च होता है। मैं मानता हूं कि अगर नहरें पक्की बनायी जायंगी तो उसमें काफी खर्च करना पड़ेगा और उससे रिटर्न कम होगा, ऐसी सूरत में वह काम नहीं हो सकता है। यह सीपेज की समस्या राजस्थान की समस्या नहीं है। मेरे ख्याल से पंजाब में भी एक कमेटी बिटाई है इसके बारे में। तो एक तरफ इस खाद्य समस्या को निपटाने के लिये समस्त क्षेत्र में एक परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होती है। जहां सिंचाई का काम हो रहा है, वहां सीपेज बढ़ जाय तो हजारों बीघा जमीन बरबाद हो जायगी। इस प्रकार एक समस्या हमारे सामने आ खड़ी होती है। जब नहरों का निर्माण होता है तो उसमें कितना क्युसेक पानी जायेगा, इसके अनुसार नहर की चौड़ाई ली जाती है लेकिन सीपेज से पानी निकलने लगता है, इस कारण पानी में कमी होती है और उससे सिंचाई में कमी हो जाती है। अभी जैसा मैंने निवेदन किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयसमन्द कैनाल से ३०,००० एकड़ की सिंचाई होती है, लेकिन सीपेज से १/३ पानी बह जाता है, इतना पानी नदी में बह जाता है। इस कारण दो हजार बीघा जमीन सूख गई है, इसका खास कारण सीपेज था। एक कारण पानी की कमी हो सकती है लेकिन खास कारण सीपेज का है। जो प्रतिशत पानी निकलने के तखमीने में लिया गया, उससे ज्यादा निकल गया और उसकी वजह से फसल सूख गई। मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि रिटर्न देखा जाता है, तखमीना देखा जाता है लेकिन जिस चीज़ को खाद्य समस्या में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है उस चीज को देख कर, यदि सिंचाई का एरिया बढ़ाने के साथ ही साथ, दूसरी जो समस्या उत्पन्न हो, उसके लिए मैं निवेदन करूंगा, कि उसकी ओर ध्यान दें ताकि किसानों की भूमि बरबाद न हो और खाद्य समस्या को सुलझाने में सफलता मिल सके।

तीसरा कटौती प्रस्ताव, माननीय अध्यक्ष महोदय, बैटरमेंट लेवी के सम्बन्ध में है। मैंने सुझाव दिया है कि माइनर इर्रिगेशन वर्क पर बैटरमेंट लेवी नहीं लेनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन में बैटरमेंट लेवी का अधिनियम पास किया गया था, इसके लिए जो सिलेक्ट कमेटी बनी थी, उसमें मैं भी था, उस वक्त जो माननीय सिंचाई मंत्री महोदय थे, उन्होंने यह स्पष्ट तौर से आश्वासन दिया था कि बैटरमेंट लेवी है वह छोटे कार्यों पर नहीं ली जायगी और

(श्री सोहनलाल भटनागर)

केवल बड़े-बड़े कार्यों; भाखरा, चम्बल जैसे बड़े कार्यो पर ली जावेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि यदि सिंचाई साधनों को बढ़ाना है तो उसके साथ ही हमें यह देखना होगा कि यदि राज्य के सिचाई साधनों को बढ़ाना है तो बैटरमेंट लेवी होगी, यह बात अवश्य है लेकिन बैटरमेंट लेवी लगाने के लिए जो क्राइटेरिया रखा जाता है, जो सिद्धान्त रखा गया है, उसके बारे में अवश्य गौर करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जमीन की कीमत ज्यादा नहीं है, जहां पानी काफी चला जाता है, वहां अगर सूखी जमीन है, वह भी खेती से लहलहाने लगती है और किसानों पर बहुत बड़ा भार नहीं पड़ता, अगर बैटरमेंट लेवी लगा दी जाय। ऐसे क्षेत्रों में जहां पहले से अच्छी फसल हो रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा जहां पहले से ही जमीन की कीमत काफी थी और सिंचाई के साधनों की वजह से बहुत ज्यादा कीमत नहीं बढ़ी है, इससे किसानों का हित होता है, लेकिन अगर वहां बैटरमेंट लेवी नहीं लगे तो ज्यादा हित हो सकता है। जो बैटरमेंट लेवी लगेगी, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि एक हजार एकड़ जमीन का कोई क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। कभी एक हजार है तो कभी ५०० भी हो सकती है। इस दृष्टि से मैंने, दूसरा कारण निवेदन किया कि जो माइनर इर्रिगेशन वर्क्स हैं, वे ऐसे क्षेत्र में होते हैं, जहां वर्षा का प्राबल्य होता है, इस वजह से भूमि की काफी कीमत होती है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक हजार एकड़ के सिद्धान्त को हटा दिया जाय और एक मोटा सिद्धान्त यह रखा जाय कि बैटरमेंट लेवी माइनर इर्रिगेशन वर्क्स से नहीं ली जायगी। मीडियम इर्रिगेशन १० हजार एकड़ तक हो सकते हैं, इन पर भी ज्यादा खर्च होता है। इसलिए मेजर इर्रिगेशन वर्क्स पर लें, जिनके लिए पेरेनियल वाटर का सोर्स हो सकता है। जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, अध्यक्ष महोदय, माइनर इर्रिगेशन के लिए पेरेनियल वाटर का सोर्स नहीं होता है और वे वर्षा के ऊपर आश्रित रहते हैं। इस कारण से वहां की भूमि की कीमत ज्यादा नहीं होती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि जो एक हजार एकड़ का सिद्धान्त रखा गया है, उसे हटा दिया जाय और माइनर इर्रिगेशन जो रखे गये हैं, उन पर बैटरमेंट लेवी नहीं ली जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा चौथा कटौती प्रस्ताव है, वह नम्बर १५ है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि हमारे प्रदेश और देश के सामने एक खाद्य समस्या है और इसको सुलझाने के लिए हमारे प्राइम् मिनिस्टर और भारत सरकार प्रयत्न करने में लगी हुई है। यह बात सत्य है कि जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं, जो नदी घाटी की योजनायें हैं, उनसे बहुत वर्षों के बाद लाभ मिलने वाला है। इस कारण आज सरकार लघु सिंचाई के ऊपर ज्यादा बल दे रही है और इसके लिए भारत सरकार ने काफी रकम मंजूर की है। हमें इस बात की खुशी है कि इन दस वर्षों के अन्दर लघु सिंचाई के ऊपर काफी खर्च किया गया है, लेकिन गत वर्ष के बजट को देखें तो उसे देख कर हमें निराशा होगी। क्योंकि एक तरफ भारत सरकार लघु सिंचाई के ऊपर ज्यादा जोर देने के लिए कह रही है, दूसरी तरफ हमारे राजस्थान के अन्दर लघु सिंचाई की मद के अन्दर बचत हो रही है। मैं निवे-

(श्री सोहनलाल भटनागर)

दन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, बजट के अन्दर ७० लाख का एस्टीमेट लघु सिंचाई के लिये रखा हुआ था लेकिन केवल ४० लाख रुपया खर्च हो सका और ३० लाख की बचत हो गई। इस बात को देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ओर भारत सरकार लघु सिंचाई की ओर बल दे रही है और दूसरी ओर राजस्थान सरकार शिथिलता बता रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है कि राजस्थान के अन्दर लघु सिंचाई के जरिये नहीं हैं, या जगह नहीं है जहां माइनर इर्रिगेशन वर्क नहीं हो सकते हैं। आज राजस्थान के अन्दर ऐसे स्थान हैं जहां ठीक तरह से रुपया लगा दिया जाय तो निश्चित रूप से काफी जमीन की सिंचाई हो सकती है। आज इन्जीनियर लोग कहते हैं कि नदी-घाटी योजनाओं के ऊपर इसलिए ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि उसमें सबसे ज्यादा कमीशन मिले और उससे ज्यादा लाभ हो, लेकिन वे लोग लघु सिंचाई की तरफ बिल्कुल तव्वजह नहीं दे रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने एक कदम उठाया है लघु सिंचाई के बारे में, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और वह यह है कि जहां साढ़े चार रिटर्न आनी चाहिये वहां ढाई कर दिया है। जहां कार्य नहीं हो रहे थे वहां कार्य किये जा रहे हैं लेकिन केवल कार्य कर देने से कुछ नहीं होता। जैसा मैंने निवेदन किया अभी भी काफी शिथिलता मौजूद है। कई जगह कार्य काफी हो सकते हैं; जैसे सवाई माधोपुर, उदयपुर डिवीजन हैं, लेकिन इसके साथ ही कोटा डिवीज़न और है, वहां पर माइनर इर्रिगेशन के काम हो सकते हैं जिससे ढाई पर्सेंट रिटर्न स्टेट को मिल सकता है। मैं मानता हूं, अध्यक्ष महोदय, इन कार्यों के लिए सर्वे और इन्वेस्टिगेशन करने लिए दो डिवीज़न्स को मुकर्रर किया गया है लेकिन डिवीज़न मुकर्रर करने के साथ ही, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पर्सोनल के बारे में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। आज ओवरसियर और दूसरा स्टाफ है, वह कन्स्ट्रक्शन वर्क के लिए भेज दिया जाता है और इन्वेस्टीगेशन और सर्वे के लिए ज्यादा स्टाफ नहीं रखा जाता। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि हमारा सिंचाई विभाग इस ओर ध्यान दे और जहां आवश्यकता पड़े, अलग से ओवरसियर आदि माइनर इर्रिगेशन वर्क के लिए रखे, तभी इन योजनाओं पर जोर पड़ेगा और ज्यादा ठीक तरह से कार्य होगा। जो गत वर्ष का रिज़ल्ट है, उसको देखते हुए हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में माइनर इर्रिगेशन के लिए ४० लाख रुपया रखा है। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि भारत सरकार इसके लिए करोड़ों और लाखों रुपया देने के लिए तैयार हैं। आज राजस्थान प्रान्त के अन्दर इन योजनाओं के लिए काफी मौके मौजूद हैं, फिर भी कोई काम कर नहीं पा रहे हैं और इस कारण लघु सिंचाई सम्बन्धी जो रकम है वह लैप्स होती है। इसकी ओर हमारी सरकार तवज्जह नहीं दे पा रही है। इसलिए जब कि भारत सरकार ने दूसरे प्रदेशों को लाखों और करोड़ों रुपया दिया है हमारी सरकार को नहीं दिया है। इन चीजों की ओर मैं सिंचाई मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लघु सिंचाई के लिए जो ४० लाख की राशि रखी है (घंटी) उसको बढ़ाने की कृपा करेंगे और हमारे प्रदेश की बहबूदी को बढ़ायेंगे और इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे....

श्री बहादुरसिंह (धोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ३२ पर मेरा कटौती

(श्री बहादुरसिंह)

प्रस्ताव संख्या ३ है। अध्यक्ष महोदय, यह धौलपुर का डांग क्षेत्र है उसके सम्बन्ध में मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है। इस क्षेत्र की स्थिति का अध्ययन करना राज्य सरकार को परमावश्यक है। इसकी आवश्यकता विशेषकर इसलिये है कि आज हमें राजस्थान की सुरक्षा के नाम पर हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रूपया खर्च करना पड़ता है। मध्य भारत और चम्बल की वेली, जिसकी वजह से, राज्य की सुरक्षा को धक्का पहुंचता है और यह डकैत एरिया हो जाया करता है। वहां के निवासी, अन्न खाने का कोई साधन नहीं हो तो केवल कृषि ही वहां का एक मात्र साधन है पर कृषि योग्य भूमि होते हुए भी, सिंचाई के साधन वहां नही हैं. इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि वहां के खारों को इस प्रकार बांध दें कि उस एरिया की सिंचाई हो सके और इसके लिये ४ खार इस प्रकार के हैं कि अगर उनको बांध दिया जाय तो समस्त क्षेत्र की सिंचाई अच्छी तरह से हो सकती है। ये खारें; रात का खार, राजवल का खार, बीजा का पुरा का खार और कूकपुर का खार हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर हम इन चार खारों को इस प्रकार से बांध देते हैं तो मैं समझता हूं कि वहां की जो सिंचाई की समस्या है वह सुलझ जायगी और वहां लोगों को जीविका के साधन मिलेंगे जिससे आज जिस प्रकार का कार्य करने के लिये वे लोग मजबूरन प्रेरित होते हैं वह कार्य नहीं करेंगे।

यही नहीं वहां के लोगों के लिये अपने पशुओं की चराई की बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाती है, वहां एक चारे की ही नहीं किन्तु जून में गर्मियों की हालत में, वहां लोगों को पीने के लिये पानी भी नहीं मिलता है। अतः राज्य सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस एरिया के इन चार खारों का सर्वे करा कर बंध बंधवा लेती है तो यह क्षेत्र काफी अन्न उत्पन्न करेगा और लोगों की आर्थिक दशा सुधर जायगी।

रात के खार की योजना सरकार के विचाराधीन है और उसकी राज्य सरकार सर्वे करा चुकी है; पर इस क्षेत्र पर रुपया खर्च करने के लिये इस वर्ष किसी प्रकार की योजना नहीं रखी है। तो मैं माननीय सिंचाई मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस योजना को एक स्पेशल योजना समझ कर, विशेष स्थिति को लेकर, राज्य की सुरक्षा के नाम पर इस योजना को ले लेते हैं तो वह निश्चित रूप से लाभप्रद योजना और इस क्षेत्र की शांति पूर्ण व्यवस्था के लिये एक अच्छी योजना मानी जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन सा खार ?

डॉ० बहादुरसिंह : रात का खार, यह रात के खार के नाम से है, मैं आपसे पुनः निवेदन करूं कि इस योजना को इस वर्ष किसी भी प्रकार से ले लें तो यह अत्युत्तम होगा।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी खुद की तहसील का एक आपके समक्ष कटौती प्रस्ताव है। यह ऐसा प्रस्ताव है जिस पर मैं विश्वास करता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री विचार करेंगे। एक तरफ आपने और राज्य सरकार ने पाली तहसील के कुछ गांवों को खारड़ा, डाबर, इन्द्रोखा की ढाणी...ये सारे के सारे गांव हैं इनके लिये रखा है कि इन

(श्री मूलचन्द डागा)

सारे के सारे गांवों की सिंचाई सरदारसमन्द बांध से होती है, दूसरी ओर दरबार के फार्म है, उसको इस बांध से पानी पिलाया जाता है। समय समय पर यह प्रश्न उठता है कि क्या इस बांध का पानी दरबार के निजी फार्म के लिये है या इन गांवों की सिंचाई केलिये है कि जिन गांवों की सिंचाई के लिये इस बांध का निर्माण किया गया था।

जब जोधपुर नरेश और राजस्थान सरकार के बीच एग्रीमेंट हुआ था, उसके आधार पर इन गांवों में कई बार सरदारसमन्द में पानी होते हुए भी पानी नहीं मिलता है। इस साल यह हालत खड़ी हो गई कि सरदारसमन्द में पानी था और कई डेपुटेशन, जितने सिंचाई विभाग के महकमें हैं, इनके पास वह डेपुटेशन पहुंचा और उन्होंने यह बात रखी कि इन हमारे गांवों में सरदारसमन्द के बांध से पानी दिया जाय। एक बात और खूबसूरती की है; इस बांध से जिन गांवों की सिंचाई होती है उसकी रकम सरकार इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने का खर्चा राजस्थान सरकार बर्दाश्त करती है और मेरी समझ में एक एग्रीमेंट के द्वारा हिज़ हाईनेस जोधपुर की पर्सनल प्रोपर्टी होने के कारण, वह रकम उनके पास पहुँचती है और बार बार इस बात की शिकायत होती है कि जिस समय हमारे काश्तकार अपनी अपनी जमीनों को हजारों रुपया लगा कर खाद आदि देकर तैयार कर लेते हैं, पर आखिर में उनको मना कर दिया जाता है कि तुम्हारी जमीन की सिंचाई नहीं होगी। इसका कारण एक यह है कि यदि राजस्थान सरकार और जोधपुर हिज़हाइनेस के बीच एग्रीमेंट हुआ है उसकी प्रतिलिपि न तो काश्तकारों को उपलब्ध होती और न उधर सरकार की ओर से ही निश्चित योजना है कि किस किस हालत में काश्तकारों को उनकी जमीन की सिंचाई के लिये पानी नहीं दिया जायगा।

इस बार भी जब कि दुष्काल का समय है, पाली तहसील के इन गांवों में ४०००० रुपये का नुकसान काश्तकारों को हुआ है। उन्होंने अपनी जमीनों को तैयार किया, जमीनों में खाद दिया और जब जमीनें तैयार होने के बाद सिंचाई का ठीक समय आया तो सरदार समन्द के एडमिनिस्ट्रेटर ने मना कर दिया सिंचाई के लिये, सरदारसमन्द से पानी देने के लिये और राजस्थान सरकार इसके खिलाफ कोई कदम, विचार या योजना नहीं कर सकी। इसका कारण यह था कि सरदार समन्द में कितना पानी होने पर, सरप्लस होने की सूरत में ही काश्तकारों को पानी दिया जायगा। या इस पानी का बंटवारा किस आधार पर होगा यह कोई निश्चित योजना नहीं है। प्रतिवर्ष झगड़ा होता है और आज तक यह झगड़ा नहीं सुलझाया गया है। या तो काश्तकारों को साफ साफ मना कर दिया जाय कि तुम्हें सिंचाई के लिये सरदार समन्द से पानी नहीं दिया जायगा। काश्तकारों की जमीनों को इस बंध के लिये एक्वायर किया गया, न किसी एक्ट के नीचे एक्वायर किया और न उनको कोई कम्पेन्सेशन दिया गया, और इस फार्म को खेती के काम में न लेकर, चराई के काम में लिया जाता है। चराई के पैसे वसूल किये जाते हैं और उस जमीन में सरदार समन्द का पानी देने के लिये, कुछ ऐसे व्यक्तियों को पानी देने के लिये उस पानी का उपयोग किया जाता है और इन गांवों के सारे के सारे काश्तकार महीनों तक राजस्थान सरकार के भिन्न भिन्न महकमों के पास जाते हैं सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर के पास

(श्री मूलचन्द डागा)

और सारे इन्जीनियर के पास जाते हैं और वे अपनी ढिलमिल नीति के कारण काश्तकारों को सही जवाब नहीं देते हैं। इसका कारण है आज राजस्थान में इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा जिन जिन काश्तकारों ने अपनी अपनी शक्ति और ताकत के आधार पर हजारों रुपया लगाया है, उन्हें इस बन्ध से पानी नहीं मिलता है। जो एग्रीमेन्ट हिज़हाइनस जोधपुर और राजस्थान सरकार के बीच हुआ है उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं होती है। मैंने मालूम किया है, उस एग्रीमेंट में यह लिखा हुआ है कि इन गांवों के काश्तकारों को भी इस सरदार समन्द से पानी इसी मात्रा में, इन इन हालतों में दिया जायगा। अगर यह बात है तो उस आधार पर परकाश्तकारों को पानी मिलना चाहिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो रोड्स हैं, जो उस फार्म में से होकर जाती है उनको उन रोड्स पर चलने का अधिकार नहीं है। वर्षा में तो वही एक सड़क रहती है और कोई दूसरा मार्ग नहीं रहता है। बहुत बड़ा फार्म रखा है। काश्तकारों को पानी नहीं मिलता, उससे काश्तकारों की जमीन में सिचाई न होने से धान पैदा नहीं हो पाता। एक सवाल खड़ा किया जाता है कि वहां पर मछलियों को जिन्दा रखने के लिए पानी रखा गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अर्ज करना चाहूंगा कि वे इस प्रश्न को जो पाली के समक्ष हैं और प्रतिवर्ष सिंचाई के समय खड़ा हो जाता है, उसका फैसला करें और यह काश्तकारों की जो समस्या हैं उसका हल करें जो अति आवश्यक है। किसान जमीन को तैयार करता है, मगर समय पर उनको पानी नहीं मिलने से मुसीबत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपकी सेवा में यह बात रखी है।

श्री अध्यक्ष : एक आपका और प्रस्ताव है, वह है नं० ६ हेमावास बन्धे से पानी....

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मारवाड़ में पहले मारवाड़ इर्रिगेशन रूल्स थे। उसके बाद में जब राजस्थान बना उस समय में राजस्थान इर्रिगेशन रूल्स बने और इन रूल्स के आधार पर हेमावास बांध, जिसके लिए मैं प्रस्ताव करूंगा, सरकार ने इसके लिए योजना बनाई कि इस बांध को कुछ ऊंचा किया जाये और १॥ लाख रुपया या २ लाख रुपया खर्च करके बाड़ नदी का जो मोड़ है उसको हेमावास में इस प्रकार से किया जावे कि उससे हेमावास में इतना पानी रह सके कि सारे काश्तकारों को ठीक तरह से पानी का वितरण हो सके। लेकिन इस साल क्या होता है कि जब काश्तकार अपनी जमीन पर काम करता है और उसे कमाता है और उसके बाद सिंचाई के लिए पानी की मांग करता है, उसको पानी समय पर नहीं मिलता। वह पानी की कमी के कारण नहीं बल्कि जिलेदारों के, पटवारियों के कारण और हमारी सरकार की नीति के कारण काश्तकारों को ठीक रूप में पानी नहीं मिलता और आज भी सरकार अगर चाहे तो मौके पर जाकर देख ले। मौके पर जाकर देखने से मालूम हो सकता है कि भाडाई, चोटिला खुणडावास और कुल ११ गांव हैं उनमें ऐसा हुआ है कि वहां पर पानी नहीं मिलने के कारण १० आना, ११ आना फसल हुई है और ६ आना फसल खराब हो चुकी है। इसका कारण यह था कि सरकार ने उन लोगों को आश्वासन तो दिया था कि पानी उनको दे दिया जायेगा, मगर उन लोगों को समय पर पानी नहीं दिया गया। इसके लिये वहां पर न तो कोई इर्रिगेशन कमेटी है, न कोई वहां के लोगों को पूछ कर पानी दिया

(श्री मूलचन्द डागा)

जाता है। छोटे छोटे गांवों में जैसे कुडावास, सैदाडिया आदि में पानी नहीं दिया जाता और जिलेदार और पटवारी जो चाहे वैसा करते हैं क्योंकि वहां पर इरिगेशन कमेटी न होने के कारण ऐसा होता है कि उनको विश्वास तो दिया जाता है कि पानी दे दिया जायेगा, मगर एक दफे पानी दे दिया जाता है और दूसरी दफे भी दे दिया जाता है, मगर तीसरी दफे नहीं दिया जाता और फसल बरबाद कर दी जाती है। इस सिंचाई विभाग द्वारा जो योजना है उससे सारे हमारे पाली तहसील के गांवों में असन्तोष है। जिस समय किसान लोग अपनी जमीन को तैयार करते हैं और उनको समय पर पानी नहीं मिलता तो उनकी फसलें बरबाद हो जाती हैं। कोई कमेटी नहीं है जिसके जरिये वे पानी का प्रबन्ध कर सकें। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर साहब जवाई बांध पर रहते हैं। उनके पास जाने में दो तीन दिन लग जाते हैं। जिस समय पानी वितरित किया जाता है उस समय न तो किसी रिप्रेज़ेन्टेटिव को, न किसी गांव के मुखिया को बुलाया जाता है। इसलिए आज भी जिसको जिलेदार और पटवारी पानी देना चाहें दे सकते हैं और उन लोगों को उसके लिए गांव से आने-जाने और दरख्वास्तें देने में काफी रुपया खर्च करना पड़ता है और इस कारण भी गांव वालों को तकलीफ उठनी पडती है। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जावे और इसको हल करने का यही एक साधन है कि उनको समय पर उनके हिस्से का पानी दिया जाये। इसके अलावा जिस समय माननीय सिंचाई मंत्री ने पाली का दौरा किया और दौरे पर पहुंचे तो उन्हें बताया कि हेमावास के बांध में बाड़ी नदी का पानी मोड़ दिया जावे तो पानी की कमी दूर हो सकती है। आज भी कई काश्तकारों की फसलें पानी नहीं मिलने से बरबाद हुई हैं, उन्होंने जो बीज बोया था उसके पैसे भी उनको नहीं मिले। मैं यह निवेदन करूंगा कि सिंचाई विभाग में यह नियम है कि वहां के अधिकारी जाकर कम से कम देखें कि किन कारणों से काश्तकारों को नुकसान हुआ है और उन कारणों के कारण सरकार उनसे लगान वसूली नहीं करेगी। मगर यह सब पटवारी और जिलेदार लोगों के हाथ की बात होती है, वाटर सोर्सेज़ की नहरें पक्की नहीं होतीं, न उनकी कोई खुदाई है, न मरम्मत है और जो लोग शक्तिशाली होते हैं और मजबूत होते हैं उसका फायदा उठाते हैं। जो ताकतवर होते हैं वे ज्यादा पानी ले लेते हैं और कमजोर काश्तकार बेचारे खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार से सिंचाई विभाग द्वारा जल-वितरण होता है और ठीक तरीके पर नही होता। इसका खास कारण यह है कि सिंचाई विभाग के द्वारा कोई योजना नही है, कोई कार्यक्रम नहीं है, पटवारी और जिलेदारों को पनिश करने का कोई साधन नहीं है। लोग इस कारण से परेशान हो जाते हैं और आज उन काश्तकारों को जिनकी खेतों की सिंचाई इन बांधों से होती है हजारों रुपयों का नुकसान हो रहा है। इसको दूर करने का कोई साधन सरकार के पास नहीं है। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि जो सिंचाई हेमावास से होती है और जो योजना सरकार के पास आ चुकी है कि हेमावास में बाड़ी नदी का पानी ले लिया जावे इससे गांवों की सिंचाई होगी और काश्तकारों की फसलें जो बरबाद होती हैं बरबाद नहीं होंगी; या इन लोगों को मना कर दिया जावे कि तुम्हारे गांव में पानी नहीं दिया जावेगा, ताकि काश्तकार खुद अपने खेतों में कुए आदि खोद कर

(श्री मूलचन्द डागा)

अपना इन्तजाम करें। जो मौजूदा वितरण का ढंग है उससे गांवों में बड़ा असंतोष है और आज भी गांवों में इससे हजारों रुपयों का नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि इसका उत्तर माननीय मंत्री कम से कम देंगे।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष, मैंने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह लघु सिंचाई के नये कार्यों के निर्माण और पुराने कार्यों के सुधार के संबन्ध में प्रस्तुत किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खाद्यान हमारे राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण, गम्भीर और जटिल समस्या है। पिछले कई सालों से निरन्तर यह समस्या अत्यन्त गंभीर रूप धारण करती चली आरही है चालू वर्ष में भी भारत सरकार को लाखों टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ा है। हमारे देश और प्रान्त को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य है कि इस समस्या का जल्दी से जल्दी और अच्छे ढंग से समाधान किया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लघु सिंचाई योजना के द्वारा इस समस्या को हल करने में राज्य सरकार अधिक से अधिक मदद, सहयोग और सहायता दे सकती है। खाद्यान्न मूल्यांकन समिति ने जो अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के सामने प्रस्तुत किया था उसके अन्दर भी उन्होंने लघु सिंचाई योजना के महत्व पर ज्यादा जोर दिया था और यह बताया था कि लघु सिंचाई योजना पर जो खर्च किया जाता है, उसका परिणाम बड़ी योजनाओं पर खर्च की जाने वाली रकम की अपेक्षा अधिक आशाजनक और लाभदायक होता है।

१म० प०

उस प्रतिवेदन के अन्दर उन्होंने आंकड़े भी दिये थे और यह सिद्ध किया था कि बड़ी योजनाओं के लिये जो धनराशि निर्धारित की गई थी उसका ६२ प्रतिशत खर्चा हुआ और उत्पादन के निश्चित लाभ का केवल ४७ प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। लेकिन छोटी योजनाओं के लिये जो धन राशि निर्धारित की गई थी उसका ६२ प्रतिशत खर्चा हुआ और ६२ प्रतिशत उत्पादन बढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस लघु सिंचाई योजना पर हमारी प्रान्त की सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके विस्तार और प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस विभाग के माननीय गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की जो नीति है, वह कोई प्रभावशाली, ठोस और संतोषजनक नहीं कही जा सकती है क्योंकि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जो रुपया इन कार्यों के लिए बजट में निर्धारित किया जाता है उसका भी पूरा पूरा उपयोग सिंचाई के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जा सका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई के लिए बहुत काफी रुपया कई सालों से रखा गया है लेकिन सन् १९५५. ५६ में करीब बीस लाख रुपया लेप्स हो गया और सन् ५७. ५८ के वर्ष में भी करीब तीस लाख रुपया लेप्स हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की नीति दोष-पूर्ण है। पहली बात तो यह है कि व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो रकम निर्धारित की जाती है, उसका पूरा पूरा उपयोग नहीं हो पाता और तीसरी बात यह है कि

(श्री रामेश्वरदयाल)

योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं किया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सिंचाई के साधनों और क्षमता की कोई कमी नहीं है। उदाहरण के तौर पर में सिर्फ कोटा डिविजन की बात कहूंगा कि यह डिविजन राजस्थान का ऐसा भूभाग है कि जिसके अन्दर सिंचाई के कार्य अधिकाधिक हो सकते हैं, जिससे खाद्यान्न का काफी मात्रा में उत्पादन बढ़ सकता है। कोटा डिविजन पर प्रकृति की महती कृपा रही है और फिर चम्बल से नहरें भी निकाली जा रही हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ये नहरें तमाम डिविज़न में नहीं पहुंच पायेंगी। डिविज़न का बहुत सा ऐसा हिस्सा है जो इस नहर से मिलने वाले फायदे से वंचित रह जावेगा। झालावाड़ जिला एक ऐसा जिला है जिसके अन्दर चम्बल की नहरें प्रवेश नहीं होगी। इसी प्रकार बूंदी डिस्ट्रिक्ट की कुछ ऐसी तहसीलें हैं, खास तौर पर नैनवा और हिन्डौली की तहसीलें, जिनमें नहर का प्रवेश नहीं होगा। इसके अलावा कोटा ज़िले में सात आठ तहसीलें ऐसी हैं जिनमें चम्बल नहर का प्रसार नहीं होगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इन क्षेत्रों में जहां नदियां, नाले, जलाशय बड़े बड़े बांध हैं, उनका पूरा पूरा उपयोग किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस डिविजन में वर्षा की औसत भी ३० से ४० इन्च तक है। जो भारी तादाद में पानी इन नदियों और तालाबों में आता है उसका माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग द्वारा पूरा पूरा उपयोग नहीं हो सका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के लिए तीन लाख रुपये मंजूर किये गये थे, लेकिन रुपयों की स्वीकृति अन्तिम समय पर हुई जिसके कारण तमाम रुपया लैप्स हो गया और एक पैसा भी खर्च नहीं हो सका।

इसके अलावा और भी बहुत सी कमियां हैं जिनका जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं। पहली बात तो यह है कि इस डिविजन में जो सिंचाई की व्यवस्था है, वह अपर्याप्त है। जो स्टाफ है वह पूरा नहीं है। प्राविधिक दृष्टि में प्रशिक्षित भी बहुत कम है। काफी संख्या में प्रशिक्षण प्राप्त सर्वेयर्स और ओवरसीयर्स की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस डिविज़न में इनकी भारी कमी होने के कारण लघु सिंचाई के कार्यों का समुचित रूप से विस्तार किया जा सकता है जिससे इस दिशा में संतोषजनक प्रगति करने में राज्य सरकार असफल रही है, ठीक प्रकार से किये जाने वाले कार्यों की जांच नहीं हो पाती और समय पर उनके एस्टीमेंट्स इत्यादि भी तैयार नहीं हो पाते।

१.६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय यहां पर कामों की देखभाल के लिये कर्मचारियों के लिए यातायात यानी ट्रान्सपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। मुश्किल से इस विभाग को एक या दो जीप प्राप्त हैं जो अपर्याप्त हैं। इस डिविजन की आवश्यकता को देखते हुए कई जीपों की आवश्यकता है, जिससे वहां पर सुगमता पूर्वक अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक काम हो सकें। माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का लघु सिंचाई योजना की ओर कम ध्यान होने के कारण पिछले कई सालों से जनता को काफी नुकसान पहुंचा है। इस डिवीज़न में बहुत से तालाब और बांध ऐसे हैं जिनकी अर्से से मरम्मत नहीं हो पाई है। परिणाम यह हुआ कि इस वर्ष बहुत से तालाब टूट गये जिसके कारण आम जनता की सम्पत्ति की काफी क्षति हुई। इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं

(श्री रामेश्वरदयाल)

कि किस प्रकार बारां के पास का तालाब टूटा और उससे ७०-८० हजार रुपयों का नुकसान बारां की जनता को, सम्पत्ति और फसल का हुआ। नानदे का तालाब भी इसी प्रकार से टूटा, जिससे फसलें बरबाद हो गईं, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर गुढ़ा का बांध भी टूटा जिससे राज्य सरकार को काफी क्षति हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बहुत से बांध पुराने जमाने से इस डिविजन में चले आ रहे हैं और जो मरम्मत तलब हैं है और जिनकी हालत खस्ता हो गई है अगर उनकी ओर यह विभाग ध्यान दे, उनको ठीक कराये, मरम्मत पर रुपया खर्च किया जावे तो मैं समझता हूं कि वे ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं और उनसे सिंचाई होकर खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ेगा एवं खेती भी अच्छी प्रकार से हो सकेगी।

इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से ऐसे बांध पानी रोक कर बनाये जा सकते हैं जिनसे हजारों बीघा जमीन सिंचाई योग्य बनाई जा सकती है। इनकी सम्भावनायें इस भाग में बहुत अधिक हैं, काफी मात्रा में साधन उपलब्ध हैं। यदि उनका उपयोग किया जाय तो काफी तादाद में जमीन को सहराब किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं अधिक उदाहरण न देकर केवल एक दो उदाहरण ही माननीय गृह मंत्री जी को देना चाहूंगा। बूंदी के पास बड़दा के अन्दर पानी रोक कर यदि बांध बनाया जाय तो लगभग १५ हजार बीघा जमीन सिंचाई योग्य बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से लाडपुरा के पास मन्दरगढ़ और सालवाड़ा के बांध बनाये जांय और जीर्णोद्धार किया जाय तो करीब १८ हज़ार बीघा जमीन सिंचाई योग्य बनाई जा सकती है। इस सम्बन्ध में सिंचाई विभाग के मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार को इस ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसके लिए काफी रुपया खर्च करना चाहिए। जो रुपया निर्धारित किया गया है उसका पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिए और इसके लिए पूरी-पूरी कोशिश होनी चाहिए। इस मद में जो धन-राशि रखी गई है उसका एक-एक पैसा खाद्यान्न जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या को हल करने में लघु-सिंचाई योजनाओं के विस्तार और प्रसार की दिशा में व्यय करना राज्य सरकार का परम पुनीत कर्त्तव्य है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लिस्ट नंबर वन के क्रम संख्या ७ के कट मोशन को मूव करता हूं, जो इस प्रकार है:

"That the demand No. 32, Major Head 68 Construction of irrigation projects etc. be reduced by Rs. 100/-(to discuss mismanagement in the construction of Gudha Project, resulting in its repeated breaches)".

उपाध्यक्ष महोदय, इस मद में सिर्फ एक कटमोशन मूव किया है हालांकि इस मद में सौ-पचास कटमोशन्स मूव हो सकते हैं। मैंने सिर्फ एक ही कटमोशन दिया है और वह है गुढ़ा डेम के लिए, वहां के मिस-मैनेजमेंट के लिये मूव किया है, वह यह समझ कर कि गुढ़ा डेम का जो मिस मैनेजमेंट है, उससे आपको पता चल जायगा कि राजस्थान के दूसरे डेमों में भी इसी प्रकार का मैनेजमेन्ट है। मैं सिर्फ नमूने की तौर पर गुढ़ा डेम का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। यह जो गुढ़ा डेम

(श्री पी० के० चौधरी)

है इसके मैनेजमेन्ट की हम जांच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि राजस्थान में जितने भी इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी इसी प्रकार की गड़बड़ियां चलती हैं, बहुत सी खामियां रह जाती हैं, उन सब बातों का ज्ञान गुढ़ा डेम से हो सकता है। गुढ़ा डेम को पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। इस डेम के लिये सरकार की तरफ से इसको कम्प्लीट करने के लिये केवल साढ़े तीन लाख का एस्टीमेट लगाया गया था; लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज तक इस गुढ़ा डेम पर लगभग आठ लाख रुपया खर्च हो चुका है, फिर भी इतना होने पर भी न मालूम कब जाकर वह पूरा होगा। इस साल के बजट में भी लगभग दो लाख रुपये का प्रोवीजन रखा है, पिछली साल गुढ़ा डेम के लिये तीन लाख रुपये का प्रोवीजन रखा गया था, लेकिन पिछले साल के रिवाइज़्ड एस्टीमेट को हम देखेंगे तो पता चलेगा कि वह रिवाइज़्ड एस्टीमेन्ट छ लाख का हो गया है। इस साल जो दो लाख दस हजार रुपया रखा गया है वह भी आगे जाकर बढ़ सकता है। इस साल के एस्टीमेट्स को हम इसमें शामिल कर देते हैं तो लगभग १० लाख रुपया इस डेम पर खर्च कर देते हैं, जब कि ओरीज़िनल एस्टीमेट केवल साढ़े तीन लाख रुपयों का था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गुढ़ा डेम के बारे में एक प्रश्न पूछा था और माननीय उपमंत्री महोदय की ओर से उसका जवाब भी दिया गया था। मैं कहना चाहता हूं कि गुढ़ा डेम प्रोजेक्ट है, उसकी सही तरीके से जांच न करके बगैर प्लॉनिंग के इसका काम शुरू किया गया। जब मैंने यह प्रश्न किया कि क्या उस जगह का सोइल टेस्टिंग हुआ या नहीं, तो जवाब दिया गया, सोइल टेस्टिंग हुआ था। मुझे इस बारे में अच्छी तरह से जानकारी है कि सोइल टेस्टिंग नहीं हुआ था। यदि माननीय मंत्री अपने जवाब पर टिके हुए हैं तो वह सोइल टेस्टिंग की रिपोर्ट और किस अधिकारी द्वारा किया गया, उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें। दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नदी की जो गहराई है, उसका बोरिंग केवल ३० फीट तक ही होकर रह गया और उस पर डेम का काम शुरू कर दिया गया। इसके लिये यह कहा जाता है कि ३० फीट नीची सतह में चट्टान मिल गई थी, इसलिये नीचे जाने की जरूरत महसूस नहीं हुई। जहां तक मेरा अनुभव है, मैं यह कह सकता हूं कि बोरिंग टेस्ट केवल पत्थर मिल जाने से बन्द नहीं होता, उसके नीचे भी पचास साठ फीट और जाना चाहिये। यह देखने के लिये कि सोलिड रौक है या नहीं इसलिये नीचे और पचास फीट जाना जरूरी है। इसी तरह से सब जगह साईट सिलेक्शन के बाद बोरिंग टेस्ट करते हैं। साठ सत्तर फीट नीचे जाकर देखते हैं कि पत्थर है या पतली पर्त ही तो नहीं है। जिस किस्म की गलतियां इस डेम के लिये की गई, उसी प्रकार की गलतियां दूसरे डेम के लिये भी हुई हैं। वहां पर भी इसी तरह से नीचे जाने की जरूरत नहीं समझी गई। बोरिंग टेस्ट भी वहां नहीं हुआ। केवल पत्थर के टच हो जाने के बाद ही टेस्ट खत्म नहीं हो जाता, उसके नीचे और पचास-साठ फीट जाना होता है जब तक सोलिड रौक नहीं मिलती तब तक बोरिंग करना पड़ता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि गुढ़ा डेम इर्रिगेशन डेम प्रोजेक्ट्स में है, उस सब का एक नकशा है। लेकिन हालत क्या होती है कि जब मानसून आता है तो जगह जगह से

(श्री पी० के० चौधरी)

यह डेम टूटता है। इसी प्रकार चम्बल डेम भी टूटता है।

मेरी दूसरी शिकायत यह है कि पिछली साल मानसून के समय गुढ़ा डेम टूट गया था। इस सम्बन्ध में जो एक्शन लिया गया है, जो इन्जीनियर थे उनको सस्पेन्ड कर रखा है डेढ़ साल से, लेकिन जब हम इस बात को भूल जायेंगे तब उनको रीइन्सटेट कर दिया जायगा; जैसा श्री सत्संगी के केस में हुआ। उनको जिस प्रकार ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया, उसी प्रकार समय निकलने पर इनको भी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बना दिया जायगा और इस तरह से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। आज होता क्या है कि जब किसी की गलती बतायी जाती है तो उसको ढांकने की कोशिश की जाती है। इससे होता क्या है, जितने भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी फिर गड़बड़ियां होती रहती हैं। यदि हम किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं तो और दूसरे लोगों को भी इससे फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। अगर हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं तो इसका असर दूसरी जगहों पर भी पड़ता है और काम में होशियारी बरती जाती है। पिछले प्लान में करीब २० करोड़ रुपया ऐसे प्रोजेक्ट पर खर्च किया गया है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसे बांधों पर करीब ४० करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं। राजस्थान केनाल पर तीस करोड़ रुपया खर्च होगा और सेकन्ड प्लान तक करीब १०० करोड़ रुपया हम इस पर खर्च कर पायेंगे। इस समय जो सेकन्ड फाइव ईयर प्लान का बजट है वह करीब पचास करोड़ का बजट है, उसका २० पर्सेंट, करीब दस करोड़ रुपया हम इर्रिगेशन पर खर्च कर रहे हैं। लेकिन इर्रिगेशन का मैनेज़मेंट कैसे चल रहा है इसको देखने की परवाह नहीं करते। हम मानते हैं कि जो इर्रिगेशन के लिये पैसा रखा जाता है, वह सब इन्जीनियरों के हाथों सौंप दिया जाता है और उन्हीं की मर्जी पर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट बनते हैं और इसी प्रकार का यह गुढ़ा डेम भी है। यह केवल सप्लाई करने की केनाल है लेकिन जो केनाल बन जायगी तो मेरा ऐसा खयाल है कि ज़मीन को उससे पूरा पानी नहीं मिल पायगा। दूसरे डेमों में भी हमने देखा है, वाटर लेवल नीचे रखा जाता है। नीचे रहने की वजह से ज़मीन को इर्रिगेशन के लिये पानी तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि लिफ्ट इर्रिगेशन न किया जाय। ऐसी हालत भी सब जगह की है इसकी तरफ कोई तवज्जुह नहीं देते। आज प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो हमने काम शुरू करवाया हमने इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाये उसमें बीस पच्चीस करोड़ के लगभग खर्च कर दिया है और हमें ८० करोड़ रुपये के करीब खर्च और करना है। इस साल करीब १० करोड़ रुपया हम इन पर खर्च करेंगे लेकिन इस ओर आपका विभाग जो है, वह तवज्जुह नहीं देता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ यह जो प्रोजेक्ट्स की गड़बड़ियां हैं, उन सब को रोकने के लिये कोई न कोई इन्तजाम हमारी तरफ से होना चाहिये।

गुढ़ा डेम के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ, वहां चम्बल प्रोजेक्ट्स से एक डेढ़ लाख का बुलडोजर भेजा गया था। गुढ़ा डेम पर काम करने के लिये, उसके लिए कहा गया कि वह पानी में बह गया है। यह कैसे माना जा सकता है कि बुलडोजर जितनी भारी मशीन भी पानी से बह सकती है। अब क्या हुआ कि वह बुलडोज़र वापिस मिल गया है, यह बात किस तरह से हुई, यह मैं सदन को बता देना चाहता हूं। बुलडोज़र के पार्ट्स बेच दिये

(श्री पी० के० चौधरी)

गये थे । वर्क शॉप में क्या होता है कि पार्ट्स जमा कराने पड़ते हैं, तो उसके लिये लिखना पड़ता है । उसके लिये लिखा गया फलां फलां पार्ट्स मिले इसलिये जमा किये जाते हैं । जब पार्ट्स वहां आ गये तो यह कैसे माना जा सकता है कि वह बुलडोज़र बह गया । लेकिन हमारे मंत्री महोदय तो ऐसी बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं । बुलडोज़र के पार्टस के टुकड़े इधर उधर करके उसको बेच डाला है । लेकिन हमारे मन्त्री महोदय इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि वह पानी से बह गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहता हूं, गुढा डेम और इसके अलावा जितने भी राजस्थान के अन्दर इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जांच के लिये सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय और उसको यह अधिकार देना चाहिये, उसमें राजस्थान के इन्जीनियर नहीं बल्कि दूसरे एक्सपर्ट इन्जीनियर को साथ लें ।

उनके वर्किंग की जांच की जाय कि कैसे उन्होंने ये बनायें और फिर जांच करके उनकी रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स की जाय । रेस्पोन्सिबिलिटी फिक्स करने के बाद जो सिफारिश उस कमेटी की हो सरकार उसे पूरी तरह अमल में लावे । तब मैं कह सकता हूं कि इतना पैसा जो बरबाद हो रहा है वह रुकेगा और पैसे का सदुपयोग हो सकेगा और राजस्थान की इर्रिगेशन की योजना सक्सेसफुल हो सकती है; इसके बिना नहीं हो सकती। इतना ही मुझे कहना था।

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन है, सिंचाई में जो पैसा सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है और उसका जो अंश मेरी तहसील कोटपुतली में खर्च किया जा रहा है उसका परिणाम निराशाजनक सा रहा है । यह जानकर उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी को और सदन को भी आश्चर्य होगा कि जिस आज़ादी के आने के बाद लोग जो अपनी उन्नति का सपना देख रहे थे । हमारे यहां के काश्तकार जो यह सोच रहे थे, कि आज़ादी आने के बाद हमें भी सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे, काफी सहूलियतें उन्हें मिलने लगेंगी । पर यह सब कुछ देखने के लिये, मिलने के बजाय, आज इनको यह देखने को मिल रहा है कि जो हालत पहले थी उससे भी बिगड़ रही है । हमारा इलाका कोटपुतली का सौभाग्य से कुछ ऐसी तहसीलों के बीच में है जो बानसूर, बहरोड़, बैराठ, नीम का थाना और एक साइड में नारनोल का इलाका पड़ता है । इन सारी तहसीलों में सिंचाई का काम होता है । इसको देखकर कोटपुतली वाले भी बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं । देखते देखते उन्हें आज आठ-दस और ग्यारह वर्ष होते आये हैं मगर इन बिचारे किसानों को कोई भी सान्त्वना नहीं मिल सकी, थोड़ा सा भी काम उनके यहां नहीं बना, ताकि उससे ही वे सन्तोष कर सकें ।

इसके अलावा यहां यह चीज़ भी देखी जावे कि हमारे इलाके कोटपुतली में कहीं ऐसे साधन नहीं हैं । यह चीज़ भी नहीं है कि ये साधन उपलब्ध नहीं हो सकते । वह तभी हो सकते हैं जब कि उनकी ओर ध्यान दिया जावे । हमारे यहां दो नदियां हैं । उनके नाम सोता और साबी हैं । माननीय मन्त्रीजी अक्सर उधर काफी आते-जाते रहते हैं, उन्होंने भी इन दोनों नदियों को देखा होगा । उपमन्त्रीजी भी पिछले दिनों गये थे और हमें

(श्री रामकरणसिंह)

सारी चीजों का विश्वास दिलाकर आये थे। यह बात मुझे अच्छी तरह से याद है। उप मंत्रीजी से मिला था, मैंने बहुत अच्छी तरह बात करके सुझाव दिये थे। पर उनके बाद अभी जब में छुट्टियों में गांव गया था तो उस समय एक सत्यप्रकाश खन्ना, सहयोगी इन्जीनियर अलवर से आये थे, इस बात का मौका देखने कि यहां इर्रिगेशन में क्या विकास कार्य किया जा सकता है। मगर वहां इलाके में जाने से, कोटपुतली प्रोपर में जाने से चीज़ दूसरी ही मालूम हुई। उन इन्जीनियर साहब ने शराब पीकर और जो कुछ वर्तमान हालत इस सरकार की है उसका बखान करने के अलावा और कुछ नहीं किया। जो कुछ वह कह रहे थे, वह प्रचारक के रूप में शायद कह रहे हैं, लोगों ने यही समझा; पर वह सरकार की तरफ से तो प्रचारक नहीं थे, सरकार विरोधी प्रचारक थे।

तो यह तो प्रसंग आने से मैं कह गया कि आज भी यह हालत हमारे इस इलाके की है। अब-इसके अलावा हमारे यहां दो पुराने बन्ध भी हैं; कुचारा बन्ध और बेरी बन्ध। ये बहुत पुराने ठिकाने और स्टेट के जमाने में बनाये गये थे। इनमें आज बहुत अधिक सिल्ट जमा हो गई है। कहने में यह आता है, कई सैकड़ों फीट सिल्ट जमा हो गई है। इससे यह होता है कि पानी तो बहुत आता है, पर उसका ओवर फ्लो होकर बह जाता है। इस चीज़ को स्टेट के टाइम में भी इर्रिगेशन वालों ने माना था और इस तरह से यह पानी वेस्ट होता आ रहा है। आज तक इतना सब होते हुए, इतनी सारी योजनाएं बनाने के अनन्तर भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया।

इसके अलावा जो स्टेट के समय में नहर बनी हुई थी वहां पर, जिसकी हालत उस वक्त ठीक नहीं थी, लोगों ने यह आशा लगाई कि यह काम राजस्थान इरिगेशन विभाग के अन्तर्गत जाने के बाद इस नहर की रिपेअर होगी और इसके आउट लैट ठीक हो जावेंगे। पर वह भी आज सब यों का यों ही पड़ा है, किसी का ध्यान उधर नहीं गया।

इसके अलावा सड़कों की, पुलों की जो हालत है उसका कोई भी माननीय सदस्य या माननीय मन्त्रीजी निरीक्षण करेंगे तो उन्हें अनुभव होगा कि यह कोई पुराना पानी देने का नाला था। अब इस समय इसमें से पानी नहीं आता होगा। खास कर कुनोड ग्राम के पास तो ऐसी हालत है कि बरसात के दिनों में पानी नाले से जब बहता है तो सिवाय मानव के बाकी सभी जानवर भय-त्रस्त रहते हैं। जो रोड़े हैं, जो कूड़ा करकट है, वह एक दम पानी पर तैरता रहता है और उन लोगों को अपने जानवरों को लेकर खेतों में जाकर रहना पड़ता है। इसके लिये बार बार सरकार को लिखा गया, पर कोई सन्तोषजनक उत्तर वहां से भी प्राप्त नहीं होता।

इसके अलावा वहां आसपास में केवल एक पुलिया है और वह भी टूटी फूटी। स्टेट के टाइम में वह बनाई गई थी, उसके बाद उसकी कोई देखभाल नहीं, कोई मरम्मत नहीं, कुछ नहीं। इतना बड़ा गांव है पर फिर भी उनकी सहूलियत के लिये, आने जाने के लिए इस पुलिया की मरम्मत कोई नहीं करा रहा है। अब जिनके सिंचाई के लिये कुए हैं, उन्हें जिस तरह से उसे पार करके जाना पड़ता है, वह वे ही अनुभव कर सकते हैं। उन्हें उस पुलिया के टूट पड़ने का हर वक्त खतरा बना रहता है। जाड़ों में ठंड चलती रहती है तो

(श्री रामकरणसिंह)

उस समय वे किसान अपने बाल-बच्चों को लेकर और अपने बैलों को लेकर उधर से निकलते हैं तो उनका शरीर कम्पायमान हो जाता है। मैं यह बात अतिरंजित नहीं कह रहा हूं, सही सही कह रहा है। मैं एक किस्सा आपको बताऊं उसी का। गांव से एक जमींदार कुए जोतने के लिते बैल ले जा रहा था। बीम कमजोर थे, कहीं से निकल पड़े और बैल उसमें गिर गये और बहुत मुश्किल से उनको निकल पाया। यही हालत पावटा-जोधपुरा साइड में कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक नहर वहां से मोरदो तक जाती है। मगर ज्यों ज्यों सिल्ट बढ़ता गया वैसे वैसे नहर के भी टुकड़े होते गये और हालत यह आज हो गई है कि एक या दो साइड में थोड़ा पानी लेने के बाद में किसानों को बाकी को तरसना पड़ता है और मोरी तक मुश्किल से पानी पहुँच पाता है।

इसके अलावा पावटा से जो नाला जाता है और चेटडा जहां मोरी निकलती है वहां बीच में कोई ढाणी आबाद नहीं है। पशुओं को चराने के लिये पानी में से जाना पड़ता है, नहर की हालत ठीक नहीं है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोटपुतली तहसील में, जहां इर्रिगेशन के काफी साधन हैं, उनकी मरम्मत करने पर और उनको नये सिरे से चालू करने पर पूरा ध्यान दिया जावे। जहां बोरिंग की जरूरत हो वहां उसकी सहूलियत मिलेगी। अब तक के लिये मैं किसी भी प्रकार से सदन में यह कहने को तैयार हूं कि इर्रिगेशन डिपार्टमेन्ट ने सिंचाई योजना के अन्तर्गत कोई काम नहीं किया, बल्कि जो साधन टूटी-फूटी हालत में पहले के थे उनसे कुछ काम हुआ है अधिक नहीं। पहले भूमि की सिंचाई की जाती थी, पहले जो सहूलियतें इर्रिगेशन के लिए दी जाती थीं उनमें कमी ही हुई हैं, अधिक नहीं हुई हैं। बल्कि बारां के बंध को तो ऐसा मान लिया कि कोई बंध ही नहीं है, वहां पटवारी नहीं रहते हैं, चौकीदार भी नहीं रहता है। वहां देखने से कुछ ऐसा मालूम होता है कि एक छोटा सा मकान, जो ठिकाने के मकानों में बताया गया था वह है। उसमें या तो गधे हैं या फिर इधर उधर से आने जाने वाले हैं; जैसे बिल्ली चूहे ले जाकर वहां खाती है। यह समझ में नहीं आता है कि ठिकाने के अन्दर तो कुछ काम होता था, सिंचाई का काम होता था, वहां आज गधे और बिल्ली वगैरह शिकार करते हैं। वह बंध जहां पानी आता है और पानी टूट जाता है और वह पानी बेढंगे तौर पर निकलता है। जब भी सदन को यह शिकायत का मौका मिलता है कि फलां जगह, फलां ज़िले में यह हुआ है; तो ताज्जुब होता है कि हमारे यहां कोटपुतली में इतने साधन होते हुए, वहां पर ठिकाने के समय में तो बंध वगैरह मेन्टेन किये जाते थे, लेकिन आज नहीं, यह चीज जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। इसके अलावा बारां बंध के पास ही दांतेला का नाला है अगर उसको इसके अन्दर डाल दिया जाय तो इससे काफी लाभ हो सकता है। जब हमारे यहां स्टेट के टाइम में जो सहूलियतें मिलती थी सिंचाई के लिए उसमें से भी स्टाफ कम किया गया है और जो उस समय लैण्ड इर्रिगेटेड होती थी वह कम हो गई है। ऐसी हालत में हम आगे उनके लिए क्या विचार रख सकते हैं। इसके लिए मैं पूरे तौर से माननीय मंत्री महोदय से यह अर्ज करूंगा कि कोटपुतली के लिए जो मैंने बातें अर्ज की हैं,

(श्री रामकरणसिंह)

इसके लिए पूरा ध्यान रखेंगे। अगर आप यह सोचें कि आपके डिपार्टमेंट वाले कुछ सजेशन देंगे, तो इसके लिए मैं अर्ज कर दूं कि आपके सत्यप्रकाश खन्ना जो सहायक इन्जीनियर हैं, वह वहां गये हैं और उनका कहना है कि इस मामले में कोटपुतली से कुछ प्रश्न पूछे गये हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जिस तहसील से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके सजेशन्स को हम कभी कन्सीडर नहीं करेंगे। यह खुली मीटिंग में कहा गया है और मेम्बर्स तक को भी कहा है। तो मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रकार की जो चीजें हैं उनसे कुछ आशा करें कि काम होगा या डिपार्टमेंट की तरफ से ही सजेशन्स आयेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको भी कई बार जाने का मौका मिला होगा, आप स्टेट के टाइम का और आज का रेकार्ड उठाकर देख लें तो आपको मालूम होगा, कि जमीन की क्या पोज़ीशन है और सिंचाई की क्या हालत है। मुझे यही अर्ज करना था।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : श्री उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : (श्री माथुर से) आपके ३ कटमोशन्स हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, तीनों कट मोशन्स में से पहले राजस्थान कैनाल के निर्माण के विषय में जो कट मोशन है उसके सम्बन्ध में बोलता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के समाचार मिले हैं कि आगामी २६ मार्च को हमारे भारत के गृह मन्त्री पंडित गोविंदवल्लभ पंत के कर-कमलों द्वारा इस राजस्थान कैनाल का उद्घाटन होने वाला है। इस सम्बन्ध में हमारे राज्यपाल महोदय के भाषण में भी संकेत मिला था और उसमें यह था कि इस योजना पर ६६ करोड़ रुपया खर्च होगा। अभी इस प्रकार के अनुभव आये हैं कि प्रारम्भ में ऐसी योजनाओं के लिए जितना रुपया स्वीकार होता है लगभग उससे ड्योढ़ा या दुगुना रुपया खर्च होता है। तो इस तरह मेरे ख्याल से इस योजना पर एक अरब के लगभग रुपया खर्च हो जायेगा। दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी नहर आज अपने प्रान्त में आ रही है। यह हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए लेकिन कुछ इस प्रकार की शंकायें हैं जिनके कारण से, हमारे मन में इस प्रकार का सदेह उत्पन्न हुआ है कि हमारी योजनाओं के द्वारा जो लाभ राजस्थान को पहुँचना चाहिए, वह उसे होगा या नहीं। अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री, श्री फिरोज़खां नून ने पाकिस्तान की राष्ट्रीय असेम्बली में इस प्रकार से कहा था—

"Pakistan's Prime Minister, Mr. Firoz Khan Noon, today questioned India's right to use the Sutlej waters for irrigation in Rajasthan.

He told the National Assembly that India was thinking of constructing a tunnel through a mountain to take these waters to Rajasthan."

श्री उपाध्यक्ष : Wherefrom it is being read ?

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : It is from Times of India, 4th March, 1958. "Mr. Noon said it was now for the World Bank to say when Rajasthan became part of the

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

Indus Basin. He added India was further trying to take these waters to the barders of Delhi, where the Jamuna flows."

तो इससे कोई डरने की बात नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने क्या कहा है, न यह विश्वास कर लेना चाहिये कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने जो कुछ कहा है वह सही है। लेकिन फिर भी हमारे मन में यह बात सही है कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के इस वक्तव्य ने शंका पैदा कर दी है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच नहरी पानी पर विवाद बहुत दिनों से चलता आ रहा है। दूसरी बात यह है कि गंग कैनाल का जो हैड वर्क है वह पाकिस्तान के अन्दर है। बाकी सारे कैनाल का जो उपयोग है वह हम उठा रहे हैं, लेकिन उसका हैड वर्क पाकिस्तान में होने के कारण किसी भी समय इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है कि भारत और पाकिस्तान के संबन्ध बिगड़ जायें, तो ऐसी स्थिति में इस हैड वर्क का क्या होगा? यह सम्भव है कि अगर हिन्दुस्तान पर पाकिस्तान का आक्रमण होता है तो वह सबसे पहले इसको नष्ट करेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हमें बड़ा भारी नुकसान हो। स्ट्रेटेजिक पोइन्ट ऑफ व्यू से यह नहर बन रही है और इस कारण जरूर इसका कुछ न कुछ लाभ है, लेकिन इस प्रकार की जो योजना बन रही है उससे कितना लाभ होगा यह देखना आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के गंगानगर और जैसलमेर के जिले हैं वे रेतीले भाग हैं, उनके अन्दर इस कैनाल से लाभ होने वाला है, बाकी का बचा हुआ भाग, इधर चम्बल का इलाका जरूर है और इसमें सिंचाई की योजना बाकी क्षेत्र में ठीक है, लेकिन और इसके अलावा बाकी के क्षेत्रों में लघु सिंचाई योजना के ही द्वारा लाभ हो सकता है। दूसरी बात यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर जितने भी मेजर वर्क्स हैं वे कैरी आउट होंगे या नहीं इसमें शंका की गुंजाइश अवश्य है, क्योंकि विदेशों के अन्दर पूंजी के लिए हमारे भूतपूर्व जो वित्तमंत्री थे वे गये थे, और जितनी उनको बाहर से पूंजी मिलने की अपेक्षा थी उतनी नहीं मिली। इस नाते से भी इस प्रकार की चर्चा आवश्यक है। इसके लिए प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि हो सकता है कि जो हमारी बड़ी बड़ी योजनायें हैं उनमें कटौती करनी पड़े क्योंकि फोरिन एक्सचेंज की कमी है। इसके कारण से जो हमारे कार्य चल रहे हैं, जितने बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं, वे पूरे नहीं हो रहे हैं। कामों के पूरा नहीं होने से हम अपने प्रान्त में नई चीज़ लागू कर रहे हैं। यह पूरे होंगे या नहीं? आज जहां तक रुपये का सवाल है, बजट जरूर नफे का बनाया गया है, नये टैक्सेज़ लगा करके। इतना होते हुए भी आवश्यक है कि जो मेजर वर्क्स हैं, उसके लिए क्या भारत सरकार ने जितना अनुदान स्वीकृत किया है वह देगी? विदेशों से पैसे नहीं आ रहे हैं। भारत सरकार स्वयं बड़ी बड़ी योजनाओं में कटौती करने को तैयार हो रही है। इस स्थिति में जितना रुपया मिल रहा है, उसका सारा रुपया यदि इस लघु सिंचाई योजना में लगाते तो उसका ज्यादा आउटपुट होता। आज थोड़े से रेगिस्तानी क्षेत्र में इस कैनाल का जरूर उपयोग है। जब कि पाकिस्तान हमारे इस नहर के बनाने में खुले रूप में प्रचार कर रहा है ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस सम्बन्ध में यदि माननीय गृहमंत्री प्रकाश डालें कि जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने वक्तव्य

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

दिया है, उसके बारे में भारत सरकार ने क्या कॉंट्राडिक्टरी स्टेटमेन्ट दिया है और इसके बारे में उनकी क्या योजना है इस संबंध में सदन को अवश्य ही अवगत कराया जाये, वरना करोड़ों रुपयों की योजना से हमें कोई लाभ नहीं होगा और भविष्य में शंका पैदा हो जायगी तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी योजना के लिए हमें कोई न कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरा राजस्थान कैनाल के बारे में एक स्पष्टीकरण के रूप में यह सुझाव है कि योजना को दूसरे रुप में परिवर्तित कर दिया जाय और देखा जाये कि इससे कितना लाभ होता है ? इस सबंध में यह मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव है।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है जवाई बांध में चालू पानी के वितरण की व्यवस्था पर विचार करने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर डिवीज़न के अन्दर जवाई बांध है। इस वर्ष वर्षा की कमी के कारण, इस बांध के अन्दर आधा ही पानी आया और आधे पानी के कारण, सब खेतों को जो पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाना चाहिए था या पर्याप्त मात्रा में सदैव जितना पानी देते आ रहे थे, उस मात्रा में इस वर्ष तो पानी नहीं दिया जा सकता है, इस प्रकार से वहां के इन्जीनियरों ने सोचा। इसलिए उन्होंने कितनी मात्रा में पानी प्रत्येक खेत को और प्रत्येक काश्तकार को दे सकते हैं, यह फॉर्मुला बना लिया। उस फॉर्मुला में यह तय किया गया कि कम से कम ८ बीघा जरूर काश्तकारों को पानी दे दिया जाय। उसके आधार पर ८ बीघे का मिनिमम फॉर्मुला था। इस आधार पर जितने भी बड़े और छोटे फार्म्स थे उन सब फार्म्स को पानी देने का तय किया गया। यह फॉर्मुला बनाया गया और फार्मुले को टेक आउट करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ तो इस प्रकार की रिपोर्टें आई हैं कि जो छोटे काश्तकार थे, उन छोटे काश्तकारों को पूरा पानी नहीं मिला और बड़े-बड़े जागीरदारों के जो वहां पर खेत थे या इस प्रकार के बड़े बड़े आदमी जो आज राजस्थान की इम्पोर्टेन्ट पर्सनलिटीज़ हैं उनके यहां पर जो खेत या इस प्रकार के फार्म्स थे, उन फार्म्स को पानी देने का प्रश्न आया तो उनको जितनी मात्रा के अन्दर पानी देना तय किया गया था उससे अधिक मात्रा में और अधिक बीघों के अन्दर पानी दिया गया। पानी देने के बाद बाकी के स्थानों पर जो तीन-चार बार करके पानी दिया जाता है उन खेतों को निश्चित मात्रा में जितना पानी दिया जाना चाहिए था छोटे काश्तकारों को, जो ८ बीघे के हिसाब से फॉर्मुला बनाया गया था, जितने बीघे के अनुसार पानी देना चाहिए था, वह पानी नहीं दिया गया और जहां पर बड़े-बड़े जागीरदारों के खेत थे या बड़ी जो आज राजस्थान की पर्सोनेलिटीज़ हैं, उनके फ़ार्म्स को पानी दिया गया। उन्होंने उस फार्मूले को छोड़ दिया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि वहां उतना पानी नहीं रहा कि जिससे पूरी मात्रा के अन्दर सब खेतों को जितना पानी, जो ४-५ पानी दिये दिये जाते हैं वह पूरे दे दिये जाते। इसके परिणामस्वरूप जितना वहां पर आउटपुट होना चाहिये था वह नहीं हुआ। छोटे काश्तकारों के जो खेत थे, उनके पानी को कर्टेल करना पड़ा और पानी बड़े लोगों के खेतों को अपनी इस नीति के कारण अधिक देना पड़ा। इस नीति के कारण वहां पर पानी देने के मामले के अन्दर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। यह मामूली प्रश्न नहीं है।

Page No.56

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

हमारे प्रान्त के अन्दर बड़ी बड़ी नहरें और अच्छे अच्छे बांध अधिक मात्रा के अन्दर बनते जा रहे हैं और इस प्रकार पानी देने के प्रश्न भिन्न स्थानों पर उठेंगे। इसके सम्बन्ध में क्या नीति है ? किस रूप में सरकार पानी के वितरण की व्यवस्था करना चाहती है ? इसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करने के लिए और जवाई के अन्दर इस वर्ष पानी देने में भ्रष्टाचार हुआ और बड़े लोगों को ज्यादा पानी दिया गया और छोटे लोगों को कम पानी दिया गया, इसमें भ्रष्टाचारपूर्ण और पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई गई है, उसके सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है।

तीसरा कटौती का प्रस्ताव मेरा लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिन ही प्रश्न संख्या २१३ के उत्तर में माननीय मन्त्रीजी ने बताया और एक तालिका पेश की थी सदन के अन्दर कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्दर भिन्न भिन्न जिलों में किस प्रकार से रुपया खर्च किया गया है। इस तालिका के अन्दर मैंने देखा है कि जिन क्षेत्रों में वास्तव में आवश्यकता है और बहुत ही आवश्यकता है और सबसे कमी के जो क्षेत्र हैं तथा जहां जमीन भी ज्यादा है वहां के काश्तकारों को अधिक पानी दिया जाय तो वे बहुत ही अधिक मात्रा में अनाज पैदा कर सकते हैं, उन जिलों की बहुत ज्यादा पेउक्षा की गई है। उनमें सीकर, झुन्झुनु, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, जालोर और जोधपुर हैं। गंगानगर जिला तो इस प्रकार से है कि जिसके अन्दर गंग केनाल आती है और केनाल से अधिक सिंचाई हो जाती है तो गंगानगर जिले को छोड़कर, बाकी के जिलों का राजस्थान के अन्दर कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनको राजस्थान की योजनाओं के अन्दर कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है। उनका कोई अधिकार नहीं हो, जैसे इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं हो, इस प्रकार का व्यवहार करके राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही उनकी उपेक्षा की गई है। केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही उनकी उपेक्षा की गई हो ऐसी बात नहीं है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आज बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं और बड़ी नहरें जो अपने प्रान्त में बन रही हैं लेकिन जहां लघु सिंचाई योजना का प्रश्न है, उस प्रश्न के ऊपर इन जिलों के ऊपर जिनको कि विशेष आवश्यकता है उनकी विशेष रूप से उपेक्षा की गई है। पिछले दिनों राजस्थान सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि सीकर और झुन्झुनु इन दो जिलों के लिए एक कमेटी बनाई गई है जो कि लघु सिंचाई योजनाओं के अन्दर सरकार को कुछ मार्ग बताये और सरकार को योजनाएं प्रस्तुत करे। लेकिन कमेटी के अन्दर इस प्रकार के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है जो कि केवल एक पार्टी विशेष के व्यक्ति हैं यही बात नहीं बल्कि सरकार के एक गुट विशेष का समर्थन करने वाले इस प्रकार के व्यक्ति हैं। उनको इस प्रकार की योजनाओं की कोई जानकारी नहीं है कि इस क्षेत्र के अन्दर इन योजनाओं की, किस प्रकार से किन किन स्थानों पर आवश्यकता है। उस प्रकार के व्यक्तियों का नोमिनेशन नहीं करें। सीकर और झुन्झुनु जैसे दो जिलों का प्रश्न है लेकिन केवल एक जिले के सब आदमियों को नियुक्त किया गया है। यदि योग्य आदमी हों तो जयपुर जिले के आदमियों को नियुक्त कर दिया जाय, लेकिन वे योग्य होते तो हमें खुशी होती, लेकिन चूंकि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

प्रेसीडेन्ट झुन्झुनू जिले से आ रहे हैं इसका मतलब यह नहीं कि सिंचाई योजनाओं के अन्दर उनको पूरा ज्ञान है और न ठाकुर मदनसिंह, नवलगढ़ को राजस्थान की सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में सारा ज्ञान हो सकता है। हो सकता है कि उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के मैनेजर होने के कारण उसका ज्ञान हो, लेकिन वह इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी भी जिस योग्यता से चल रही है, उसके सम्बन्ध में सदन के अन्दर पिछली बार आलोचना हुई थी कि वह इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी घाटे में चल रही है। केवल एक जिले के व्यक्तियों को नियुक्त कर..........

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member will not discuss the personel, will not cast aspersion on them.

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सरकार द्वारा नियुक्त किये गये हैं और सदन के अन्दर बताया गया है कि इन उन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है और इस योजना के सम्बन्ध में कटमोशन है। फिर भी आपकी अगर ऐसी इच्छा है तो नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी इच्छा सदन की नहीं है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (जारी): जहां तक लघु सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है, मैं बता रहा था कि ये जिले हैं, नागोर, चुरू, सीकर, बीकानेर; इस प्रकार के जिले हैं जिनमें बहुत ज्यादा भूमि है और बहुत ज्यादा भूमि होने के आधार पर और पानी सबसे कम इस इलाके के अन्दर है, इस इलाके के अन्दर, इन लघु सिंचाई योजनाओं के अन्दर, बिल्कुल रुपया खर्च नहीं किया गया है। तो राजस्थान सरकार की इस सम्बन्ध में क्या बजट में योजना है, किस प्रकार से प्रान्त के विकास को करना चाहती है, यह मेरी तो समझ में नहीं आता। अतः मेरा जो प्रस्ताव है, लघु सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में कि बड़ी योजनाओं के ऊपर अधिक कम रुपया खर्च नहीं किया जाय और सम्पूर्ण प्रान्त में इस प्रकार की योजनायें बनाई जांय तो सबसे ज्यादा लाभ होगा, थोड़े दिनों में लाभ होगा और प्रत्येक लोगों को काम करने का अवसर मिलेगा। बड़ी नहरों की योजनाओं के अन्दर तो काम करने का अवसर कम लोगों को मिलेगा, लेकिन इन योजनाओं के अन्दर पंचवर्षीय योजना में प्रान्त के अधिकांश भाग के व्यक्ति हैं उनको काम करने का अवसर मिलेगा। इसलिए मैंने यह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सिंचाई संबंधी इस अनुदान की मांग के संबंध में एक कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके पहले कि मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर सीधे अपनी बात कहूं यह उचित समझता हूं कि सम्माननीय सदस्यों की सेवा में मैं सूचनार्थ निवेदन करदूं कि उदयपुर और मेवाड़ को जैसा कि हम बहुत दिनों पहले से सुनते आये हैं काश्मीर की तरह सुन्दर प्रदेश माना जाता है, और उसे बहुतायत में बाहर के लोग झीलों का प्रदेश कहते हैं। उन झीलों में भी जिसके संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है वह राजसमन्द झील जो शिरोमणि कहलाती है, यही नहीं सुन्दरता के अतिरिक्त भी यह झील राजस्थान के लिये बड़े ऐतिहासिक महत्व और गर्व की वस्तु है। अक्सर हिन्दुस्तान के बाहर के भी कई लोग

(श्री मनोहर कोठारी)

इसे देखने आते हैं, विदेशों से आने वाले लोग मैंने देखा है, जहां जहां बड़े तीर्थ स्थानों में जाते हैं वहां वे लोग राजसमन्द की झील पर जाये बिना नहीं रहते हैं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वहां जाकर ही कोई व्यक्ति उसकी सुन्दरता की कल्पना कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कई वर्ष पूर्व जिस समय उक्त झील का निर्माण हुआ उस समय मेवाड़ प्रान्त था। उस समय किसी के दिमाग में यह कल्पना भी नहीं रही कि यह झील कभी सिंचाई के लिए इतनी उपयोगी भी साबित हो सकती है। लेकिन राजस्थान निर्माण होने के बाद सिंचाई के साधन बढ़े, भावनाएं भी अंकुरित हुईं, हमारे यहाँ एक एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ऐसे भी आये कि जिन्होंने प्रेरणा दी आस पास के किसानों को और किसान लोग तैयार हुए इस बात के लिए तत्काल तैयार हो गये कि इस झील के पानी को सिंचाई के काम में लाया जाय। और इस तरह कुछ ही दिनों में ३०-३० फीट ऊंचे पहाड़ों को खोद कर लोगों ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कर दिया आज वहां पर अगर कोई जाकर देखता है और नव चौकी पर खड़ा होकर देखता है तो उसको मालूम होता है कि इसमें पहले कितना पानी भरा रहता था लेकिन आज वह सूखा रहता है। इसके लिये अफसोस करते हुए भी मैंने कई लोगों को देखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सुन्दर झील की आज यह दुर्दशा क्यों हो रही है ? यह ठीक है कि आज भारत में और हमारे यहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं लेकिन उनसे इसका महत्व कम नहीं होता। आज उस झील की जो दुर्दशा हो रही है, उसके लिये मैं अधिक निवेदन नहीं कर सकता। मैंने गत वर्ष के बजट में देखा था कि खारी नदी को डाइवर्ट करके राजसमन्द में मिलाने के लिये प्रावधान किया गया था वह आज भी बजट में मिलता है, लेकिन गत वर्ष भी मैंने सदन में विचार प्रकट किये थे और आज भी सदन के सम्मुख यही बात अर्ज कर रहा हूं कि वह योजना कहीं योजना ही नहीं रह जाय। मेरी यह शिकायत है कि वह योजना अभीतक कागजी योजना ही रही है। आज भी उसके लिए प्रोविज़न रखा गया है लेकिन मुझे भी सन्देह होता है कि क्या खारी नदी को कभी डाइवर्ट करके वास्तव में राजसमन्द में डाल दिया जायगा ? मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इससे राजसमन्द झील को तो पानी मिलेगा ही किन्तु साथ ही इसके ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है, कुंभलगढ़ का, वहां के लोगों की समस्या का भी समाधान होगा। उनके सामने पानी बहता है लेकिन उनको पानी नहीं मिलता। आज से ३०० वर्ष पहले जब राजसमन्द झील बनी नहीं थी उस समय सोन्याणा का तालाब बनाया गया था। अब वह तालाब टूट गया है और उसकी मरम्मत अब इसलिये नहीं की जाती है, क्योंकि राजसमन्द झील खाली है। सिंचाई विभाग का कहना है कि सोन्याणा तालाब बनाकर रोक लिया जायगा तो यह झील खाली ही रहेगी। लेकिन मैं समझता हूं इस दलील में तथ्य नहीं है। तथ्य इसलिये नहीं है कि राजसमन्द में पानी पहले भी रहता था और इस तालाब में भी पानी रहता था। पहले जब यह खाली नहीं रहता था तो अब यह तालाब वापस बन जाने से ही, कैसे खाली रहेगा ? वहां के किसानों ने बहुत लगन के साथ चूना इकट्ठा किया और पत्थर इकट्ठे किये, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा

(श्री मनोहर कोठारी)

यह हुआ कि उन लोगों का सैंकड़ों रुपयों का नुकसान हो गया और आज वे लोग एक एक बूंद पानी के लिये तरसते हैं। उनके कूए सूख गये हैं और पानी की कोई और व्यवस्था अथवा सुविधा नहीं है।

चार भुजा जैसे प्रदेश में जहां पानी की कमी है वहां सन् ४६–५० में एक तालाब का शिलारोपण किया गया था और उस पर २० हजार रुपये राज्य सरकार ने खर्च किये थे......

श्री अध्यक्ष : The cut motion is relating to Khari feeder to Rajsamand.

श्री मनोहर कोठारी : मैं इसी पर अपने विचार प्रकट कर रहा हूं कि खारी नदी को राजसमन्द में नहीं डालने से इसका बुरा असर कुम्भलगढ़ तहसील के चारभुजा आदि गांवों पर पड़ रहा है। मैं मांग यह कर रहा हूं कि खारी नदी को निश्चित तौर से राजसमन्द में डाला जाय, ताकि पहाड़ी प्रदेश के लोगों की पानी की किल्लत दूर हो। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी के सामने चारभुजा के किसानों ने कई बार आवेदन-प्रतिवेदन किये और उन्होंने महसूस भी किया कि वास्तव में ऊपर के क्षेत्र के लोग पानी के लिये तरसते हैं इसलिये उनकी आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिये और उन्होंने यही रिपोर्ट भी करदी किन्तु फिर भी काम हुआ मैं समझता हूं जब इसकी पूर्ति नहीं हुई तो लोगों को गुस्सा आया और जो शिलारोपण मंत्रीजी ने वहां पर किया था उसको अपशकुन का कारण मान कर उस पत्थर को उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया। यदि इस नदी को डाइवर्ट करके राजसमन्द में डाली गई तो इससे केवल राजसमन्द की ही समस्या हल नहीं होती, बल्कि ऊपर की पहाड़ी प्रदेश की योजना भी संतोषप्रद ढंग से पूरी की जा सकेगी। यों खारी नदी को राजसमन्द में डालने के लिये कई बार मुख्य मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कमिटमेंट किये हैं। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी राजसमन्द झील को देखा होगा और वहां की सुन्दरता को देखा होगा व मुख्य मन्त्रीजी का भाषण भी सुना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : I am blind at this stage.

श्री मनोहर कोठारी : मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी योजना बजट में हर वर्ष बार बार बनाई जाती है लेकिन इसके अनुसार कार्य नहीं होता तो फिर क्यों ऐसी योजना को प्रतिवर्ष व्यर्थ ही प्रस्तावित किया जाता है। इसलिये मैं कटौती प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान इस बात के लिये आकर्षित करना चाहता हूँ कि खारी नदी को डाइवर्ट करने की जो योजना बनाई है, उसको अवश्य पूरा किया जाय। इससे राजसमन्द और ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र को पानी मिलेगा। मुझे मालूम हुआ है कि योजना बन चुकी है लेकिन सीसोदा के आस पास के गांव पानी में जलमग्न होते हैं, उसके बाद में ऊपर पानी चढ़ सकता है। लेकिन योजना बनने के इतने समय बाद भी उसकी पूर्ति नहीं होती, इसलिये खेद होता है ऐसा इन्जीनियरों का मत है। इसलिये मैं राज्य सरकार का ध्यान और खास कर सिंचाई मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्शित करना चाहता हूं। पहले भी मैंने इस बारे में निवेदन किया था उसे एक वर्ष बीत गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप वहां पधार कर देखिये कि आज राजसमन्द जैसी रमणीय झील की

(श्री मनोहर कोठारी)

क्या दुर्दशा हो रही है ! जो लोग इसकी सुन्दरता को देखने जाते हैं उनको अब निराशा होती है । वे खाली खुदाई का काम देख कर ही संतोष कर लेते हैं । वहां का पानी सूखा रहता है उसकी तरफ सरकार को अविलम्ब ध्यान देना चाहिये ।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में है । राजस्थान नहर परियोजना हमारे राजस्थान में एक क्रान्तिकारी कदम है । हमारे राजस्थान का विकास इस नहर परियोजना के पूरा होने के बाद अच्छी तरह से होगा, हमारा इलाका हरा भरा होगा । आज जहां हमें रेगिस्तान दिखलाई पड़ता है, वहां हजारों लाखों एकड़ भूमि में इस नहर से सिंचाई होगी और इस योजना में करीब ६० करोड़ रुपया खर्च होगा और इसको पूरा करने के अन्दर १५ वर्ष लगेंगे । इस नहर से लाखों किसानों को लाभ होगा और आज जहां रेगिस्तान दिखलाई पड़ता है, वहां हरियाली नजर आयगी ।

अभी यह शंका प्रकट की गई थी, एक माननीय सदस्य के द्वारा कि इस नहर के निर्माण से सम्भवतः इतना लाभ नहीं होगा, जितना दूसरी लघु सिंचाई योजना को हाथ में लेने से होगा । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि यह नहर योजना जिस गति से हाथ में ली जा रही है, यदि उसी गति से इसे पूरा करने की कोशिश की गई और यह सफल हुई तो हमारे राजस्थान का विकास होगा । हमारे यहां की अर्थ-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा और लाखों किसानों को लाभ मिलेगा । आज हमारे प्रदेश के किसान इस नहर का नाम सुनते हैं तो उनके दिल में प्रसन्नता की लहर दौड़ती है और उनको जीवन में आशा की झलक दिखाई पड़ती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गति से इसके निर्माण का काम हाथ में लिया जा रहा है उससे कुछ असन्तोष नजर आता है । पहले सन् ५७-५८ के बजट में इस नहर योजना के लिए १ करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया था और मैंने १३ फरवरी को एक प्रश्न पूछा था उसके जवाब में जो उत्तर मिला वह भी सन्तोषजनक नहीं था, जो ५७-५८ का टार्गेट था उसका १ पर्सेन्ट भी पूरा नहीं हुआ । जो टार्गेट्स एक वर्ष के लिए रखे गये थे, वे टार्गेट्स हाथ में ही नहीं लिये गये, तो मैं समझता हूं, जिस गति और रफ्तार से इस काम को हाथ में लिया जा रहा है, उसमें तेजी आनी आवश्यक है । यदि हम इसी रफ्तार से काम चलाने लगे तो मैं समझता हूं कि जो १५ वर्ष दिये हैं और जितने रुपये खर्च करने का प्रावधान है, वह सब वक्त पर पूरा नहीं कर सकेंगे । राजस्थान सरकार का भाखरा से बिजली लेने की योजना का जो अनुभव रहा है, उसको देखते हुए पंजाब भाखरा से बिजली का फायदा २ वर्ष से उठा रहा है राजस्थान सरकार के सामने ५७ तक बिजली लाने की योजना थी, वह धीरे धीरे आगे खिसकती जाती है । यदि इसी तरह से कार्य हुआ तो समय पर कार्य पूरा नहीं हो सकेगा । राजस्थान नहर के लिये भी हमें बड़ी तत्परता और दृढ़निष्ठा से काम शुरू करना होगा ।

२ म० प०

और जो टार्गेट हमारे सामने हैं वे निश्चित समय के अन्दर पूर्ण हो जाने चाहिए, तभी हम जनता का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे और जनता को समय पर लाभ दे सकेंगे । मैं इस

(श्री भीमसेन)

सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस काम को देखने के लिए, एक गैर सरकारी और सरकारी सदस्यों की विजिलेन्स कमेटी मुकर्रर करें, ताकि जनता को विश्वास दिलाया जा सके कि जो विशाल योजनायें हाथ में ली गई हैं वे समय में पूरी होंगी। सन् १६५८-५६ के अन्दर इस योजना के लिए तीन करोड़ रुपया रखा गया है और इस योजना पर पांच साल के अन्दर २२ करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है। पिछली वर्ष एक करोड़ रुपया का इस योजना के लिए प्रावधान था, लेकिन वह खर्च नहीं हुआ। अब इस साल तीन करोड़ रुपये का इस योजना के लिए जो प्रावधान रखा गया है, मैं समझता हूँ कि अगर यह काम इस गति से चलता रहा, तो जो आने वाले तीन वर्ष हैं, उनके अन्दर १८ करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पायेंगे और इस योजना से जिन लाखों किसानों को लाभ होने वाला है, उन्हें, इस योजना के समय पर खत्म न होने के कारण, लाभ नहीं दे पायेंगे। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव को पेश करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस काम के लिए जो निश्चित टार्गेट्स और डेट मुकर्रर की हैं, उन्हीं डेट्स पर इस काम को पूरा करने का दृढ़ संकल्प करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय।

श्री दयाकृष्ण विजय (छाबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष, अनुदान की मांग संख्या ३२ के अन्तर्गत कटौती प्रस्ताव रखते हुए मैं सदन का ध्यान राजस्थान की महत्वपूर्ण सिंचाई योजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभी को विदित है कि हमारे यहां एक सिंचाई बांध की योजना चल रही है। इस सिंचाई योजना के पीछे जितना प्रचार और भविष्य की सुखद कल्पनायें की जा रही हैं पत्रों में, पत्रिकाओं में और पेम्फलेट्स के द्वारा, निस्सन्देह, यह बांध यदि, जिस प्रकार इसकी योजना बनाई गई है, पूर्ण होता है, तो इसमें सन्देह नहीं रहता कि कोटा ही नहीं बल्कि पूर्ण राजस्थान में अन्न का प्रचुर भंडार हो जायगा। कोटा के अन्दर कपास की कितनी ही मिलें खुल जायेंगी, सुगर की कितनी ही फेक्ट्री खुल जायेंगी, कोटा में इतनी वृद्धि हो जायगी कि वह हिन्दुस्तान का दूसरा कानपुर जैसा शहर हो जायगा। इस प्रकार की सुखद कल्पनाओं के बीच निर्माण होने वाले चम्बल बांध को देखते हैं तो. सदन में एक बार पहले भी इस प्रकार की चर्चा हो चुकी है, इस बांध के निर्माण में कितनी अनियमिततायें और भूलें हो रही हैं और इन अनियमितताओं का और भूलों का परिणाम क्या होगा; यह तो भविष्य ही बतायेगा। जो चम्बल बांध कोटा में बनाया जा रहा है, वह कोटा के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर बनाया जा रहा है। चम्बल नदी कोटा से बिल्कुल मिली हुई है। जिन लोगों ने इस स्थान को देखा होगा, वे इसे भली भांति जानते होंगे। इस स्थान पर यह बांध जिस गति से बन रहा है, मैं सबसे पहले इस बात को बताना चाहता हूं। पहले इस बांध का कार्य १६५६ तक समाप्त हो जाना चाहिये था और नहरों में पानी चला जाना चाहिये था। लेकिन जिस मंद गति से काम चल रहा है, उसको देखते हुए उस सीमा को बढ़ाकर, अब १६६१ कर दिया है। हमें सन्देह है कि यह काम १६६१ तक भी पूरा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार निर्माण कार्य चल रहा है। उसकी ओर मैं विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। गई बार इस सदन में सीट पाइलिंग के क्वेश्चन को लेकर, एक माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था, उसका

(श्री दयाकृष्ण विजय)

सिंचाई मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था, उसके ऊपर आधे घंटे का डिस्कशन भी हुआ था। उस वाद-विवाद के समय फ्रैंच इन्जीनियर की रिपोर्ट को रखा गया था। मेरे पास भी इस रिपोर्ट के कुछ अंश हैं, जिन्हें मैं अपने भाषण के दौरान में बताऊंगा। आज जिस ढंग से काम चल रहा है, जिस ढंग से प्रगति हो रही है और आगे क्या होने वाला है, यह मैं संक्षेप में सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। इस समय रिटेनिंग वाल बन चुकी है और दूसरी तरफ खुदाई का काम चल रहा है, बीच में एक दीवार बनाई जा रही है, जो करीब १२३ फीट के करीब बन चुकी है। वह १२३ फीट दीवार सूखी जगह पर बनी है। यह जो रिटेनिंग वाल तैयार की जा रही है, उसके लिए पानी तोड़ा जा रहा है, पर ज्यों ज्यों दीवार आगे जाती है, पानी बढ़ता जा रहा है। इस समय करीब ३० पम्प लगे हुए हैं पानी तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी पानी नहीं टूट सका है। मैं सदन का ध्यान फ्रैंच इन्जीनियर की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा कि ८२५ फीट तक दीवार में शीट पाइलिंग किया गया है। मैं इस तरफ भी ध्यान आकर्षित करूं कि जिस तेजी से कार्य किया जा रहा है, उससे शीट पाइलिंग साफ सामने नज़र आती है, और उसके बीच में कितने ही छिद्र हैं। शीट पाइलिंग के अन्दर कितने ही छिद्र पड़ गये हैं, उनमें से कितना पानी बहा होगा ? जो शीट्स हैं वे नै गई हैं, झुक गई हैं और टूटने जैसी हो गई हैं। ये शीट पाइलिंग कैसे चम्बल के बहाव को रोक लेंगे, कैसे इस बांध के कार्य को कर लेंगे जब कि फ्रैंच इन्जीनियर कहते हैं कि शीट पाइलिंग बेकार हो गई है। जिन चट्टानों की सतह पर शीट पाइलिंग कर दी है, वह साफ नजर आती है कि बड़े बड़े पत्थरों पर बाउन्डरी टिकी हुई है। मैंने खुद जाकर परसों ही देखा है और देखने के बाद, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि ये शीट पाइलिंग बेकार हैं और पानी रोकने में असमर्थ हैं।

इसके अतिरिक्त एक और भूल हुई है और वह इसलिए हुई है कि चम्बल बांध के कार्य को जल्दी से जल्दी करके दिखा दें। इसके लिए उन्होंने पानी पम्प करने के लिए एक बाउन्डरी का काम लिया; उसमें मिट्टी भरी जानी चाहिए थी, जिससे पानी रुक जाय। लेकिन उस बाउन्डरी को भर कर मिट्टी ऊपर से बिछा दी। उस बाउन्डरी से पानी रिसता है और वह पानी इतनी तेजी से आता है कि पम्प के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। अगर वह पम्प एक मिनट के लिए रुक जाता है तो एक इंच पानी बढ़ जाता है। मैं आपको परसों का ही किस्सा बताता हूं कि पांच मिनट के लिये पम्प का काम बंद हुआ, तो पानी इतना बढ़ा कि पम्प को भी ढक लिया। इस तेजी के साथ चारों तरफ पानी आ रहा है।

(घंटी)

कि कहना मुश्किल है। अब किस प्रकार दीवार को आगे बढ़ाना है, जब कि इतना पानी भरा हुआ है और पानी को तोड़ सकते नहीं, तो उसके लिए वे एक काम कर रहे हैं कि वे सीमेन्ट की बोरियों का एक चोखटा बनाते हैं और उससे जहां पानी भरा रहता है, उस पानी को तोड़ते हैं। वे इसमें सीमेन्ट चूना और रेत को मिला कर भी डालते हैं, उससे पानी एक ओर इकट्ठा हो जाता है। मैं इसमें अधिक निपुण या विशेषज्ञ नहीं हूं इसलिए इससे क्या खराबी होती है, वह मैं नहीं जानता लेकिन मैंने वहां मिस्त्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं कहीं चट्टान निकल

Page No.63

(श्री दयाकृष्ण विजय)

आती है, उस चट्टान का पता नहीं होता है कि वह सोलिड है, या होलो है । इस बात का पता नहीं लगाया गया है और उस चट्टान के ऊपर जो पानी है, उस पानी को तोड़ कर चट्टान को अच्छी तरह से नहीं तरह से नहीं देखते हैं। मुझे बताया गया है कि चट्टान पर बांध ठहराने के लिए पहले ब्लास्टिंग करके देखना चाहिए और यह मालूम करके बांध बनाना चाहिए जिससे पानी रोका जाय। इस प्रकार की कोई योजना नहीं हो रही है। अगर इस प्रकार की बात कुछ मिस्त्री लोग इन्जीनियर के सामने रखते हैं कि इतनी तेजी के साथ काम करेंगे, तो यह जल्दी टूट जायगा,- इससे कोटा को नुकसान होगा । तो वे कहते हैं कि काम जल्दी पूरा करना है, जैसी मेरी आज्ञा हो, वैसा करो। अगर मिस्त्री लोग कोई कमियां बताते हैं तो उनको डांट दिया जाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं केवल जो एक अवधि है, उसके अन्दर ही एक काम को पूरा कर देना है. इसलिए काम को कमजोर बना कर करा जाय, इससे होने वाला नुकसान आपके सामने है।

(घंटी)

तो काम की गति है, वह आपके सामने है। इसके अतिरिक्त कोटा की स्थिति है, वह आपके सामने है, पर जो गांव और झोंपड़ियां इसके पास हैं, उन सबके बह जाने का डर है। आज इतनी देरी की जा रही है, उससे कितना नुकसान हो रहा है, जिन किसानों को १६५६ में पानी मिलने वाला था, उन्हें पानी १६६१ में मिलेगा, दो साल पहले पानी नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इसकी कल्पना कीजिये कि कितनी लम्बी नहरें इस बांध से निकलने वाली थी, उनका काम कितनी धीमी गति से चल रहा है । मैं इसलिए मांग करना चाहता हूं कि इस बांध योजना की किसी विशेषज्ञ द्वारा जांच की जाय और इससे कुछ और देरी हो जाय तो कोई बात नहीं है । लेकिन इस बात को देखना चाहिए, जिस बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हो सकता है, जिस चीज की सूचना मैं मंत्री महोदय को दे रहा हूं, उसकी रिपोर्ट उनके पास न आई हो। पर जो सूचना मैं दे रहा हूं, कल परसों मैं वहां गया था, वहां देखने के बाद आपके सामने रख रहा हूं ।

(घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ क्षण के लिए और बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : You have already consumed lo minutes.

श्री दया कृष्ण विजय : मैं जानता हूं। इसमें उन बोर्डर्स को हटाया जा रहा है. कितनी कठिनाई हो रही है। बोर्डर्स की नासमझी के कारण लगाये गये शीट पाइलिंग को हटाया जा रहा है और वहां दीवारें खड़ी हैं, उनमें से धारें बह रही हैं,पानी बह रहा है। पानी इस कोर्नर से उस कोर्नर तक बह रहा है। दीवारें खड़ी हैं और पानी बह रहा है। इन्जीनियर साहब आये और उन्होंने सीमेंट लगवाई और इस तरह थोड़ी देर के लिये पानी के बहाव को रोक दिया गया पर पानी के अन्दर नीचे की सतह होती है। जितनी बड़ी सतह होती है, उतना ही नीचे पानी धंसना चाहता है । काफी गहरा पानी भरा रहेगा तो उतना ही नीचे की ओर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इस तरह कमजोर नींव पर बनाया गया बांध कितने दिन टिक सकता है ! इस लिये मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच कराई जाय, भारतवर्ष के अच्छे-अच्छे इन्जीनियर्स हैं उनकी कमेटी बनाई जाय, और इस बारे में जांच कराई जाय।

श्री उपाध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम लाल :

(अनुपस्थित)

श्री श्योपतसिंह

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन पर मैंने एक कटौती प्रस्ताव राजस्थान केनाल पर ठेकेदारी सिस्टम पर काम न करवाया जाय, इस पर बातें बताने के लिए रखा है। आज राजस्थान केनाल के बारे में जहां कि अब खुदाई का काम चालू होने वाला है। यह बड़े हर्ष की बात है कि राजस्थान केनाल बन रही है, यह केवल राजस्थान के लिए ही हर्ष की बात नहीं है बल्कि सारे हिन्दुस्तान को इस राजस्थान केनाल पर गर्व है। अब सवाल उठता है कि मैं ठेकेदारी सिस्टम के खिलाफ क्यों हूं, भाखरा की नहरों की थोड़ी सी तस्वीर मेरे सामने आती है। भाखरा की स्कीम पर साढ़े चार करोड़ रुपया खर्च हुआ, उस इलाके का नुमायन्दा होने के कारण मैं जानता हूं कि इस केनाल एरिया में कितना रुपया खर्च हुआ और कितना रुपया सरकार का बर्बाद हुआ, उसके बारे में यदि मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं तो उचित ही होगा। आज आपको सबसे अजीब चीज मालूम होगी वह भाखरा केनाल के उन डाकुओं के बारे में, जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, वे राजस्थान सरकार के खजाने से पैसा लूटते हैं, मैं आम भ्रष्टाचार की बात छोड़ता हूं, पर ये अजीब तरह के डाकू हैं, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसर और ठेकेदार लोग जो हमारी सारी स्कीम में से ५० फी सदी रुपया लूट लेते हैं, ५० फी सदी रुपया इनकी जेबों में जाता है। चार पांच साल इन नहरों पर काम हुआ, उसके तजुर्बे के आधार पर कहता हूं और पहले भी इस सदन में इस सम्बन्ध में मैंने कहा है।

भाखरा केनाल का अर्थ-वर्क (earth-work) का काम हुआ है, जिस पर १ करोड़ २३ लाख रुपया खर्च हुआ है, उसमें से रेगुलेटर्स, ब्रिजेज़ पर साढ़े छत्तीस लाख रुपया खर्च हुआ, यह ही असली काम में भाखरा केनाल पर रुपया खर्च हुआ है। वहां जा कर देखा जाय २६००००० रुपये की मशीनरी एक डेढ़ साल चलने के बाद निकम्मी पड़ी है। ठेकेदार क्या कमाते हैं, १५ पर्सेंट अपनी जेब में रखते हैं और १५ पर्सेंट कमीशन के तौर पर ऑफीसर्स उनसे वसूल करते हैं। ६६ करोड़ रुपया हमारी राजस्थान केनाल में खर्च हो रहा है, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ और मन्त्री महोदय से भी अर्ज कर दूं जिस समय भाखरा केनाल का काम चला था, उस वक्त पंजाब के अन्दर सैकड़ों इन्जीनियर्स, ओवरसीयर्स, ऑफीसर्स और ठेकेदारों को सरकार ने हवालात के सीकचों में बन्द कर दिया, गबन की वजह से, पर हमारी राजस्थान सरकार इतनी सुस्त है, उसको यह सारे काम देखने के लिए मानो फुर्सत ही नहीं, जहां पंजाब में सैकड़ों ऑफीसर्स, इन्जीनियर्स, ओवरसीयर्स और ठेकेदारों को हवालात में बन्द किया वहां यहां कुछ भी नहीं किया गया मानों जैसे यहां के ये लोग सारे के सारे देवता लोग हैं और आसमान से टपक पड़े हों। इस विभाग में चन्द अच्छे ऑफीसर्स भी हैं। आम जनता में यह बात चलती है कि किस तरह से धन का दुरुपयोग हुआ। हमें खुशी है इस बात की कि राजस्थान केनाल आ रही है पर राजस्थान केनाल के नाम पर रुपया ठेकेदारों और ऑफीसर्स की जेबों में नहीं जाय, इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि ठेकेदारी के आधार पर काम नहीं कराया जाय और राजस्थान के ऑफीसर्स की देख-रेख में मजदूरों को रखकर, दस, दस हजारके मजदूरों के गैंग बनाकर एक एक एस. डी. ओ. की देख

Page No.65

(श्री श्योपतसिंह)

रेख में काम कराया जाय। इन मजदूरों में कम्पीटिशन की भावना पैदा की जाय। हिन्दुस्तान के एक विद्वान् आदमी हाल ही में चीन का दौरा करके आये हैं, उन्होंने चीन में होने वाले नहरों के काम का हवाला देते हुए कहा कि मजदूरों में कम्पीटिशन पैदा किया गया। इस तरह सरकारी अफसरों की देखरेख में जो काम दो साल में होने वाला था, वह काम एक साल में पूरा करा लिया गया। आज राजस्थान केनाल का काम हो रहा है, इसके आफिसेज़ गंगानगर में, अनूपगढ़ में, और हनुमानगढ़ में हैं जो राजस्थान केनाल से साठ-सत्तर मील की दूरी पर हैं। साठ-सत्तर मील दूर रहने वाले अफसर क्या इस काम को सुचारु रूप से चालू रख सकते हैं।

वहां चीन के अन्दर, उन विद्वान् सज्जन ने कहा है कि ऑफीसर्स को मजदूरों के साथ टेन्ट्स में रहना पड़ता है और कम्पीटिशन से काम होता है। तो अगर राजस्थान का रुपया बचाना चाहते हैं तो ध्यान से देखना होगा और ठेकेदारी सिस्टम से काम न लेकर इर्रिगेशन डिपार्टमेंट में यह धांधली बन्द करनी होगी। इतना रुपया सीधा ठेकेदारों और अफसरों की जेबों में चला जाता है, यह मामूली बात नहीं, एक बहुत बड़ा मामला है, यह करोड़ों रुपयों का मामला है, बहुत बड़ा मामला है। मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि सरकार के सामने, मन्त्री महोदय के सामने रखूं और वे इस पर गौर करें।

इसके साथ ही भाखरा एरिया में जो धांधली हुई है उसके बारे में भी बता दूं। मैंने पर्सनली देखा है कि किस तरह वहां सीमेंट का गोलमाल किया जाता है। नहर शार्दूल ब्रांच मेरे पास, मेरे खेत में से गुजरती है, मेरे खेत में हल चलाने वाले....

श्री रामकिशोर व्यास : यह कट मोशन के बाहर है, वैसे आप फरमा दीजिए।

श्री श्योपतसिंह : मैं उदाहरण दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका एक कट मोशन और है उसका ख्याल रखते हुए बोलिए।

श्री श्योपतसिंह : हां, ध्यान में है। मैं उस पर भी बोलूंगा। तो मेरे खेत में हल चलाने वाले सीरियों ने वहां एक टीले में से १० कट्टे सीमेंट के निकाल रखे थे, मुझे कहा कि देखिये ये १० कट्टे सीमेंट के इस टीले में से निकले हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे गांव के एक किसान के खेत में से १० कट्टे सीमेंट के बारिश से भीग कर पत्थर बने हुए मिले, उसने बताया कि यह हालत है। जो हमारे भाखरा एरिया में रुपया लगा है उसका खमियाजा हमको भुगतना पड़ता है, यह सत्य है, झूठ नहीं है, भाखरा केनाल पर हजार कट्टे सीमेंट बारिश में भीग कर पत्थर बन गई है। तो यह जो ६० करोड़ रुपया राजस्थान केनाल पर खर्च करने जा रहे हैं, उसमें से ३० करोड़ रुपये के लिए दुहाई देता हूं कि जो यह खर्चा होगा उसका बोझा राजस्थान की जनता पर पड़ेगा। इसके लिए अर्ज करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाय और ठेकेदारी सिस्टम नहीं रखकर मजदूरों को कोऑपरेटिव बेसिस पर संगठन बनाये जांय और अफसरों की देखरेख में काम हो और चेकिंग बहुत बड़ा होना चाहिये।

पंजाब की भाखरा नहरों के बारे में मैं पढ़ता था और देखता था कितने सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया, कितने इन्जीनियर्स, ओवरसीयर्स और ठेकेदारों को

(श्री श्योपतसिंह)

हवालात में रख दिया गया। तो हमें ख्याल होता था कि हमारी सरकार कितनी सुस्त है। मन्त्री महोदय बुरा न मानें, दर असल चीज़ यह है। हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने नहरें कभी देखी ही नहीं। जिस आदमी को इसका ज्ञान नहीं है और न उनको जाने का इतना समय है कि वे उसे जाकर देखें कि क्या हालत है, वह फिर क्या कर सकता है? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया जाकर देखें और जिन लोगों ने गड़बड़ियें की हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें। मैंने तो यह जो सुझाव दिया है, वह पब्लिक के और राजस्थान के हित में दिया है, मेरा तो इसमें कोई इन्ट्रेस्ट है नहीं और न कोई मेरा इसमें लगाव है।

अब रहा भाखरा केनाल के मोघे और नहरों के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप दूसरे कट मोशन पर आ रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह: (जारी) जी हां, नेक्स्ट। अब आप देखिये, भाखरा केनाल का क्या हाल है, दो वर्ष हुए नहरें कम्प्लीट हो चुकी हैं। मगर जब नहर आती है, तो क्या हाल होता है। मैं आपको बताऊं कि मेरे खेत के पास ही मोडियों ब्रांच नहर आई है जो पिछले साल एक जगह से टूट गई थी। वहां के ऑफिसरों को परवाह ही नहीं कि नहर टूट रही है। जब मैं एस० डी० ओ० से मिला और कहा कि २० दिनों से नहर टूट रही है, आप जरा देखें तो सही इससे शादूर्ल नहर को भी खतरा हो गया है। मैंने कहा वह भी नहर टूटेगी, तब उन्होंने कहा कि यह हमारा काम है, आपका काम नहीं है, आप क्यों इसमें चिन्ता करते हैं? मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ कि नहर टूटी थी और उसके निशान अब भी मौजूद हैं, मगर कोई कार्यवाही नहीं होती। मुझे दुःख है कि जो लोग उम्मीद लगाये बैठे थे कि नहरें आने से हमारा फायदा होगा मगर होता क्या है कि एक महीने तक नहर टूटी रहती है, कोई सुनने और देखने वाला नहीं। यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है।

अब मोघों के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे हनुमानगढ़ के पास पहले नौर्थ घग्घर और साउथ घग्घर से बहुत बड़ा एरिया आबपाश होता था मगर आज उसी नहर के ६ मील के टुकड़े को भाखरा की नहर में कन्वर्ट कर दिया और उस हिस्से को पानी नहीं मिलता है। इसका नतीजा यह हुआ कि ५० वर्षों से उस एरिया को उससे आबपाशी के लिये पानी मिलता था, अब वह एरिया सूखा पड़ा है और हालांकि उसी नहर में पानी चल रहा है। मगर उन लोगों को पानी नहीं मिलता और उस जगह अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं होता है। यह हालत है। हम देखते हैं कि ५० सालों से हजारों मन अनाज जो एरिया पैदा करता था वही आज उनके खेतों को पानी दे नहीं रहा है। यह अफसोस की बात है। हमें भाखरा केनाल आने से फायदा होना चाहिये लेकिन वहां के लोगों की इससे कोई फायदा नहीं हुआ। यह मोघों की हालत है। आज तीन तीन साल से मोघों के केस चल रहे हैं मगर कोई फैसला नहीं होता है, यही हालत और दो मोडिया की है। एक मोडिया पर आज सिर्फ ३५ बीघा जमीन ही आबपाश होती है जहां १००० बीघा के चक में सैकड़ों बीघा जमीन आबपाश होनी चाहिये थी। मगर सिर्फ ३५ बीघा जमीन को ही पानी मिलता है, यह

(श्री श्योपतसिंह)

हालत है । जहां हमारे राजस्थान को हरा भरा करने के लिये इतना रुपया खर्च किया गया वहां आज भाखरा की नहरें इस तरह पानी देती हैं । इसलिये मैं यह माननीय मन्त्री महोदय से अपील करूंगा कि वे इस साल जितने भी मोघों के केसेज़ हैं, उनको जल्दी से जल्दी निपटा दें, ताकि लोगों को पानी मिल सके और अधिक अन्न पैदा कर सकें । जहां अन्न की हिन्दुस्तान में कमी है, वहां पर इस प्रकार से हम आंखें मूंद कर बैठें तो मैं यह कहूंगा कि इससे न राष्ट्र का हित है और न दूसरों का हित है ।

(घंटी)

बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो अब मैं माननीय मंत्री महोदय से इसके लिये अर्ज कर दूं कि इसी तरह से रहा तो हमें बहुत नुकसान होगा । अब मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन चकों में से रेल्वे लाइन निकली है वहां पर अभी तक रेल्वे क्रासिंग (पुलिया) नहीं बनाये गये । इससे बहुत सी उपजाऊ जमीन काश्त नहीं हो सकती है और इस वजह से बहुत सी जमीन रेल्वे की वजह से सूखी पड़ी है । इसलिये मेरी यह अपील है कि जो भी मोघे हैं उनको जल्दी से जल्दी इसी साल नहर आने से पहले ठीक कर दिये जावें ताकि जमीदारों के खेतों को पानी मिल सके और पानी की समस्या जो है वह हल जल्दी से जल्दी हल हो जाए ।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई योजना के सम्बन्ध में अनुदान की मांग है और उसमें एक नहीं कई एक तरह के कटौती के प्रस्ताव आये, यह बड़ी विलक्षण सी बात लग सकती है, वह भी आज जैसे युग में जब हम विकास की ओर बहुत तेजी से बढ़ना चाहते हैं । इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारे विकास के लिये, भूमि का विकास होना बहुत जरूरी है और भूमि विकास के लिये सिंचाई योजनाओं का विकास हो, यह बात जरूरी थी । यहां पर जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं वे इसलिये नहीं, इस उद्देश्य से नहीं या इसके पीछे हम लोगों की यह मंशा नहीं है कि जो रकम मांगी गई है उसमें कमी की जावे बल्कि यह तो सदन के द्वारा अब तक की गई, उनकी सिंचाई योजना के क्रियान्वय का एक सुन्दर सा सर्वेक्षण है, आशा है कि सरकार इस आलोचना को इन सर्वेक्षण को ध्यान में रख कर, आगे अपनी योजना को क्रियान्वित करेगी ।

राजस्थान की जैसी परिस्थिति है वह एकसी नहीं है इसलिए अलग अलग प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुसार हमको अपनी सिंचाई योजना बनानी होगी । बड़ी सिंचाई योजना का कोई विरोध नहीं कर सकता क्योंकि उसमे भी हमको लाभ होता है । सिंचाई से हमारा उत्पादन बढ़ता है जिससे हमारे जीवन की मूलभूत समस्या हल होती है और दूसरी और सिंचन शुल्क के रूप में हमारे सरकार की आय बढ़ती है । लेकिन बड़ी बड़ी योजनाओं से बहुत आगे चल कर, बहुत समय के बाद लाभ मिलता है जबकि छोटी छोटी योजनाएं हमें बहुत जल्दी लाभ पहुंचाती हैं । इसलिये सरकार का ध्यान सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना की ओर होना चाहिए लेकिन जैसा कि हम बजट में देखते हैं, इस साल लघु सिंचाई योजनाओं पर कुल ४५ लाख की राशि रखी गयी है जबकि पिछले साल इससे कहीं अधिक राशि रखी गई थी । कम राशि तो रखी गई सो एक बात है, लेकिन पिछले बजट में निर्धारित राशि में से कुल ३० लाख

(डॉ० चन्द्रकला)

रुपया खर्च कम किया गया जिससे स्पष्ट है कि लघु सिंचाई योजना की ओर हमारा ध्यान नहीं है। मैं मानती हूँ और सदन भी इसको महसूस करता होगा कि प्रान्त में छोटी-छोटी योजनाओं को अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। ये सिंचाई योजनाएं उतनी सफल नहीं हो सकी हैं; मुझे ऐसा लगता है, उसका कारण यह रहा होगा कि लोगों का सहयोग इन छोटी-छोटी योजनाओं में नहीं रहा होगा। कारण यह है कि सिंचाई योजनाएं एक दम धीरे-धीरे चली हैं और उनके बारे में हमारी नीति भी ढिल-मिल रही है वह संतुलित नहीं रही। मुझे एक दो योजनाओं का ध्यान है जिनमें लोगों को उत्साह मिला। लोगों ने सोचा कि यहां बांध बनेगा जिससे जो बेकार बंजर पड़ी हुई जमीन है, वह हरी भरी हो जावेगी। लोगों ने उत्साह दिखाया और उत्साह के साथ उसमें सहयोग दिया। सरकार ने काम किया और जो पानी छोटी २ नदियों और नालों में बह कर चला जाता था, उसका छोटा सा बांध बना और वहां एक रमणीक तालाब का दृश्य उपस्थित हो गया। उससे नहरें निकाली गई। लेकिन पहली बरसात में ही जब वह तालाब पहली बार भरा तो टूट गया। किसी तरह से बांध की मरम्मत कर दी गई, अब वहां पानी संग्रहीत है। लेकिन सिंचाई के नाम पर उससे कोई लाभ नहीं है। यह केवल एक तालाब की कहानी नहीं है, लेकिन छोटे २ बांधों के लिए जो सरकार ने अपनी योजना क्रियान्वित की हैं, वहां सभी जगह यह हाल हुआ है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और जिस किसी के कारण जनता की सम्पत्ति की इतनी बड़ी क्षति हुई है उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। नहीं तो जिस उत्साह से गांव के लोग प्रारम्भ से जिस उत्साह पूर्वक कार्य में सहयोग देते हैं, यदि इन कार्यों का यही हाल रहा तो उनका उत्साह भंग हो जाने वाला है और वे उस ओर इतनी रुचि नहीं प्रदर्शित करेंगे। जब गांवों की जनता उत्साह पूर्वक किसी योजना में हाथ बंटाने पर भी यह देखती है कि उन योजनाओं के ठीक रूप में क्रियान्वित नही होने के कारण, उन बांधों के टूट जाने से, योजना बरबाद हो जाती है तो आगे से वे उन कार्यों में कोई उत्साह नहीं दिखाती और स्पष्टतया जो सफलता हम उनके सहयोग के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, वह सफलता भी हमारे से दूर चली जाती है। इसलिए मैं तो यह कहूँगी कि हमारी सरकार को यहां पर कही हुई बातों की ओर ध्यान रखते हुये एवं जनता के उत्साह का लाभ लेते हुए जो हमारी लघु सिंचाई योजना है उसको अधिक से अधिक विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मेरा एक कटौती प्रस्ताव है।

दूसरा कटौती प्रस्ताव मैंने यह रखा है हालांकि यह विरोधाभास सा मालूम होता है कि एक ओर तो हम सिंचाई के लिए प्रयत्नशील हैं एवं हमारा यह प्रयत्न है कि जो पानी प्रकृति से मिलता है, उसका ठीक प्रकार से उपयोग किया जाय। वहां दूसरी ओर बाढ़ नियन्त्रण के लिए प्रस्ताव है। हमारे बजट में में २ लाख की राशि बाढ़ नियन्त्रण के लिए रखी हुई है। मुझे इसके बारे में एक छोटे से बांध के पानी की बाढ़ को रोकने के लिए कहना है, जो जयपुर शहर के नजदीक है और वह नाहरी का बांध है। उससे जो जन-क्षति हुई है, वह तो हमें विदित ही है। यह तो सही है कि रोज-रोज इस प्रकार की घटनायें नहीं होतीं, सालों में होती हैं लेकिन सालों में जो भीषण क्षति होती है, वह हमें

Page No.69

(डॉ० चन्द्रकला)

यह चेतावनी देती है कि पहले ही से हमें अपने साधनों को जुटा कर सुरक्षित हो जाना चाहिए। नाहरी के नाके को तटबन्धन की राशि को ध्यान में रखते हुये उसका उपयोग करके उसको पूरी तरह से सुरक्षित बना दें जिससे कि जयपुर शहर को पुनः नुकसान न पहुँच सके। अभी कुछ दिनों पूर्व मुझे मालूम हुआ कि इस प्रकार की योजना है कि नाहरी के नाके के पानी के निकास के लिए ऐसा नाला बना दिया जायगा जिसमें करीब ५, ६ लाख रुपया लगेगा जिससे इस प्रकार की दिक्कत आगे न आने पावेगी और न ही शहर को नुकसान हो सकेगा। इसलिए मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि इस योजना को ध्यान में रखते हुए, नाहरी के नाके के बांध को इतना मजबूत कर देना चाहिए, न केवल मजबूत कर देना चाहिए किन्तु उसके पानी की दिशा को परिवर्तित करके उसका अधिक उपयोग होने की ओर ध्यान देते हुये उसको शहर में आकर नुकसान पहुंचाने से रोकना चाहिए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या ३२ में मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। कटौती प्रस्ताव इस प्रकार है :

"मांग संख्या ३२ के अन्तर्गत मुख्य शीर्षक ६८ सिंचन आदि में से १००) रु० कम कर दिये जांय। (बसवा तहसील में नदी सावों पर गादरवाड़ा के नजदीक लघु सिंचन कार्य योजना में प्रस्तावित बांध बनाने में असफल रहने पर विचार करने के लिए)" इस सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि भूतपूर्व जयपुर सरकार के जमाने में ही माइनर इर्रिगेशन वर्क का, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, सर्वेक्षण हो चुका और छोटा बांध बनाने के लिये उसको उपयुक्त स्थान माना गया। लेकिन राजस्थान बनने के बाद राजस्थान इर्रिगेशन विभाग को पहले के वे सब कागजात प्राप्त हुए और सिंचाई विभाग ने उस स्थल को छोटा बांध बनाने के लिए उपयुक्त स्थल माना। मेरी ऐसी सूचना है कि सर्वेक्षण के बाद एस्टीमेंट्स तैयार हो चुके थे, और उनकी सेन्क्शन की ही बात बाकी रह गई थी। यदि नदी सावों पर गादरवाड़ा के नजदीक बनाये जाने वाली बांध बंध जाता, तो सात आठ हजार बीघा जमीन की सिंचाई कर सकते थे। लेकिन वह बांध आज तक नहीं बनाया गया और उसको प्रथम पंचवर्षीय योजना से भी ड्राप कर दिया गया था। इसका कारण मालूम करने पर यह विदित हुआ कि भरतपुर जिले के कुछ लोगों ने इस सम्बन्ध में, सरकार के पास एप्रोच किया था और यह जाहिर किया था कि इस नदी पर बांध बन जाने से इस नदी का पानी जो भरतपुर जाता है और वहां सिंचाई के काम में आता है, वहां इससे कमी हो जावेगी और वहां की जमीन बिना पानी के रह जावेगी। सरकार ने बिना किसी विशेषज्ञ को इस कार्य के लिये नियुक्त किये और बिना राय मांगे ही किसी से लेमेन के रिप्रेज़ेन्टेशन पर इस कार्य को स्थगित कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि बांदीकुई तहसील की जनता की बराबर मांग होने पर भी, न तो उसको प्रथम पंचवर्षीय योजना में रखा और न ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रखा और न इस ओर कोई कार्य बनाया जा रहा है। बांदीकुई तहसील के प्रतिनिधि बारबार सरकार के पास गये हैं, अधिकारियों से मिले हैं, मैंने भी कटौती प्रस्ताव से और अन्य उपायों से सरकार का इस ओर ध्यान खींचने का प्रयास किया।

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

मेरे सुझाव इस ओर यह रहे है कि ठीक बात किसी एक्सपर्ट को डेप्यूट करके मालूम करनी चाहिये कि भरतपुर जिले को इसके द्वारा सिंचाई के लिए कितनी आवश्यकता है ? वैसे कई नदियां हैं, बाण गंगा, कालाखोह आदि उनका पानी भरतपुर में जाकर गिरता है, उनका एक एक साल में कुल कितना पानी होता है; इसकी औसत निकाल ली जाय और इस नतीजे से निकाल सकते हैं कि पानी जो भरतपुर में जाता है, वह वहां की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है या उससे अधिक है । यदि अधिक है तो इस सावों नदी पर बांध बनाया जाकर सिंचाई से अन्न की पैदावार बढ़ाई जा सकती है तो इसका उपयोग क्यों न किया जाय ? राजस्थान के चीफ इन्जीनियर ने यह कहा था कि इसका ब्ल्यू प्रिन्ट तैयार किया है और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन की आवश्यकता है और चूंकि यह नीति सम्बन्धी मसला है, जिसका निर्णय हम नहीं कर सकते, सरकार ही करेगी । यह तीन चार साल पहले बात कही गई थी । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार वह कार्य नहीं कर पायी और इस ओर इतनी उदासीन रही कि आज तक निर्णय नहीं कर सकी । हाल यह है कि इस ओर कोई प्रगति ही नहीं हो सकी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि कोई इस बारे में निश्चित जवाब दे सकेंगे और सही स्थिति से सूचित कर सकेंगे ।

एक बात मुझे इस सम्बन्ध में कहनी है, वह यह है कि प्लानिंग कमीशन ने महसूस किया कि जहां तक विकास का सवाल है, वह बेलेन्सड होना चाहिये, संतुलित होना चाहिये । यदि किसी एक डिविज़न के विकास की ओर ध्यान देते हैं और वहां विकास ज्यादा दर्जे तक कर देते हैं और दूसरे इलाकों में यदि विकास उसी प्रगति के साथ नहीं होता है, वे विकास के माने में पिछड़ जाते हैं तो उस दृष्टि से विकास का बुरा असर पड़ेगा और लाखों रुपया जो इस सम्बन्ध में खर्च किया जा रहा है वह श्रेष्ठतर नहीं हो सकेगा और बेकार जावेगा । तो इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है । इस क्षेत्र में बसवा तहसील में आज तक कोई सिंचाई के लिये बान्ध की या सिंचाई के लिये किसी प्रकार की योजना का प्रबन्ध सरकार द्वारा नहीं किया जा सका है । प्रथम पंचवर्षीय योजना निकल गई लेकिन वहां किसी प्रकार का काम शुरू नहीं किया गया । एक नदी बाण गंगा वहां से निकलती है, नदी सावां पलासन के पास उसका पानी रोक कर बांध बनाया जा सकता है । एक तरफ तो पहाड़ आ गया वो तो पक्की दीवार के रूप में काम करेगा ही, दूसरी तरफ एक पक्की दीवार बनाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता, इसलिये वहां के किसानों को बड़ी निराशा है । इसके कारण हजारों बीघा जमीन वहां पर ऐसी पड़ी है, जिससे वहां काश्त नहीं हो पाती । अगर वहां इस प्रकार का बांध बना दिया जाय तो दो फसलें हो सकती हैं और इससे वहां के किसानों में काफी खुशहाली होगी दूसरी तरफ अनाज की पैदावार बढ़ेगी । इसी मसले की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिये मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है ।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव यह है, बांदीकुई के पास खासतौर से कोई लघु सिंचाई के कार्य नहीं हुए हैं । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि कुओं के लिये तकावी बांटी जाती है, लेकिन हमारे यहां के लोगों के काफी

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)

तकाजे के बावजूद और सैकड़ों प्रार्थना-पत्रों के बावजूद भी इस दिशा में सरकार कोई कदम उठाने में असफल रही है। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा जैसा कि मैंने सुना है, राजस्थान में ट्यूब वेल्स को बोर करने की स्कीम है, वहां पर जहां कि माइनर इर्रिगेशन हो सकता है। मेरा ऐसा निवेदन है कि जहां माइनर इर्रिगेशन के लिए कुछ भी नहीं किया गया, वहां ट्यूब वेल्स की स्कीम को प्रायोरिटी देनी चाहिये। पलासना नदी का पानी बांदीकुई तहसील में काफी जगह से होकर बहता है, उसका पानी आसानी से रोका जा सकता है। एक तरफ तो वहां पहाड़ आ गया है, दूसरी तरफ सिर्फ पक्की दीवार बनाने की आवश्यकता रहती है। जिस प्रकार जवाई का मेक है, उसी मेक की यह तहसील है। दो-दो पहाड़ों के बीच में होकर नदियां निकलती हैं। वहां बहुत अच्छा बांध बन सकता है। इससे काफी भूमि की सिंचाई भी हो सकती है। इससे आस-पास में जितने भी कुए हैं, उनके पानी का स्तर भी ऊंचा आ सकता है और ये सारे लाभ वहां के किसानों को हो सकते हैं।

मैं आशा करता हूं, इस विभाग के मन्त्री महोदय, मेरे इन दोनों कटौती के प्रस्तावों से सम्बन्धित जानकारी जो मैंने दी है, उस पर अपनी नीति बताकर मुझे सन्तुष्ट करेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटमोशन है वह माइनर इर्रिगेशन के बारे में है। आज तक राजस्थान सरकार की जो नीति रही है इर्रिगेशन डेवलपमेन्ट के बारे में, वह केवल बड़े बड़े इर्रिगेशन प्रोजेक्ट्स को ही डबलप करने की रही है। किस नीति को हम अच्छी या बुरी तभी कह सकते हैं जब कि उससे अनाज की पैदावार होने लगे। जब हम बजट को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हर साल बढ़ती हुई रकम हम इन प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं, इसका फायदा जब मिलेगा तभी इसके बारे में क्रिटिसिज़्म किया जा सकता है। लेकिन हमें राजस्थान को इर्रिगेशन पॉइन्ट ऑफ व्यू से डिवाइड करना चाहिये। अगर हम इस दृष्टिकोण से राजस्थान को विभाजित करते हैं तो पहले उत्तरी और पश्चिमी भाग हमारे सामने आते हैं जो रेगिस्तानी इलाका है। दूसरा इलाका पूर्वी और दक्षिणी रह जाता है, जो उदयपुर का और दुर्भाग्यवश उसमें भरतपुर, अलवर वगैरह भी आते हैं। हमें पोसीबिलिटीज़ देखनी हैं जो प्रोजेक्ट्स, भाखरा चम्बल जवाई आदि बना रहे हैं और राजस्थान केनाल को जो ले रहे हैं उससे किन-किन जिलों को फायदा होगा। जहां तक मैं समझ सका हूं भरतपुर डिस्ट्रिक्ट और अलवर डिस्ट्रिक्ट के किसानों को इन नहरों से किसी प्रकार भी फायदा होने वाला नहीं है। अब राजस्थान सरकार को देखना यह चाहिये अगर हम इमीजिएटली किसी चीज का फायदा उठाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि हमारे यहां अनाज की पैदावार बढ़े खेती-बाड़ी में सुधार हो तो सरकार को बेलेन्स्ड खर्चा करना होगा और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माइनर इर्रिगेशन पर ज्यादा खर्च करना होगा। आज जितने भी माइनर इर्रिगेशन हमने चालू किये हैं उनमें हमारा रेशनल बेसिस नहीं है। देखा जाय तो केवल उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ये ही ऐसे इलाके हैं जहां ज्यादा माइनर इर्रिगेशन वर्क रखे जाते हैं। इस लिहाज़ से भरतपुर को हम देखते हैं तो वहां पर माइनर इर्रिगेशन की कोई योजना नहीं, वहां के लिए जो

Page No.72

(श्री श्रीमानसिंह)

रकम रखी गई है वह सिर्फ मैन्टीनेन्स और रिपेयर्स के लिये हैं । माइनर इर्रिगेशन जिसकी पोसीबिलिटी भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा है जहां किसी भी नहर से कोई फायदा नहीं, ऐसी जगहों पर माइनर इर्रिगेशन के लिये खर्च किया जाना चाहिये जो नहीं किया जा रहा है । डैनसिटी ऑफ पोपुलेशन भरतपुर की ज्यादा है उदयपुर की अपेक्षा, वहां रेन बहुत कम है फिर भी भरतपुर की ओर ध्यान नहीं । उदयपुर को आप देखेंगे तो स्केअरसिटी वर्क भी वहां शुरू होते हैं जहां रेन फॉल ज्यादा है । आखिर स्केयर्सिटी वर्क की डेफीनिशन क्या है ? पानी की जहां कमी हो, बरसात की कमी हो, वहां स्केयर्सिटी वर्क्स स्टार्ट करें, तो हम मान भी सकते हैं । लेकिन खोले वहां जाते हैं जहां पोपुलेशन कम है, एरिया ऑफ कल्टीवेशन कम है, वहां स्केयर्सिटी वर्क्स के नाम पर इन्वेस्टमेन्ट किया जाता है और इसी इलाके में ज्यादा पैसा माइनर इर्रिगेशन के लिये इन्वेस्ट होता है । राजस्थान के और भी डिस्ट्रिक्टस हैं वे भी बेटरमेन्ट लेवी और इर्रिगेशन चार्जेज देते हैं, तो फिर इतना भेद भाव क्यों बरता जाता है एक दफा माननीय मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया था, जो मैंने बयाना तहसील के बारे में पूछा था । उसके लिये कहा गया कि वहां के वर्क्स remunerative नहीं हैं । इस तरह के अन-रीज़नेबल उत्तर हाउस में दिये जाते हैं । आप एक तरफ तो यह कहते हैं कि हम काश्तकारों के स्टेंडर्ड को ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन जब आप किसी प्रकार के वर्क्स नहीं खोलते हैं, तो उनका स्टेंडर्ड ऊंचा किस प्रकार होगा ? जहां तक रेम्युनरेशन का सवाल है, उसके बारे में हमारी एस्टीट्मेस कमेटी ने जो भाखरा नांगल के बारे में कहा है वह मैं पढ़ देना चाहता हूँ:

"The project for Rajasthan would not be productive even in the year 1970-71 unless large credits are received from Government lands.',

यह हमारी एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिये । आप यह मानते हैं कि सन् १६७१ तक इन बडे प्रोजेक्ट्स से प्रोफिट कि नहीं मिलने वाला है । इमीजियेट प्रोफिट के नाते हम देखें, तो यह अनरेमुनरेटिव है । ऐसी हालत में हमें यह देखना होगा कि अनाज की पैदावार जल्दी किस प्रकार बढ़ सकती है, ज्यादा लाभदायक कौन सी policy है ? इस संबन्ध में मैं बयाना तहसील की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उसके बारे में जैसा कि कहा गया वहां सर्वे किया गया, मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि इस समय तक और इस मिनिट तक मैं यह कह सकता हूं, किसी भी आदमी ने सर्वे नहीं किया, माइनर इर्रिगेशन के लिये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का सर्वे नहीं हुआ । ऐसी हालत में जब कि आप सर्वे करते नहीं और उत्तर देते हैं सर्वे किया और यह पाया गया कि वर्क अनरेमुनरेटिव है, आपकी तरफ से स्टेटिस्टिक्स सर्कुलेट होते हैं,

"No minor irrigation works were surveyed in Bharatpur."

जिन गांवों के आप नाम लेते हैं, जिनका सर्वे हुआ बतायी जाती है, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि उन्हें इन चीजों को वेरीफाई करना चाहिये और इसी मिनिट और इसी समय गांव वालों से जाकर वे पूछ सकते हैं कि किस अफसर ने और किस किस गांव का सर्वे किया ? माइनर

(श्री श्रीभानसिंह)

इरिगेशन के लिये क्या कसौटी रखी और कौन कौन से वर्क्स का सर्वे किया? फिर अन्त में कह दिया जाता है कि unremenrative रहेगी । फिर क्या लोजिक है इसमें ? क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं ? यह लोगों का स्टेन्डर्ड बढ़ेगा या नहीं ? ये कूए सूखते जाते हैं, इनमें पानी रहेगा या नहीं ! कोई क्राइटेरिया नहीं । फिर एस्टीमेट कमेटी ने भी स्पष्ट कहा कि राजस्थान सरकार को अपनी इर्रिगेशन स्किम्स की पॉलिसी बदलनी चाहिये । इसमें सिर्फ यह ध्येय आना चाहिये जो मैंने बताया ।

अब दूसरा कट मोशन मेरा रूपवास के बारे में है । कहा जावेगा कि ८ लाख का खर्चा किया । पर आपने कभी यह अनुमान लगाया कि जो माइनर इरिगेशन वर्क आपने कन्स्ट्रक्ट किये उससे कोई प्रोडक्शन बढ़ा ? उल्टा नतीजा यह हुआ कि बांध बनवाये नहीं कि डबल क्रोप के बजाय सिंगल क्रोप शुरू हो गई । एक फायदा जो डबल क्रोप से होता था, उसको कटेल कर दिया । फिर जो बांध बनाये उनमें आॅउट लैट नहीं रक्खे गये । नतीजा यह होता है कि बरसात में जो पानी आता है, उससे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता, अगर अधिक आ जावे तो फिर बांध में जगह-जगह से पानी रिसने से दरारें पड़ती हैं और पानी उनमें से होकर निकलता है जिससे आॅउट स्ट्रक्चर्स के हाउस गिरते हैं और एवरी इयर सरकार को इसके लिये कम्पेन्सेशन लोगों को देना पड़ता है । आॅउट लैट नहीं होने से बन्ध टूटते हैं, मैन्टीनेन्स और रिपेअर का खर्चा बढ़ता है और वह रिपेअर समय पर नहीं हो पाता । नतीजा इसका यह होता है कि जितना पानी कलेक्ट करना चाहिये बरसात के वक्त उतना नहीं कर पाते, पानी काफी वेस्ट चला जाता है । आज आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी काफी काम करने के बाद भी, यह क्लेम नहीं कर सकते कि राजस्थान के सारे पानी को कन्ट्रोल में कर लिया गया है और इरिगेशन को रेशनेलाइज़ करके एग्रीकल्चर का कोई फायदा किया है ! तो आप अभी ड्यूमिनेटिव पार्ट स्माल पोर्शन को कन्ट्रोल कर पाये हैं । आप अगर प्लान लेकर चलते तो ऐसा नहीं होता । आज हेलक ग्राम में १० कोल वर्ड हैं। एक का रिपेअर नहीं हो पाया । हर साल ठेका दिया जाता है, रिपेअर का । फिर कन्ट्राक्टर समय पर उसे ठीक नहीं कर पाता । हर साल मनी लैप्स होता है । पानी हर साल योंही वेस्ट चला जाता है । एक कोल वर्ड ठीक नहीं । जिन-जिन में आप माइनर इरिगेशन के लिये पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसकी कभी भी यूटिलिटी को इवेल्युएट किया ? पैसा खर्च हो गया चारों तरफ से, पानी को घेर घार कर बन्द कर दिया । कई बार घरों को बचाने के लिये काश्तकारों ने उन नहरों को काटा और नतीजा यह हुआ कि वहां का पानी वेस्ट गया । यह आपके इस इन्वेस्टमेन्ट की हालत है ! फिर आपने जो टार्गेट अपना बनाया वह भी कम उतरा । आपका माइनर इरिगेशन का टार्गेट जो था, काम उससे कम रहा, सब जगह कम रहा, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरा हुआ । इसका रीज़न क्या ? एक डिस्ट्रिक्ट में पूरा होता है, बाकी सारे जिलों में अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, झुंझुनूं आदि किसी डिविज़न में पूरा नहीं होता है; आखिर उदयपुर में कम्पलीट क्यों हुआ ? या तो यह हुआ कि सब वर्क वाले, सब इरिगेशन के हर ब्रान्च के काम करने वाले, ट्यूब वैल वाले, बांध वाले, रिपेअर वाले वहां लग गये, बाकी राजस्थान के और हिस्से को निग्लेक्ट किया गया या सामान्य रूप से प्रपोर्शन के हिसाब से

Page No.74

(श्री श्रीमानसिंह)

कोई पॉलिसी बनाकर इर्रिगेशन का काम नहीं किया गया। अगर आप इस तरह की पॉलिसी बनाएंगे तो आपको यह मानना पड़ेगा और इसके लिये काम करना पड़ेगा कि इर्रिगेशन और माइनर इर्रिगेशन का काम अधिक अलवर, भरतपुर और जयपुर के इस हिस्से को बिग प्रोजेक्ट से फायदा नहीं पहुँच सकता, उनके लिये तो माइनर इर्रिगेशन वर्क पर ही ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसलिये हमें माइनर इर्रिगेशन के वर्क को भी नहीं भूलना है क्योंकि इमीजिएट बेनीफिट तो इसी से हो सकता है, फर्स्ट और सैकंड प्लान में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटीज़ में फायदा अगर कोई दे सकेगा तो यह माइनर इर्रिगेशन ही दे सकेगा इसलिये इस तरफ पूरा-पूरा ध्यान देना जरूरी है।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, श्री श्रीमानसिंहजी ने कटौती मोशन नम्बर १८६ मूव किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं मानता हूं कि यह जब हमारे बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उस समय छोटों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये। इसकी वजह यह है कि जो हमारी फूड पॉलिसी है वह दो तरह की है। एक तो यह है कि एक्सटेन्सिव कल्टीवेशन की तरफ ध्यान दें और दूसरी तरफ इन्टेन्सिव कल्टीवेशन चलाएं। एन्टेन्सिव कल्टीवेशन का मतलब यह है कि जो कल्चरेबिल लैण्ड है, उसको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाएं। इसके लिये हमारे सामने कोई निश्चित योजना नहीं है और इसी की वजह से हम यह देखते हैं कि बारबार शिकायतें हाउस में आती हैं कि रुपयों का ठीक तरह से वितरण नहीं होता।

मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अलवर जिले में इर्रिगेशन के नाम से ३५ हजार रुपया रक्खा गया। आप ख्याल करें कि जो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट है और सबसे अच्छी जमीन समझी जाती और सबसे अच्छी पैदावार मानी जाती है, जो एक छोटी ग्रेनरी का इलाका माना जाता है, वहां ३५ हजार रुपया खर्च करके फूड प्रोब्लेम को सोल्व करने की कोशिश करें, यह एक कोरी मजाक के सिवाय कुछ नहीं है। जहां जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और चम्बल है, भाखरा है, राजस्थान कैनाल है, जिन पर काफी रुपया खर्च किया जा रहा है, उससे मेरा कोई विरोध नहीं। बल्कि इनके लिए मैं खुद मानता हूं कि इनके लिये जो रुपया रक्खा गया है, उसको छोड़कर, बाकी माइनर इर्रिगेशन वर्क के लिये जो रुपया रक्खा गया है उसका डिस्ट्रिब्युशन एक तरीके से होने चाहिये और वह हर जिले को एक्सटेन्सिव और इन्टेन्सिव दोनों तरह की स्कीमों पर विचार करके देना चाहिये। सब जगह का सर्वे होना चाहिये और सर्वे इस तरह से होना चाहिये कि जिन लोगों के पास पांच दस बीघा जमीन भी है वह यदि बारोनी हो और बरसात पर डिपेन्ड करती है तो एक कूंआ बनाने का मौका उसे दिया जाना चाहिये। तो इस तरह से सर्वे करा कर हर किसान को जो अपनी सोइल को ठीक करने का इरादा रखता है, उसको हर तरह की सहूलियत दी जानी चाहिये। इर्रिगेशन प्रोजेक्ट के जरिये, तकावी देकर, सब सुविधाएं देकर, बन्ध वगैरह का निर्माण करके, नहरों को बना कर या पुरानी को सुधार करके कुंए बनाकर या पुरानों की मरम्मत करके जिस तरह से हो सके बराबर हिसाब से सब की मदद की जाय जिससे सब जगह की आमदनी बढ़ सके और इस प्रकार की एक निश्चित योजना हमारे सामने होनी चाहिये और अब इसके लिये समय भी आ गया है। अब

(श्री भोलानाथ)

ऊपर ऊपर की बातें करने से या इधर उधर कुछ कर देने से काम नहीं चलेगा । आपने अभी इन्हीं दिनों में प्राइम मिनिस्टर की बातें सुनी होंगी । वे फूड प्राब्लेम को बड़ी जल्दी से जल्दी सोल्व करने के लिये उतावले हैं, उनको इसकी सबसे बड़ी चिन्ता है । वे चाहते हैं कि इसको हमेशा के लिये समाप्त कर दिया जाना चाहिये । पर यह तभी हो सकेगा जब कि जो किसान हैं उनके दिलों में इन्सेन्टिव पैदा है । हमें किसानों में यह चीज पैदा करनी होगी । इसके बाद जो जितनी इर्रिगेशन की सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाई जावें, हर तरह से उनको प्रोत्साहन दिया जावे और हर सम्भव मदद उनको पहुंचाई जावे । यह हमारी योजना का मुख्य लक्ष्य होना चाहिये । इसके लिये मैं मानता हूं कि हमें काफी रकम छोटे-छोटे इर्रिगेशन वर्क के लिये देनी होगी । और श्री श्रीभानसिंहजी ने जो बातें कहीं अलवर और भरतपुर के बारे में उनका मैं समर्थन करता हूं । वहां आज यह स्थिति है कि कूओं के अलावा वहां दूसरा कोई बड़ा रास्ता नहीं है । वहां कूए बड़ी तादाद में खुदवाने चाहिये और इसके लिये बड़ी रकम रखनी चाहिये । राज्यपाल महोदय के भाषण के अवसर पर भी मैंने कहा था इस बारे में कि कुओं के लिए कितनी रकम रखी जानी चाहिये, इसका कोई पता इनके भाषण से नहीं लगता । मैंने फिर सोचा कि वित्तमंत्री के भाषण में यह बात होगी, पर न तो उनके भाषण में यह बात मिली न बजट में ही कहीं इसका अलग सा उल्लेख मिला । वहां केवल माइनर इर्रिगेशन का नाम निर्देश मात्र है पर मैं डेफीनेट बात चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि हम इस बात का इन्वेस्टिगेशन करावें कि ट्यूब वैल की स्कीम चलने वाली है या नहीं, नहीं तो कह देना चाहिये कि यह स्कीम नहीं चलने वाली है इसलिये नहीं चलानी है । फिर यह बात स्पष्ट कह दें कि छोटे कुएं खोदने चाहिये और फिर खोदने चाहिये तो कितने खोदने चाहिये, इसका हर साल का टार्गेट तय हो जाना चाहिये कि किस किस एरिया में कितने कितने कूएं चाहिये । नदी नालों को बांधने लायक हो तो किस तरह से बांधे जाने चाहिये उन एरिया को अलग से रक्खा जावे और दूसरी तरह की रकम उनको दे दी जावे और जहां ऐसा न हो सकता हो वहां कूएं खोदने के लिये रकम दी जावे । अलग से बजट में इसका उल्लेख होना चाहिये ताकि हर ज़िला इसको मांग सके और सही तरीके से इसे खर्च किया जा सके ।

दूसरी बात श्रीभानसिंहजी ने यह कही कि बन्ध का रिपेअर ठीक नहीं है । इसके लिये पुराने तरीके चल रहे हैं । उनमें अभी तक भी पत्थर का होल लगाकर लकड़ी का डाटा ठोक कर पानी रोका जाता है । इससे पानी रुकता नहीं, जितना हम चाहते हैं । इसके लिये मैंने चीफ इन्जीनियर को लिखा भी कि जब साइन्स का जमाना है तो इसमें भी वही पुराना तरीका अख्तियार करना, क्या उचित है ? इस तरह से आपके प्रोजेक्ट चलाना, क्या उचित है ? उन्होंने लिखा कि यह पुराना तरीका वास्तव में ठीक नहीं है, गलत है । पर हमारे पास पैसा नहीं है । सरकार पैसा कम देती है, रिपेअर के लिये भी पैसा कम देती है । तो मेरा यह कहना है कि यह रुपया भी बढ़ाया जाय । चीफ इन्जीनियर भी आज इन चीजों को महसूस करते हैं । तो इन सब बातों को आप ठीक करिये । जो पहला काम होना चाहिये उसको पूरा करने में पूरी कोशिश करिये ।

३ म० प०

(कई माननीय सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय जवाब देंगे ।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्तावों के पक्ष में बोलना चाहते हैं वे क्या नहीं बोल सकेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : इस संबंध में निश्चय लिया जा चुका है कि कटौती प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य केवल ३ बजे तक बोल सकेंगे और ३ बजे बहस समाप्त हो जायेगी और उसके बाद में संबंधित मंत्री महोदय उसका जवाब देंगे, इसलिए मंत्री महोदय अब उसका जवाब प्रस्तुत करेंगे ।

श्री गिरधारीलाल : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ३ बजे तक का समय तो कटमोशन्स रखने वाले सदस्यों के लिए था, हम तो कटौती प्रस्तावों के पक्ष में बोलने वाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि कार्य अधिक है इसलिए उसको रिलेक्स किया गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांग के विषय में काफी कटौती के प्रस्ताव आये हैं और इस पर काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार भी प्रकट किये हैं ......

अनेक माननीय सदस्य : सुनाई नहीं देता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : थोड़ी सी गर्मी आ जाये । इनका उत्तर सिलसिलेवार आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ । पहला कटमोशन गलवा प्रोजेक्ट के बारे में था और वह यह था कि उसको बनाने में काफी देर लगाई जा रही है, काफी अर्सा उसको मंजूर हुए हो गया लेकिन उसे तैयार नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में मुझे निवेदन करना है कि इसका ठेका सन् ५५ में दिया गया था और सन् ५७ में वैसे यह साधारण रूप से तैयार हो जाना चाहिए था । लेकिन बदकिस्मती ऐसी हुई कि जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया था, वह मर गया और उसके पीछे कोई आदमी इस प्रकार का नहीं रहा कि जो ठेके को लेकर उसका काम चलाता । उसके बाद में दूसरे ठेके के टेन्डर्स इन्वाइट किये गये, दो बार । वह टेन्डर्स इतने हाई रेट्स के आये कि अन्डर दी रूल्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर सके । इसलिए कुछ दिक्कत पड़ी, कुछ थोड़ा काम चला है और आगे उसकी कार्यवाही करा कर जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे ।

दूसरा कटौती का प्रस्ताव इर्रिगेशन रेट्स आबपाशी की दरें बहुत ज्यादा हैं, इसके बारे में आया है और काफी बहस भी उस पर हुई । कटौती का प्रस्ताव जो रखा गया है वैसे काफी महत्वपूर्ण है । उनका यह कहना है कि पहले के जो कामकाज हैं, बंध हैं, नहरें हैं, जो पानी दिया जाता है उसकी आबपाशी की दरें बहुत कम हैं और बाद में जो बंध या नहरें बनी हैं, उनके भाव बहुत ज्यादा हैं । उनमें काफी फर्क है ; कहीं दो रुपया, कहीं सवा रुपया और कहीं तीन रुपया है, पुरानी दरों के हिसाब से और जो नई दरें हैं वह १० रुपये की आसपास की हैं । यह उनका कहना ठीक है कि एक ही इलाके में एक जगह पर १० रु० की रेट्स हैं और एक जगह २ रुपये और १। रुपये की रेट्स हैं । इससे काफी परेशानी रहती है और काश्तकारों को भी ख्याल होता है कि बराबर में ही एक आदमी से दो रुपया लिया जाता है और दूसरे से १० रुपया लिया जाता है ।

(श्री रामकिशोर व्यास)

इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया कि जो बढ़ी हुई दरें हैं इनको कम किया जाय। इस सम्बन्ध में निवेदन करना है कि जितने भी बड़े बड़े बंध और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इनका पैसा कहां से आता है और जो पैसा आता है प्लानिंग कमीशन से, गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से, वह हमें वापिस भी करना पड़ता है और उसका सूद भी देना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसे मुफ्त में आ जाते हों, उसका कर्ज चुकाना नहीं पड़ता हो और सूद भी नहीं देना पड़ता हो। इसलिए जो कुछ पैसा आता है, उसकी असल रकम भी चुकानी है और सूद भी चुकाना है और जो कुछ कार्य कर चुके हैं और बना चुके हैं, उनका संरक्षण भी करना है। इसलिए जितना रुपया उसमें लगता है, उतने का सूद भी देना पड़ता है और जो इनको मेन्टेन करने में रुपया देना पड़ता है, उन सब को हिसाब में रखते हुए उसकी दरें रखनी पड़ती हैं और पुरानी जो दरें हैं, उनसे कहीं ज्यादा नई दरें होती हैं। इसलिए यह ख्याल कि यह जो पुरानी दरें हैं, उनकी माफिक इनको कर दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह बहुत मुश्किल बात होगी। इस सम्बन्ध में हमने एक कमेटी भी बैठाई है जो इस बात की जांच कर रही है कि जो दरों में असमानता है, कमी-बेशी है, उस पर विचार कर के माकूल सुझाव दें कि क्या किया जाय। पुरानी दरों को बढ़ाया जाये और अगर बढ़ाया जाये तो कितना बढ़ाया जाय और इन दोनों दरों के बीच का कोई हल निकाल कर के सरकार को दे। ऐसी कमेटी गवर्नमेन्ट ने बनाई है। इसका विचार अब मुकम्मिल होने को है और थोड़े ही अर्से में उसकी रिपोर्ट आ जायेगी।.......

श्री श्रीभानसिंह : क्या उस कमेटी की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में यह भी है कि एस्टेब्लिशमेन्ट चार्जेज़ को रिव्यू करें ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह यह है कि वर्तमान दरें जो अवश्यम्भावी हैं उनके लिए क्या किया जाय, उनको कैसे ठीक किया जाये ?

श्री भैरोंसिंह : उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले क्या कोई रिलीफ भी मिल सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी रिपोर्ट आने ही वाली है; इसलिए माननीय सदस्य ने जो बताया है कि दरें कम कर दी जांय, उसको मैं इस स्टेज पर मंजूर करने से क्षमा चाहता हूं कि इस समय यह नहीं हो सकता।

दूसरी बात धौलपुर एरिया के लिए डांग क्षेत्र के खारों के बांध बनाने की बात कही गई है। उसके लिए मैं निवेदन करूं कि अभी तक वहां धौलपुर के एरिया का सर्वे नहीं हुआ है और उसके लिए एक इस प्रकार की योजना गवर्नमेन्ट के सामने है जो कि शीघ्र ही बनेगी। मैं आपको बताऊं कि धौलपुर के अन्दर एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट पार्वती का बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर ८६ लाख रुपया व्यय होगा। यह काफी बड़ा प्रोजेक्ट होगा और उससे धौलपुर के सब डिवीजन को काफी लाभ होगा। ऐसी आशा है।

एक कटौती का प्रस्ताव सरदार समन्द से कुछ गांवों को पानी नहीं मिलने के बारे में है और यह कहा गया कि पानी नहीं मिलने से गांव वालों को काफी नुकसान हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है ? सरकार है या कोई और है ? मेरे काफी मित्र इस बात को जानते हैं कि सरदार समन्द कोई राजकीय सम्पत्ति तो है नहीं। वह जोधपुर हिज़ हाईनेस की प्राइवेट

Page No.78

(श्री रामकिशोर व्यास)

प्रोपर्टी है। जब राजस्थान नहीं बना था उससे पहले इस सरोवर से काश्तकार लोगों को काश्त के लिए पानी मिलता था। जब प्राइवेट प्रोपर्टीज़ का सैटलमेन्ट हुआ तो उस समय यह बात तय पाई थी कि जितना पानी काश्तकारों को इससे मिलता है, वह मिलता रहे। यह उनसे एग्रीमेंट हुआ था। तो आज वस्तु स्थिति यही है कि जो इकरारनामा प्राइवेट प्रोपर्टीज़ के बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया और उनके बीच हुआ है, उसके पाबन्द हैं और उसका सारा पानी जो वहां है, वह हम नहीं ले सकते। इसमें ऐसा किया गया है कि पन्द्रह वर्ष में जो पानी दिया गया है, उसका चार्ट बनाया जाय और उसके बेसिस पर पानी बांट दिया जाता है। अब पानी कम होता है तो लोगों को पानी कम मिलता है और उनकी जो शिकायत है, वह सही है। बारिश कम आई तो सरदार समन्द में भी पानी कम आया और इसीलिए काश्तकारों को पानी कम मिला। एग्रीमेंट के मुताबिक हम सारा पानी नहीं ले सकते हैं। नीचे का जो पानी है, उसमें पानी रखा जायेगा क्योंकि उसमें कुछ मछलियों के लिहाज़ से और कुछ दूसरे गार्डन वगैरह हैं, उनके लिहाज़ से पानी रखा जाता है बाकी का जो पानी है उसे प्राप्ति के हिसाब से बांट देते हैं, गोया ११ गॉज पानी था उसमें से तीन गॉज पानी हो सकता उतना सब लोगों को बांट दिया।

एक बात जो उन्होंने कही थी कि उसको देखने का मौका नहीं मिला कि एग्रीमेंट क्या है तो वह कवेनेन्ट जो है उसमें देखलें, मुलाहिजा कर लें, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है।

एक बात आपने कही कि सरदारसमन्द के लिए बहुत सी जमीनें एक्वायर की गई हैं उनका कम्पेन्सेशन अभी तक नहीं दिया गया है। एक्वायर किये और जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि सरदार समन्द के बान्ध को बने अर्सा हुआ। वह जोधपुर स्टेट के जमाने में बना था और उस वक्त ही जमीनें ली गई थीं, उस जमाने में कम्पेन्सेशन दिया गया है या नहीं।

श्री मूलचन्द डागा : On a point of information, Sir, जो बान्ध बना है, उसके लिए जमीन.......

श्री रामकिशोर व्यास : वह जोधपुर स्टेट के जमाने का है। उस वक्त बना है, वह कम्प्लीट हो चुका है। ज्यादा कुछ नहीं कह सकता।

हेमावास के लिए कहा था कि वहां से कुछ गांवों को पानी नहीं मिला और उसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। मैं समझता हूं कि उनकी शिकायत सही है। जितना कुछ गांवों को पानी चाहिए उतना नहीं मिला। उसका कारण यह है कि हेमावास के धन्धे में जितना पानी आता है, उतना दे दिया जाता है। पानी कम है तो क्या किया जाय? बढ़ाने के लिए ऊंचा कर दिया है तो अब बढ़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी कम रहता है, और अभी भी बारिश कम आती है तो और भी ज्यादा कम हो जाता है। जिस लिहाज से पानी आता है उस लिहाज से पानी बांट देते हैं। सजेशन जो दिया है कि बांन्डी नदी का पानी इसमें लाया जाय तो उस चीज की जांच चल रही है कि बान्डी...

श्री मूलचन्द डागा : On a point of information, Sir, सरकार के पास

(मूलचन्द डागा)

योजना आ चुकी है कि इस प्रकार से करना है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसीलिये मैंने कहा कि जांच चल रही है । उसमें यही बात सोचना है कि उसका पानी इसमें लाया जाय या अलग से उस नदी पर बांध बना दें और अलग बांध बना कर उसी एरिया में जहां कि हेमावास के एरिया को पानी मिलता है उसमें सिंचाई की जाय । वह जांच हो रही है कि कौन सी चीज ज्यादा उपयुक्त होगी, कौनसी चीज ज्यादा लाभप्रद होगी । उसकी जांच कर रहे हैं ।

इर्रिगेशन में माइनर इर्रिगेशन के बारे में काफी भाइयों ने कहा है । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिसकी तरह सब भाइयों का ध्यान जाना चाहिए था । मैं उस मामले में दो राय नहीं रखता हूं कि माइनर इर्रिगेशन की तरफ ज्यादे से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए । राजस्थान के सभी हिस्से ऐसे नहीं हैं कि जहां पर बड़े प्रोजेक्ट पहुँच सकते हों, और जहां पर बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं पहुँच सकते हैं, वहां पर माइनर इर्रिगेशन वर्क्स को ज्यादे से ज्यादा काम में लाया जाय और उससे तुरन्त लाभ होता है । वह बहुत आशाप्रद होता है, और बड़े प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है । यह सब बातें कैसे ठीक हैं ! शायद आप इस बात से परिचित होंगे कि हमारा फर्स्ट प्लान जो था उसमें माइनर वर्क्स पर १ करोड़ ७५ लाख रुपये रखे थे । इसमें २०३ वर्क्स चालू किये गये थे । उनमें से १६० वर्क्स कम्प्लीट हो गये हैं और १,०६,००,००० रुपये, के करीब खर्च हुए हैं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए २ करोड़ ७० लाख रुपये रखे हैं, और उसका डिस्ट्रिब्यूशन हर साल जो होता है उसके मुताबिक किया गया है । उससे आप देखेंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना से इसमें कुछ रुपया ज्यादा है ।

श्री सज्जनसिंह : Whether minor irrigation works are on potential basis or......

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा है कि आप चाहें तो पूछ लें, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज़ करके माइनर इर्रिगेशन में कि किस किस जिले में कितना हुआ है, उसको मुहैया कर सकते हैं । इस वक्त रुपये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ नहीं दे सकता हूं फिर आप चाहें तो बतला सकता हू ।

श्री सज्जनसिंह : मैंने निवेदन किया था....

श्री रामकिशोर व्यास : आज कोई कट-मोशन इस पॉइन्ट पर नहीं था ।

श्री सज्जनसिंह : जहां जहां पोटेन्शियेलिटीज़ हों वहां डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन करने का प्रयत्न किया जाय ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह ठीक है आपका कहना । मेरे पास कुछ फीगर्स हैं, वे अगर आप चाहें तो सुना दूं । उदयपुर डिवीज़न....

श्री सज्जनसिंह : मैं तो सुनना चाहता हूँ लेकिन आपकी वोइस ऑडिबल नहीं है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं जोर से अर्ज कर देता हूं । कुछ फीगर्स मेरे पास हैं वे मैं आपके सामने पेश कर देता हूं :

उदयपुर डिवीजन :

उदयपुर डिस्ट्रिक्ट	२०,६५,००० रु०
चित्तौड़ ,,	३,६५,००० रु०

(श्री रामकिशोर व्यास)

डूंगरपुर ,,	७,३६,००० रु०
बांसवाड़ा	४,४८,००० रु०
भीलवाड़ा	८,२८,००० रु०
	४४,४१,००० रु०

जोधपुर डिवीज़न :

नागौर डिस्ट्रिक्ट	६०,००० रु०
पाली	१,००,००० रु०
सिरोही	३,४६,००० रु०
बाड़मेर	२०,००० रु०
	५,६६,००० रु०

जयपुर डिवीज़न :

जयपुर डिस्ट्रिक्ट	३,६३,००० रु०
सवाई माधोपुर डि०	८८,००० रु०
टोंक	७,१६,००० रु०
अलवर	१३,६६,००० रु०
भरतपुर	१६,३४,००० रु०
	४१,६७,००० रु०

कोटा डिवीज़न :

कोटा डि०	६,०६,००० रु०
बूंदी डि०	७,२२,००० रु०
झालावाड़	८०,००० रु०

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : बाकी डिस्ट्रिक्ट्स का क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जो मेरे पास सूचना थी वह मैंने बता दी।

श्री सज्जनसिंह : On a point of clarification, Sir...

श्री रामकिशोर व्यास : बीकानेर में माइनर इर्रिगेशन की पोसिबिलिटीज़ बहुत कम है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon. Member, please one at a time.

श्री रामकिशोर व्यास : माइनर इर्रिगेशन की जहां पोसिबिलिटीज़ है वहां हो सकते हैं।

श्री सज्जनसिंह : थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन का मामला है।

श्री रामकिशोर व्यास : यह सवाल-जवाब का वक्त नहीं है।

श्री सज्जनसिंह : आपने इतना फर्माया उसके मुताबिक इलेबोरेट करने के लिए अर्ज करना चाहता हूं। वह यह है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज़ एलोटमेंट माइनर इर्रिगेशन वर्क्स का किया; मैं यह निवेदन करूंगा कि किस बेसिस पर किया है ? आया वहां की पोटेन्शियलिटीज़ को ध्यान में रखकर किया गया है या एरिया को ध्यान में रखकर किया गया है, क्या क्राइटेरिया है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह प्रश्न अलग है। स्थिति मैंने बताई वह है कि फर्स्ट प्लान में जैसा जैसा जहां जहां खर्चा हुआ है, वह मैंने आपको बताया है। आम तौर से वहां ज्यादा पोसिबिलिटीज़ होती है उसी लिहाज़ से किया जाता है। वहां पोसिबिलिटीज़ नहीं हो वहां क्या हो ? फर्दर डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वह मैं कह सकता हूं बाद में।

श्री श्रीभानसिंह : आपने पोसिबिलिटीज़ का कहा है तो क्या आपने बाकी का सर्वे करवाया था ?

श्री रामकिशोर व्यास : जी हां, काम शुरू होने से पहले सर्वे होता है।

श्री श्रीभानसिंह : सर्वे नहीं हुआ है किसी जगह फर्स्ट प्लान के ड्युरेशन में। सर्वे नहीं हो तो क्या ध्यान नहीं हो सकता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : भरतपुर वाले प्रोब्लम पर आऊंगा ।

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान सरकार ने अभी जो स्टेटिस्टिक्स दिये हैं उनमें जिनका सर्वे हुआ है, वे हैं ३ उदयपुर में, २ चित्तौड़-गढ़ में १ भीलवाड़े में, एक बांसवाड़े में और एक जालोर में । ये वर्क्स सैकन्ड फाइव इअर प्लान में लिए जायेंगे । इसमें लिखा है कि भरतपुर, अलवर और राजस्थान में दूसरी जगह सर्वे नहीं हुआ है, माननीय मन्त्रीजी कैसे कह रहे हैं कि सर्वे हो गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : कोई भी स्कीम सर्वे हुए बगैर कम्प्लीट नहीं होती है ।

(श्री सज्जनसिंह के बोलने को खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : I think there should be no exception to the observation of the decorum of the House. When one Hon. member stands up other member should resume his seat.

श्री सज्जनसिंह : On a point of clarification, Sir, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के विषय में विशेष निवेदन करने का अनुभव नहीं है, लेकिन बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिए जानना चाहता हूं कि जो ७ लाख २२ हजार का फीगर है वह एडहॉक बेसिस पर रखा गया है या उसके एस्टीमेट तैयार करवा कर उस बेसिस पर एलॉट हुआ है ।

श्री रामकिशोर व्यास : फर्स्ट प्लान में जो रुपया खर्च हुआ है माइनर इर्रिगेशन पर उसके फीगर्स मैंने दिये हैं, ये सैकिन्ड फाइव इयर प्लान के फीगर्स नहीं हैं । ये जो फीगर्स अभी दिये गये हैं, फर्स्ट प्लान में जो रुपया खर्च हुआ है उसके फीगर्स आपके सामने रखे हैं ।

श्री सज्जनसिंह : I ams orry, Sir, I just thought that you have given the figures of Second Five Year Plan.

श्री रामकिशोर व्यास : इसका अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, जो अब तक कम्प्लीट हो चुका है उसका है ।

माइनर इर्रिगेशन पर भी काफी ध्यान सरकार देना चाहती है, जोर देना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहती है, लेकिन रुपये हमारे पास सीमित हैं । प्लान में मेक्सिमम टार्गेट फिक्स्ड है, उसी के अनुसार एडजस्ट करना है । एक बात की और जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं । माइनर इर्रिगेशन के लिए इर्रिगेशन साइड से तो दिया जाता ही है लेकिन इसके अलावा एग्रीकल्चर विभाग से भी माइनर इर्रिगेशन जैसे कुएं तालाब आदि के लिये रुपये दिये जाते हैं । वहां से आधी रकम सबसिडी के तौर पर दी जाती और आधी रकम का वालेन्टरी कंट्रीब्युशन होता है । इसके लिये ५३ लाख रुपये सैकन्ड फाइव इयर प्लान के लिये रखे थे और उसमें से करीब करीब पूरे ही रुपये खर्च होने लायक हैं । जो डिमान्ड आपके सामने हैं, उसके अलावा एग्रीकल्चर से नये पुराने कुओं और बांधों की रिपेअर्स आदि के लिये अलग मद हैं उनके लिये अलग फिगर्स हैं । मन्त्रीजी मुझे बता रहे थे कि ५३ लाख रुपयों के करीब खर्च किये ।

कोटा के बारे में माइनर इर्रिगेशन के सम्बन्ध में कहा गया कि वहां कुछ वर्क नहीं हुआ और जहां नहर नहीं जाती हैं, वहां

(श्री रामकिशोर व्यास)

बड़ी दिक्कत की बात है। मैं समझता था यदि और किसी जिले या डिविजन की शिकायत आती तो मेरी समझ में बात आ सकती थी लेकिन जहां तक कोटा डिविज़न का ताल्लुक है वहां यदि उनकी शिकायत है तो ज्यादा इन्साफ की बात नहीं है क्योंकि कोटा डिविज़न में, बीकानेर डिविज़न केअलावा नेक्स्ट ज्यादा से ज्यादा रुपये उस पर ही खर्च होते हैं। माइनर इरिगेशन के मद में ३ लाख रुपये सेंक्शन हुए थे जिनसे ५६ पुराने तालाबों की मरम्मत जारी है इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से भाई रामेश्वर दयालजी की जानकारी में भी यह बात है कि ३ लाख रुपये इस काम के लिये दिये हैं और उनसे पुराने तालाबों की रिपेअर्स हुई हैं, उन्हें ठीक कराया जा रहा है। यह शिकायत इतनी इन्साफ पर मुबनी नहीं है।

श्री रामेश्वरदयाल : क्या ३ लाख रुपये पर्याप्त हैं?

श्री रामकिशोर व्यास : पर्याप्त की बात यह है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं, करोड़ों रुपये भी खर्च होने चाहिये, पर अभी पर्याप्त नहीं हैं। इस बात को मैं तस्लीम करता हूं, इसको नाकाफी मान लेता हूं।

एक बात गुडा बांध टूटने के बारे में चौधरी जी ने कही। वह बांध दो दफा टूट गया है और बद इन्तजामी का नमूना है। बांध टूट गया यह सही है, इसे मानने में कोई गुरेज नहीं है, गलती भी की गई है यह भी सही कहते हैं लेकिन अब जो हम कर सकते हैं वह यह कर सकते हैं कि यह पता चलावें कि किसने गलती की, क्यों की, कैसे की और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये। जिस वक्त यह मालूम हुआ कि बांध टूट गया उस समय इमिजियेटली ऑफिसर कन्सर्ड को सस्पेन्ड किया और इसकी इन्क्वायरी के लिये एक कमेटी बिठाई जिसके चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन श्री पुरी हैं और उसमें दो आदमी और हैं। करीब करीब इन्क्वायरी कंप्लीट होने वाली है। उसका रिज़ल्ट सामने आने पर जिसकी गलती होगी उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी, कोई लिहाज़ नहीं किया जायगा। एक बात यह कही गई कि कोई आदमी ऐसा होना चाहिये जो राजस्थान के बाहर का हो तो उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, यह भी हुआ है। उस कमेटी के चेयरमैन को ऑथेराइज़ किया गया है कि वे बाहर के जिस आदमी को कंसल्ट करना चाहें कर सकते हैं, उसको मौका दिखा सकते हैं। जहां तक मुझे इत्तला है एक बाहर के सी. पी. डब्ल्यू. डी. के एक्सपर्ट को कहा है, शायद वे देख गये हैं या देखने वाले हैं। इसलिये यह आपकी भावना की बात हुई। आपका यह ख्याल था कि क्योंकि राजस्थान के इंजीनियर्स बनाया है इसलिये राजस्थान के चीफ इन्जिनियर अपने अधिकारियों के साथ पार्शियलिटी कर सकते हैं। इसलिये हमने ठीक समझा कि बाहर के आदमी देख लें और सलाह दें कि क्या कारण है? इसलिये हमने चेयरमैन को ऑथेराइज़ किया है। इसका जो खर्चा होगा वह देंगे।

एक बात सांवल डस्ट के बारे में मैंने सवाल के जवाब में कही थी, वह सवाल मेरे पास नहीं है, मैंने बात कही है, मुझे याद पड़ता है, अब आपने फरमाया कि यह गलत है तो आपने जो इन्फोर्मेशन दी है, वह सही है या मैंने कहा है, वह सही है उसकी जांच करने के बाद कह सकता हूं।

(श्री रामकिशोर व्यास)

एक बात जयसमन्द में से पानी निकलता है उसके बारे में कही गई। उसका पानी निकलता है उसकी वजह से काफी नुकसान होता है। इस चीज़ को एग्ज़ामिन किया जा रहा है, उसके बाद में जो इलाज होगा उसको करने की कोशिश की जायगी।

कोटपुतली क्षेत्र के बारे में यह कहा गया है कि उसमें कोई काम नहीं हुआ। मैं समझता हूं, यह उनका कहना सही है। पंचवर्षीय योजना में शायद कोई नया काम उनके लिए नहीं हुआ और दूसरी बात यह कही कि मूचरा बांध में काफी मिट्टी जमा हुई है, सफाई की जरूरत है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी सफाई के लिए उचित व्यवस्था की जायगी। यह कहा गया कि पहले जो सिंचाई की व्यवस्था वहां पर थी, वह कम हो गई। मेरी समझ में नहीं आया कि सुविधा कम हो गई। कम होने की वजह नहीं है, सुविधा ज्यादा नहीं हुई यह मैं मान सकता हूं लेकिन कमी की कोई बात नहीं। यदि यह कारण है कि सिल्ट जमा होने के कारण पानी कम आया है तो ऐसा रीज़न हो सकता है वर्ना और कोई बात कमी आने की नहीं होनी चाहिए।

श्री रामकरणसिंह : कमी तो स्टॉक, पानी में और नहर; तीनों में ही हुई है।

श्री रामकिशोर व्यास : मिट्टी की वजह से हुई होगी।

श्री रामकरण सिंह : स्टॉक में कमी मिट्टी की वजह से कैसे हुई?

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात कही गई कि किसी इंजीनियर ने कहा है कि जो सवाल पूछेगा उसके क्षेत्र में काम नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि यदि किसी ने इस तरह की बात कही हो तो ख्याल नहीं करना चाहिये। जो प्रश्न पूछेंगे उनके यहां भी काम होगा और जो नहीं पूछेंगे उनके यहां भी होगा बल्कि जो पूछेंगे, उनके यहां शायद ज्यादा होगा।

श्री श्रीभानसिंह : Whether such a threat was given by any Government Officer?

श्री रामकिशोर व्यास : I do not know.

श्री उपाध्यक्ष : That was based on rumours and nothing else and even the Hon. member did admit it at that time.

श्री रामकिशोर व्यास (जारी) : आपने सुनी-सुनाई बात कही, मैंने सुना-सुनाया जवाब दे दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : सुना-सुनाया जवाब दे दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : एक बात कही गई कि जितने माइनर इरिगेशन वर्क्स हैं, उन पर बैटरमेंट लेवी नहीं लगनी चाहिए। वैसे बैटरमेंट लेवी के लिए यह तय हुआ था जिस बांध से १ हजार एकड़ से ज्यादा भूमि काश्त होगी, वहां बैटरमेंट लेवी लगेगी...

रावराजा श्री सरदारसिंह : काश्त होगी या पुलाई होगी?

श्री रामकिशोर व्यास : तो राजस्थान में १ हजार एकड़ से ज्यादा पुलाई होती हो, ऐसे बांध १०-१२ से ज्यादा नहीं होंगे, बाकी इससे नीचे ही पड़ते हैं। इसलिए उससे कोई ज्यादा असर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है।

(श्री रामकिशोर व्यास)

इसलिए इस चीज़ को स्वीकार करने में मुझे आपत्ति है ।

राजस्थान केनाल के निर्माण के बारे में बहुत सन्देह जाहिर किया गया है, अफसोस भी जाहिर किया गया है कि क्यों बन रहा है, रुपया जाया क्यों किया जा रहा है । मैं समझता हूँ कि इस बांध के निर्माण से तो खुशी होनी चाहिये थी कि राजस्थान में ऐसी बड़ी योजना बनाई जा रही है, जैसी मैं समझता हूँ, सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं, बल्कि बाहर भी एक दो ही मिलेंगी । इतनी बड़ी योजना राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है । इस योजना के अनुसार ४२० मील लम्बी नहर बनती है, उसका ३२५ मील का हिस्सा राजस्थान को मिलता है और बाकी का हिस्सा पंजाब को मिलता है लेकिन फिर भी इसका पूरा फायदा राजस्थान को ही मिलेगा । यह तो खुशी की ही बात है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं होना चाहिये । एक सन्देह की बात यह बताई कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पानी के बारे में जो बातें कही है, उसका गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया के किसी अधिकारी ने विरोध नहीं किया है, इसलिए इस केनाल को बनाया जाना चाहिए या नहीं, यह सन्देहास्पद बात है । मैं समझता हूं कि यह बताने की बात नहीं है कि जितनी योजनायें हैं, वे गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से बनती हैं, उनकी सैंक्शन से बनती हैं, उनकी राय से बनती हैं, और वे योजनायें उनकी राय से ही नहीं बनती हैं, बल्कि रुपया भी गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से मिलता है । मैं आपकी जानकारी के लिए कहूं कि गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया राजस्थान केनाल को बनाने के लिए काफी कीन है और यह केनाल जल्दी ही बनाई जाय, यह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया चाहती है । बैंक का फैसला होगा, वह हुआ करेगा । ऐसी आशा की जाती है कि पानी अवश्य मिलेगा, इसमें सन्देह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को नहीं है और राजस्थान गवर्नमेन्ट को भी सन्देह नहीं है ।

एक बात जो आपने कही, वह यह है कि जो नदी है उनके हैड वर्क्स पाकिस्तान में पड़ते हैं । अगर उन्होंने पानी देना बन्द कर दिया तो क्या होगा । मैं आपको बताऊं कि इसका हैड वर्क्स पाकिस्तान में नहीं पड़ता....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : गंग केनाल के लिए कहा ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसका हैड वर्क्स हिन्दुस्तान में पंजाब में है, पाकिस्तान में नहीं है । दूसरी बात यह है जितनी नदियां हैं, वे सभी पाकिस्तान से आती हैं, अब पंजाब होकर जो नदी आती हैं, उनका क्या हस्र होता है, यह देखेंगे । इसलिए इस विषय में किसी प्रकार के सन्देह करने की बात नहीं है ।

दूसरी बात यह कही गई कि इसका उपयोग भी कितना होगा, अगर अमल में लाया जाता है तो, क्योंकि इसमें फॉरिन एक्सचेंज का सवाल है । इसलिए इसमें जो रुपया खर्च होगा, उसके बजाय यह रुपया माइनर इर्रिगेशन पर खर्च हो जाय तो ज्यादा अच्छा होगा । मैं आपकी राय से सहमत नहीं हो सकता हूँ और आपको राजस्थान केनाल की बात से अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि जो क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पानी नहीं है, जिनको रेगिस्तान कहते हैं, अगर वहां पानी आये, पानी से खेती हो और वह स्थान खेती से लहलहाये, तो उससे उस इलाके को खुशहाली का मौका मिलेगा । अगर ऐसे स्थान

Page No.85

(श्री रामकिशोर व्यास)

पर रहने वालों की मदद करना चाहते हैं, तो यह भावना बनानी चाहिए कि जो एरिया पीछे पड़ा हुआ है, वह डवेलप हो और उसमें सबका सहयोग होना चाहिए । राजस्थान केनाल से बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को लाभ होने वाला है और २५ लाख एकड़ जमीन-काश्त में आने वाली है । जैसलमेर में अगर पानी पहुंच जाय, तो इससे अच्छी बात, मैं समझता हूं, क्या हो सकती है । जहां १०-१५ मील से पीने का पानी लाना पड़ता है, काश्त की बात तो दूर रही । अगर वहां पर नहरें आयें और वहां के लोगों को फायदा पहुंचायें तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं । मैं समझता हूं, आप सब का सहयोग इसमें होना चाहिए । राजस्थान केनाल के बजाय रुपये को डाइवर्ट करें माइनर इरिंगेशन में, इस सम्बन्ध में, मैं आपको बताऊं कि राजस्थान केनाल पर जो रुपया खर्च किया वह बीयोन्ड आवर प्लान है । माइनर इरिंगेशन के लिए रुपया दे देंगे गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया वाले, यह नहीं है । यह रुपया उसके लिए ही मिला है, अगर यूज़ नहीं करेंगे तो कहीं और वे यूज़ करेंगे, जहां कर सकते हैं । फॉरिन एक्सचेन्ज की जो डिफीकल्टी बताई, मैं समझता हूं इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस योजना के लिए बहुत ज्यादा फॉरिन एक्सचेन्ज नहीं चाहिए । अन्दाजे से कह सकता हूं कि तीन, चार करोड़ के फॉरिन एक्सचेन्ज की जरूरत पड़ेगी । बहुत सी मशीनरी तो चम्बल से हम वहां भेज सकते हैं । जैसे ही वहां का काम खत्म होगा, तो वहां की मशीनरी को राजस्थान केनाल के लिए भेज देंगे, ऐसा ख्याल है । इसलिए बहुत ज्यादा फोरिन एक्सचेन्ज की जरूरत पड़ेगी और उसकी वजह से दिक्कत आयेगी, ऐसा ख्याल नहीं है । फॉरिन एक्सचेन्ज की वजह से इस काम को चलायें नहीं, यह बात इस ठीक मालूम नहीं होती ।

एक बात जवाई बांध के बारे में कही कि उसके पानी का ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ । मैं आपको बताऊं कि इस साल पानी की जवाई बांध में बहुत कमी रही और उसकी वजह से लोगों को पानी कम दिया गया । इस सम्बन्ध में एक बात की गई कि बड़े आदमियों को ज्यादा पानी दिया गया और गरीब आदमियों को कम दिया गया । यह शिकायत कहां तक सत्य है, यह तो जांच करने की बात है । मैं समझता हूं कि ज्यादा पानी, बड़े आदमी के लिहाज़ से नहीं, अगर किसी के पास ज्यादा जमीन है, मिलता रहा है और कम, जमीन वाले को कम मिलता रहा है । आप जो प्रपोर्शनेट कम देख रहे हैं, उसके लिए आपको बताऊं कि मान लीजिए किसी के पास १०० बीघा जमीन है, तो उसको पानी ज्यादा मिल रहा है और किसी के पास २५ बीघा जमीन है, उसको पानी कम मिलता है । अगर बगैर प्रपोरशन के किया है, तो यह जांच करने की बात है ।

खारी फीडर के बारे में कहा गया है कि राज समन्द, जो कि एक सुन्दर झील है, उसका पानी कम होता जा रहा है, इसलिए खारी फीडर का पानी उसमें लाकर डाल दिया जाय । इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी कई बार कह चुके हैं, इसलिए नाराजी से इस बात को कह गये, इसमें नाराजी की बात नहीं है । असल में यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखी है । लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल डिफीकल्टी है, इसलिए हमने प्लानिंग कमीशन के पास भेजा था, वहां से उन्होंने इन्वेस्टीगेट करने के लिए भेजा, उसकी इन्वेस्टीगेशन

Page No.86

(श्री रामकिशोर व्यास)

करीब-करीब पूरी हो गई है और एस्टीमेट तैयार हो गया है। मैं समझता हूं कि दो-तीन महीने में यह काम पूरा हो जायेगा, फिर प्लानिंग कमीशन के पास भेज देंगे और उनकी एप्रूवल आने के बाद तैयार करा देंगे। गवर्नमेन्ट तो चाहती है लेकिन टेक्निकल डिफीकल्टी होती हैं और कुछ वक्त लगता है और इसलिए यह कह कर कि जल्दी से जल्दी प्लानिंग कमीशन की मंजूरी आने के बाद शुरू कर दिया जायेगा, ...

श्री मनोहर कोठारी : ऊपर के दो तालाब हैं, जो कुम्भलगढ़ के पास हैं, उनकी योजनाओं का क्या होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : एक तरफ तो आप चाहते हैं कि खारी फीडर का पानी आना चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं उनका क्या होगा ? क्या मैं यह समझूं ...

श्री मनोहर कोठारी : खारी फीडर का पानी तो जाना ही चाहिए, लेकिन राजसमंद के पास जो तालाब टूट गये हैं उनकी मरम्मत करने के सम्बन्ध में क्या हो रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपका कट मोशन खारी फीडर के बारे में था, उसके लिए आपने फर्माया उसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री श्रीभानसिंह : वह तो कम्प्लीट हो जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : वह भी होगा, आपके वहां भी होगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : गालवा का क्या होगा साहब ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपको तो इतनी शिकायत होनी भी नहीं चाहिए।

डॉ. चन्द्रकला : किसको होनी चाहिए ?

श्री रामकिशोर व्यास : श्री राम-करणसिंह को। कोटा बांध के लिए एक बात कही गई कि वह जिस ढंग से बनाया जा रहा है, उनकी राय से ठीक नहीं बनाया जा रहा है, बहुत जल्दबाजी से बनाया जा रहा है और एक इन्जीनियर्स कमेटी अखिल भारतीय स्तर पर हो, जिसकी सलाह के माफिक यह बांध बनना चाहिए, इतनी बात मैंने समझी। इसके बारे में मैं निवेदन करूं कि जो चम्बल योजना है, उसके लिए सन् १९५४ में एक सी० डब्ल्यू० पी० सी० ने डिज़ाइन बना कर, एप्रूव करके राजस्थान के पास भेजी है और उसके माफिक राजस्थान गवर्नमेंट ने का शुरू किया है। उस नदी का बैड है, वह ७० फीट से नीचे के करीब पड़ती है। जो डिज़ाइन बनाया गया था, ...

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं चाहता हूँ कि आप वहां चल कर देखें कि ७० फीट है या अधिक ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह भी अर्ज कर दूं, दूसरा इसमें कट ऑफ ट्रेन्च रखा था, कुछ शीट पाइल्स रखने का था। जिस वख्त शीट पाइल्स गाड़ी जा रही थीं, तो ७० फीट गहरी बोटम में नहीं जा सकीं, क्योंकि बीच में सख्त रोक्स आ गईं, जिससे कुछ तो कम निचाई तक गईं, कुछ अधिक निचाई तक, पर जो सोलिड रोक्स हैं उन तक नहीं पहुंचीं। फिर ग्राउटिंग लगाने की बात हुई, उसी बीच में यह मामला चम्बल बोर्ड में डिस्कस हुआ तो वहां यह रहा कि ऐतिहातन यह होना चाहिये और विशेषज्ञों की राय ले लेना चाहिये। फ्रेन्च एक्सपर्ट थे, उनकी राय लेना

(श्री रामकिशोर व्यास)

मुनासिब समझा गया, उनको बुलाया गया, वे आये और चम्बल पर उन्होंने आकर देखा और जो कुछ उन्होंने राय दी, राय उन्होंने यह दी कि डिज़ाइन में खराबी की बात नहीं है। कुछ सुझाव उन्होंने अपने दिये कि डाउन डिस्टिंग्स हैं, सीपेज वगैरह का इन्तजाम हो सकेगा, और बना दिये जायें, और जो डिज़ाइन हैं, क्ले ग्राउटिंग भी करें न करें ज्यादा जरूरी नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : ८२५ फीट नीचे बंध हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वहीं आ रहा हूँ। वह तो आज की पोज़िशन है, आप कह रहे हैं, उनकी राय आई। इसके बाद एक डॉ० आरन्ग (अश्रव्य) भी हैं जो वर्ल्ड एक्सपर्ट हैं, उनकी सलाह ली गई, उन्होंने राय दी और उसके माफिक सारा काम चल रहा है। इस बीच पार्लियामेंट ने एक टीम और मुकर्रर की जिसके गाडगिल चेअरमैन थे, वे भी गये और और इन्जीनियर्स ने भी देखा, और १५ जनवरी को आखिरी मर्तबा गये, यहां राजस्थान के भी गये, और फाइनल कन्क्लूज़न ड्रॉ किया कि वहां कोई पोज़िटिव कट मशीनरी को बना सकते हैं तो बनाना चाहिये, जितने हिस्से में बन सकती है, उतने हिस्से में बना देना चाहिये बाकी में नहीं, २४० फीट के करीब मेरी इन्फर्मेशन के द्वारा पोजिटिव कट वाली बनाई जा चुकी है। पानी इसके बेड में है, ७८ के हिसाब से ड्रा करके बाहर निकाला जा रहा है, और इसकी प्रोग्रेस मालूम हुई उसके लिहाज़ से चिन्ता की कोई बात मालूम नहीं होती। कुछ ऐसे पोर्शन रह गये हैं, जहां पर पानी नहीं टूटा, ऑल्टर्नेटिव सजेशन के माफिक काम किया जायगा, जहां तक पक्की रॉक्स मिल जायगीं वहां तो वही बना देंगे, सारे हिस्से में निकल जाय और पानी टूट जाय तो सब जगह पोजिटिव कट वाली बनाई जायगी, थोड़े से हिस्सों में अगर पानी नहीं हटास केंगे तो ऑल्टर्नेटिव सजेशन्स हैं उन पर अमल किया जायगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : रोक्स सोलिड हैं या शैलो हैं, इसको ब्लास्ट करके देखना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : वह सारा देखते हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं साथ चलता हूँ, बताऊं......

श्री रामकिशोर व्यास : आप और मैं तो वैसे आदमी हैं, पर जिन लोगों ने इसको अपनी इज्जत का सवाल बना रखा है, जो इस मामले में अपनी जान लगाये हुए हैं....

३. ४५ म० प०

(श्री सज्जनसिंह, सभापति, पदासीन)

इस काम को पूरा करने में न केवल राजस्थान वाले बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया वाले टाइम टाइम पर आकर देखते रहते हैं। डॉ० खोसला सी. डब्लू. पी. एस. के चेअरमैन थे, कॉलिज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इसको देखा है, डॉ० टॉन आने वाले हैं, डा० खोसला फिर आने वाले हैं, उनकी स्ट्रिक्ट निगरानी में काम हो रहा है, यहां से टाइम टाइम पर रिपोर्ट भेजते रहते हैं इसलिये मैं आपको इत्मिनान दिलाना चाहता हूँ कि चम्बल के बारे में कोई चिन्ता की बात नहीं है, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आयन्दा कोई खतरा आने की गुंजायश नहीं है, कुदरतन ही कोई बात हो जाय वह अलग है, पर जितना एहतियात साइन्टिफिक बेसिस पर, बैस्ट आद-

(श्री रामकिशोर व्यास)

मियों की राय ले कर कर सकते हैं, वह किया जा रहा है; राजस्थान सरकार और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की ओर से।

आपने जो कहा कि कोटा बैराज का लक्ष्य सन् ५६ के बजाय ६१ कर दिया, वह सही नहीं है, अब भी इसका ५६ के एन्ड का है, कोटा बैराज का ६१ का नहीं। आशा है कि ५६ के अन्त तक कम्प्लीट हो जायगा।

एक बात राजस्थान केनाल के बारे में यह कही गई कि इसमें बजाय ठेकेदारों से काम कराने के अमानी में काम कराया जाय। ठेकेदारों से काम कराने से हानि होती है, वह उन्होंने बताई, ठेकेदार खुद रुपया खाते हैं, ऑफसरों को रिश्वतें देते हैं, पब्लिक का रुपया यों ही खराब होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता। यह सवाल जो आपने उठाया, यह एक बड़ा उलझा हुआ सवाल है कि इतने बड़े बड़े काम हैं, उनको डिपार्टमेंट के इन्सपेक्शन में कराया जाय या कन्ट्रेक्ट बेसिस पर कराया जाय। आजके युग में जितने काम होते हैं, ९८ पर्सेन्ट बड़े काम क्या हिन्दुस्तान में क्या बाहर कन्ट्रेक्ट बेसिस पर होते हैं, उन्हें डिपार्टमेंट बेसिस पर करना बहुत मुश्किल है, इसमें बड़ी दिक्कत होती है, लेबर लाने की दिक्कत होती है, डिपार्टमेंट के जरिये, उनको मैनुपुलेट कराने की सुविधाएं, उनको मशीनरी वगैरह लानी पड़ती हैं, ऐसी दिक्कत का काम रहता है तो ऐसी हालत में आपका जो यह सुझाव है कि राजस्थान केनाल का काम कन्ट्रक्ट बेसिस पर होना चाहिये, यह स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आपने कहा कि कॉओपरेटिव सोसाइटीज़ लोग बनायें, उनसे काम करवायें। मैं अर्ज करता हूँ कि राजस्थान केनाल का काम इतना बड़ा है कि ठेकेदार भी खूब आयें, और कोऑपरेटिव सोसायटीज़ लोग बनायें और वहां पर काम करने के लिये आयें। सब को काम मिलेगा सोसायटीज़ बनायें और आयें....

श्री श्रीमानसिंह : आपका मतलब एम. एल. ए. से है क्या........

श्री रामकिशोर व्यास : (जारी) आपने सुना भी होगा। पर्सनल है तो भी कोई हर्ज नहीं। वे पहले ही कह चुके हैं कि मेरा पर्सनल नहीं है। कोऑपरेटिव बेसिस पर लाना चाहें तो मिल सकता है। ऐसी बात तो हो नहीं सकती कि कोन्ट्रेक्टर से नहीं कराया जाए और सरकार करे यह तो मुश्किल है। है। माखेरा के बारे में सिंचाई के लिये आपने शिकायत की। इसकी पहले मुझे कोई सूचना नहीं थी, अब आपने सूचना दी है मैं इसकी जानकारी करूंगा।

एक बात नहरों के टूटने के बारे में कही गई की कई जगह से नहरें टूट जाती हैं और उनकी मरम्मत नहीं होती है। महीने महीने भर तक रीपेअर नहीं होती। ठीक है आप फरमाते हैं, इस पर जल्दी रिपेअर करने के लिये हिदायत की जावेगी। मोघों के केसेज़ के बारे में आपने कहा कि मुकदमों के जल्दी फैसले किये जाने चाहियें। आपका कहना ठीक है। इसके लिये भी हिदायत की जावेगी। नारी के नाके के बन्ध के बारे में कहा गया।

श्री सभापति : माननीय मंत्री माइक को नजदीक रखें तो ज्यादा सुविधाजनक होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नारी

(श्री रामकिशोर व्यास)

का नाका का बांध है वह इर्रिगेशन का बांध नहीं है इसलिये न तो वह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के नीचे है और न उनका इससे कोई सम्बन्ध है ।

डॉ० चन्द्रकला : नौचालन, तटबन्धन तथा जल निकास में तो आता है ।

श्री रामकिशोर व्यास : लेकिन इर्रिगेशन में वे ही बंध आते हैं जिनसे सिंचाई होती है । जिससे फसल पैदा होती है । इसलिये नारी का नाका जो है वह बहुत ही छोटा सा तालाब है और वह इसमें नहीं आता है ।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें सिंचन, नौचालन और तटबन्धन भी है और बाढ़ को रोकने के लिये भी है ।

श्री रामकिशोर व्यास : मगर मैं यह कहूंगा कि इसका इर्रिगेशन डिपार्टमेंट से कोई संबन्ध नहीं है । इस तरह के जो बांध थे, वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मरम्मत कराये जाते हैं । अभी गये साल दो लाख रुपया रखा गया था और इसकी मरम्मत करा दी । इस बांध की मरम्मत हुई है । इसका पानी शहर में नहीं आ जावे इसके लिये......

श्री सभापति : एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से या रेवेन्यू से कराया ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह रेवेन्यु से कराया जावेगा शायद । क्योंकि वह एग्रीकल्चर के अन्दर नहीं आता ।

अब तहसील बसवा के बारे में कहा गया कि वहां पर इर्रिगेशन का वर्क नहीं हुआ और जो नदियें हैं उनके पानी का उपयोग नहीं किया गया । इस हद तक आपका कहना सही है । जयपुर के राज्य के समय इस संबन्ध की योजना बनी थी । अगर वह योजना जयपुर के राज्य के समय में बन जाती तो बन जाती, अब मुश्किल है । इसकी वजह यह है कि आपका सब पानी बाण गंगा में जाता है और भरतपुर में जाता है । पहले तो अलग अलग रियासतें थी, इसलिये किसी के खेतों को नुकसान हो या फायदा, ध्यान नहीं दिया जाता था । लेकिन अब राजस्थान बनने से भरतपुर भी राजस्थान में शामिल है और भरतपुर में पानी की कमी है और भरतपुर में ज्यादा नुकसान हो सकता है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पिछले समय में.......

श्री सभापति : One Hon'ble member at a time please.

श्री रामकिशोर व्यास : अगर बांध बन जाता है तो बहुत नुकसान पहुंचता है । मेरे पास यह रिपोर्ट आई है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : क्या आपने एक्सपर्ट से इस बात पर राय जानने की कोशिश की है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने जो कुछ आपसे कहा है वह मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है क्योंकि मेरी खुद की इस संबन्ध में ज्यादा जानकारी नही है । मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यहां एक्सपर्ट की राय पर ही कह रहा हूं और उनकी राय यह है कि अगर बांध बन जावे तो भरतपुर में इससे नुकसान होगा । इसलिये आपने कहा कि आशाप्रद और सही बात कहना चाहिये, आशा-प्रद तो मैं आप से कहता हूं, सही नहीं हो यह दूसरी बात है । इसके अलावा श्री भीमसिंहजी ने कई बातें कही हैं माइनर इर्रिगेशन के सम्बन्ध में । जो बातें आपने कही हैं उनमें कुछ से तो मैं सहमत हूँ और कुछ से सहमत नहीं हूँ । आपने

(श्री रामकिशोर व्यास)

यह कहा कि बांध बनने से लाभ होता है और उसमें रिटर्न की बात मैंने अपने जवाब में कहीं ऐसी अनरीज़नेबल बात जब कही जाती हैं तो वह तो ठीक नहीं है, बेजा है। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिये प्लान भेजना पड़ता है तो कई बातें सामने आती हैं और वही असल लागू है कि उसकी इन्कम क्या होगी। यह भी देखना होगा कि कितनी प्रोजेक्ट बढ़ेगी। इसके आंकड़ों की जांच करनी होती है और अगर सर्टन पर्सेन्टेज़ तक वह इन्कम नहीं बढ़ती तो प्लानिंग कमीशन उसको मंजूर नहीं करता। अमुमन ४॥ पर्सेंट का लाभ होता है तो प्लानिंग कमीशन उसकी इजाजत दे देता है। मगर हमारे राजस्थान में ऐसी हालत नहीं है, इसलिये हमने बहुत कहा कि ४॥ पर्सेंट लाभ यहां नहीं हो सकता, तब वे २॥ पर्सेंट तक नीचे उतर कर आये और कहा कि २॥ पर्सेंट लाभ नहीं होता है तो रकम नहीं खर्च की जावे, २॥ पर्सेंट के नीचे वे नहीं जा सकते। आप सही कहते हैं कि बांध बनते हैं, उससे कई लाभ होते हैं लेकिन फिर भी दूसरी सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है।

आपको मैं समझता हूँ कि भरतपुर की तो कोई खासतौर से शिकायत नहीं होनी चाहिये क्योंकि वहां पर और वर्क हो रहे हैं जो आपके ध्यान में होने चाहिये। आपको मालूम होगा कि हाल ही में १८ हजार एकड़ भूमि में काश्त होने के लिए १५ लाख रुपया खर्च होगा। इसी तरह आपकी सिंचाई के लिये गुड़गांव चेनल से भी पानी देने के लिए लिखा है कि इससे हमको पानी दिया जावे। ५०० सी. सी. पानी इससे मिलना चाहिये ताकि भरतपुर को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्लानिंग कमीशन को भेजा गया है अन्डर एग्ज़ामिनेशन है। यह भी काफी बड़ी स्कीम होगी और इससे भी १०० लाख एकड़ के करीब भूमि उपजाऊ हो सकती है। इसलिए भरतपुर डिस्ट्रिक्ट को शिकायत नहीं होनी चाहिये।

श्री सभापति : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूं कि वे डाइरेक्ट टॉक के बजाय चेयर को एड्रेस करें?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं चेअर को ही एड्रेस करता हूँ। यही कटमोशन थे जिनके बारे में मुझे कुछ कहना था।

श्री भीमसेन : मेरा कटमोशन १७ था उसका जवाब नहीं दिया गया।

श्री सभापति : अब जवाब देते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आपका कट मोशन राजस्थान केनाल के बारे में है। इसमें जितने आप उत्सुक हैं उतने हम भी उत्सुक हैं। इसमें जल्दी से जल्दी चेनल का काम शुरू है। शुरू में एक्सपर्ट को बुलाने में समय लगा। अब स्पेशल आदमी बुलाया है और उसने चार्ज भी ले लिया है और एक आध आदमी और बुला रहे हैं। काम बहुत स्पीड से शुरू होने वाला है, इसी महीने में शुरू हो जावेगा। मैं आपको इत्मिनान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान चेनल का काम तेजी के साथ चल रहा है।

४ म० प०

श्री भीमसेन : आपने जो टार्गेट फिक्स किया है, १ करोड़ का जो टार्गेट है, उसमें अभी कुछ हजार ही खर्च हो पाये हैं। अगर इसी तरह से काम हुआ तो ऐसा मालूम होता

(श्री भीमसेन)

है कि काम ही नहीं होगा। आप कितने कीन हैं इससे पता लगता है ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी व्यग्रता को मैं समझता हूं। इसकी सेन्क्शन गये साल ही प्लानिंग कमीशन से आयी है। इसको फिर टेक अप किया, इसमें थोड़ा समय लग ही जाता है। यदि शुरू में देरी लगी तो आप यह न समझें कि आगे भी देरी लगेगी और नहीं होगा। हम भी बहुत कीन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने मेरे कटौती प्रस्ताव का जवाब दिया। आपने यह फरमाया कि ५७ में पानी मिल जाना चाहिए था लेकिन उस ठेकेदार की मृत्यु हो जाने से उस 'सानी' का ठेकेदार नहीं मिला।

श्री रामकिशोर व्यास : 'सानी' नहीं कहा था। लेकिन यह कहा था कि वारिस नहीं हो सकी, जो काम चला सकता था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : 'ए' क्लास का क्या ठेकेदार नहीं था ? जैसा अब ठेकेदार को लगाया है उसी समय लगाते तो कभी का पानी उस बांध से मिल जाता। अब किस साल पानी मिल जायगा और सरकार की ओर से काम चल रहा है, वह बन्द तो नहीं हो जायगा। तीसरी बात आपने यह नहीं फरमाई कि नहरें खुद रही हैं और जमीन लोगों की उस तालाब में आ गई है तो उसका कम्पेन्सेशन कब मिलेगा, कितना मिलेगा ? इसलिए इसका पहले आप क्लेरिफिकेशन कर दें कि यहां से तजवीज़ होकर कागज़ात कम्पेन्सेशन के लिए रेवेन्यु में चले गये, अधिकारियों को नोटिस जारी हो चुके या नहीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : कितने साहबानों के कट मोशन्स हैं और यदि हर एक साहबान इस प्रकार से वापिस इसको रिओपन करें और मैं फिर उनका जवाब दूं और फिर वे कहें तो यह तो बड़ा मुश्किल हो जायगा।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : आपने जो फरमाया था वह उन्होंने सुन लिया था और मंत्री महोदय ने जवाब दे दिया है। यदि आप फिर पूछें और उनका वे जवाब दें तो there is no end to it.

रावराजा श्री सरदार सिंह : एश्योरेन्स तो मिलना चाहिए कि सन् ५९ में या ६० में पानी मिलेगा ?

श्री सभापति : आपने कट मोशन मूव किया और उसका प्रत्युत्तर मंत्री महोदय ने दिया; उसके बाद शंका रह जाती है क्या ?

रावराजा श्री सरदार सिंह : शंका का निवारण होना चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! उसका समाधान मंत्री महोदय से उनके चेम्बर में मिलकर कर सकते हैं। आपके विचार उन्होंने जान लिये हैं और आगे भी जान सकते हैं।

रावराजा श्री सरदार सिंह : आज्ञा हो जाय तो घर जाकर मिल लूं।

श्री सभापति : यह और भी अच्छा है

श्री भीमसेन : मेरा कट मोशन राजस्थान केनाल के विषय में था और मैंने मांग की थी कि केनाल के प्रोजेक्ट का काम बड़ी ढिलाई से हो रहा है और यह भी मांग की थी कि क्या सरकार नोन ऑफिशियल्स की एक विजिलेन्ट कमेटी मुकर्रर करने के लिये तैयार हैं, ताकि जो टार्गेट डेट्स हैं, वे निश्चित रूप से पूरी हो सकें। सरकार कह

Page No.92

(श्री भीमसेन)

सकती है कि इस कारण या उस कारण से देरी हो गई। टीज़ आर एक्सक्यूज़ेज़ और मैं समझता हूं कि भाखरा इलेक्ट्रिसिटी का राजस्थान सरकार तवज्जह नहीं देने के कारण से घाटा भुगतना पड़ा और इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्लान से घाटा नहीं भुगतना पड़े। पंजाब में दो साल पहले से बिजली आ चुकी है और हमारे यहां पर सरकार धीरे-धीरे बढ़ रही है तो यह नीति क्यों कर है। हम चाहते हैं कि इस प्लान का समय पर काम पूरा हो और फिर सरकार के सामने इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए, इसलिये सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे वक्त पर काम पूरा हो सके। इसलिए निवेदन किया है कि एक नोन ऑफिशियल की विजिलेन्स कमेटी मुकर्रर होनी चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने जो स्पेसिफिक सजेशन दिया है उसका सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है......

श्री भीमसेन : जवाब ही नहीं दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : We do'nt agree with the Committee's view.

श्री सभापति : I believe you have heard the answer of the Hon'ble Minister.

श्री पी० के० चौधरी : Before I withdraw the Cut motion, I would like to request the Hon. Minister to work out the suggestions of the Commission. After that I withdraw.

श्री रामकिशोर व्यास : I assure you for that.

डॉ० बहादुरसिंह : माननीय सभापतिजी, जैसा मन्त्री महोदय ने बताया कि पार्वती बांध बनाया जा रहा है उसके लिए यह स्पष्टीकरण कर दें क्योंकि जिस तरफ के लिये कटौती प्रस्ताव किया है, उधर तो एक बूंद पानी भी नहीं जावेगा। दूसरी बात धौलपुर डांग क्षेत्र के खारों के बांध बांधने के लिए निवेदन किया था, जिसके लिए विशेष कृपा कर दें और इसके लिए धनराशि स्वीकार कर दें तो अत्युत्तम होगा। मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : यह बाद में।

श्री गिरधारीलाल : On a point of infromation, Sir. क्या सदन में पान खा सकते हैं? सभापति महोदय आप इस पर रूलिंग दें, जब कि माननीय मन्त्रीजी पान खा रहे हैं।

श्री सभापति : बिज़नेस रूल्स में ऐसा नियम नहीं है कि यह आपत्तिजनक है।

डॉ चन्द्रकला : हिन्दी में जो सदस्योपयोगी पुस्तक है उसमें यह है कि कोई माननीय सदस्य सदन में पान नहीं खायेगा और चूंकि हिन्दी में उन रूल्स को पढ़ा है इसलिए आपत्ति उठाते हैं।

श्री सभापति : मेरी यह मान्यता है कि सदन में बैठ कर पान नहीं खायें और वे चूंकि सदन में आने से पूर्व पान खाकर आये हैं ऐसी स्थिति में आपत्ति की कोई बात नहीं होनी चाहिए।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : यदि ऐसी कोई मर्यादा स्थापित की जाती है

(श्री रामकिशोर व्यास)

तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

श्री सभापति : यह दूसरा प्रश्न है कि इसके लिए मर्यादा स्थापित हो।

डॉ० चन्द्रकला : नियम की पुस्तिका में यह है और यह उसका पूरा उल्लंघन है।

श्री गिरधारीलाल : नियम का उल्लंघन है या नहीं ?

श्री सभापति : नियमों का उलंघन नहीं है और जैसा मैंने निवेदन किया कि सदन में बैठकर पान नहीं खाया है।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय चेयरमैन, जो मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया और केनाल के लये कहा है तो धन्यवाद तो तब दे सकता हूं जब कि वह केनाल मेटीरियलाइज़ हो जाय।

श्री सभापति : आश्वासन तो मिल गया।

श्री श्रीभानसिंह : दूसरी गवर्नमेन्ट से बात चल रही है, आपके आश्वासन से क्या ? इन एन्टीसिपेशन धन्यवाद चाहें तो दे सकता हूं।

मेरा खासकर ध्यान दिलाने का मकसद यह था कि इर्रिगेशन वर्क्स पर और सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना चाहता था माइनर इर्रिगेशन में इंर्टनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क्स एन्ड एक्सपेन्डीचर नहीं होना चाहिए। इसी तरह उदयपुर का, बांसवाड़े का, डूंगरपुर का नाम लिया। मगर माननीय मंत्री महोदय ने कोई रीज़न नहीं बताया किन्हीं जगहों पर माइनर इर्रिगेशन के लिये क्यों खर्च होता है, राजस्थान का जो भरतपुर और अलवर का हिस्सा है उस पर माइनर इर्रिगेशन के लिये क्यों खर्च नहीं किया जा रहा है ? आपका ध्येय क्या है, किस उद्देश्य को लेकर आप माइनर इर्रिगेशन के लिये खर्च कर रहे हैं ? क्या आप इनकम को क्राइटेरिया मानते हैं या ज्यादा अनाज पैदा करने को क्राइटेरिया मानते हैं ? अगर ऐसी स्थिति है तो वह बतायी जानी चाहिये कि क्या केवल उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा ही ऐसे इलाके हैं जहां इसकी पोसीबिलिटी ज्यादा है। आज राजस्थान के अन्दर हमारे इलाकों का सर्वे ही नहीं हुआ तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इन इलाकों में प्रोडक्शन की पोसीबिलिटी नहीं है ?

बजट जो पेश हुआ है उसमें ज्यादातर एक्सपेन्डीचर उन वर्क्स पर किया जा रहा है जो वर्क इन प्रोग्रेस है या न्यू वर्क्स पर नहीं हो रहा है। जहां तक नये कामों के चलाने का सवाल है, उस पर तो खर्च होगा ही नहीं। इससे दूसरे डिस्टिक्ट्स को किसी प्रकार भी बेनीफिट मिलने वाला नहीं है। प्रथम पंच वर्षीय योजना में २३६ वर्कस रखे थे। पूर्वी जिलों में जो मेजर वर्क्स अभी अधूरे हैं, उनके लिये रखा गया है लेकिन डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा में जो अधूरे वर्कस हैं उनको कम्पलीट किया जायगा। आप कुछ तो कसौटी रखिये, केवल पर्सेन्टेज ऑफ एक्सेपन्डीचर हम देखते हैं तो उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, डूंगरपुर में ज्यादा आता है। जहां तक भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का सवाल है ज्यादातर रिपेयर्स और मेन्टेनेन्स पर ज्यादा खर्च हो रहा है। खानुआ का बन्ध ऐसा बन्ध है जिसके मेन्टीनेन्स पर हरसाल रकम रखनी पड़ती है। सेतुपुरा बन्ध जो रूपवास तहसील में है उसके मेन्टीनेन्स के लिये रकम है। आखिर हमें एक्सपेन्डीचर को

(श्री श्रीमानसिंह)

रेशनलाइज़ करने की तरफ सोचना चाहिये। या तो पोपुलेशन को बेसिस मानना चाहिये या density ऑफ पोपुलेशन को बेसिस मानना चाहिये। क्या इस बेसिस पर केवल माइनर इर्रिगेशन के लिये उदयपुर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा को उपयुक्त माना गया है ? मैं इस विषय में माननीय मंत्री महोदय से जवाब चाहता था, किन्तु उन्होंने इन बातों को टाल दिया !

दूसरा इस बात का जवाब चाहता था, स्केयर्सिटी के जो वर्क्स होते हैं उनके लिये क्या क्राइटेरिया है ? क्या केवल उन्हीं जगहों को इसमें लिया जाता है जिनमें एवरेज रेन फॉल ज्यादा है, या स्केअरसिटी वर्क्स केवल लिये जायेंगे फेमीन एरिया में; स्केयर्सिटी वर्क्स भी हम देखते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, और उदयपुर के इलाकों में ही होते हैं, आखिर स्केयर्सिटी वर्क्स की डेफिनिशन क्या है ? इसके अन्दर जो एक्सपेन्डीचर रखा गया है, वह डिफाइन नहीं किया गया है।

तीसरा प्रोफिट के लिये कहा। इसके लिये एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट मौजूद है उसमें जो सिफारिश की गई है, उसके अनुसार हमें एग्रीकल्चर Ecenomy को रिहेबीलिटेट करना है। आज जब कि हम सोशयलिस्टिक पेटन ऑफ सोसाइटी कायम करना चाहते हैं तो प्रोफिट की ओर ज्यादा ध्यान हमें नहीं देना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो केपीटलिस्ट गवर्नमेन्ट में और सोयशलिस्टिक गवर्नमेन्ट में क्या फर्क रहेगा ? अगर हम सोशलिस्टिक गवर्नमेन्ट मानते हैं तो हमें इम्पोर्टेन्ट वर्क्स को रेम्युनरेटिव आई से नहीं देखना होगा। यदि हम रेम्युनरेटिव आई से देखते हैं तो केपिटलिस्टिक गवर्नमेन्ट और सोशलिस्टिक गवर्नमेन्ट में क्या फर्क रहेगा ? जिन एरियाज़ पर यह दृष्टिकोण लागू नहीं होता उन एरियाज़ में ये वर्क्स रेम्युनरटिव तौर पर ले नहीं सकते। जहां का पिछड़ा हुआ इलाका है वहां पर रेम्युनरेटिव remunaratiave दृष्टिकोण से देखते हैं तो यह हमारे समाजवाद की ओर बढ़ने के लक्षण नहीं हैं। जहां रेम्युनरेटिव दृष्टिकोण से सोचेंगे तो उसमें जनता का शोषण होगा जो कि जनतंत्र के अनुकूल नहीं है।

तीसरी बात मैंने कही थी, बयाना तहसील के बारे में, जिसका माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया, बेसिक स्टेटिसटिक्स जिसके मौजूद नहीं, जहां के किसी भी भाग का सर्वे नहीं हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे वह ईयर बतायें, जिस साल सर्वे हुआ, तारीख बतायें और किस अधिकारी ने किया व किस किस गांव का किया, बतायें। माननीय मंत्री महोदय उत्तर देते हैं, जिन गांवों के बारे में पूछा उन सब का सर्वे हो गया। मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है, कि इन गांवों का सर्वे नहीं हुआ तो ऐसी हालत में, यह कैसे माना जा सकता है कि यह अन रेमुनरेटिव है। जब आप सर्वे नहीं करते, आपके पास स्टेटिसटिक्स नहीं एस्टीमेट्स नहीं है तो किस आधार पर कहते हैं। It is a gauntlet which I am throwing to you, You accept, if you had the place surveyed. आप एक्सेप्ट करते हैं कैसे कि यह अनरेम्युनरेटीव है ? जहां कोई सर्वे करने के लिये आया ही नहीं, वैसी हालत में कैसे कहा जा सकता है कि यह अनरेमुनरेटिव है ?

जवाई बान्ध के लिये कहा गया कि यह रेम्युनरेटिव नहीं है। फिर भी उसको प्रोटेक्टिव वर्क्स में लिया है। यह ठीक है कि फेमीन के

Page No.95

(श्री श्रीमानसिंह)

समय में यह प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जहां जिस इलाके में एक वाटर चेनल को रोकने में पांच चार हज़ार रुपये से ज्यादा नहीं लगता इस तरह से मामूली खर्चे पर बेनीफिट मिल सकता है। उस एरिया का तो सर्वे तक नहीं किया जाता और जहां का एवरेज रेनफाल तीस या चालीस इन्च प्रति वर्ष है वहां तो आपने केनाल्स बनाने का प्रस्ताव रखा है और जहां दस-बीस इन्च है वहां केनाल्स का कोई प्रोवीजन नहीं रखा, इसे मैं रेशनलाइज़ड के सिवाय क्या कह सकता हूं। जब तक हम इरिगेशन एक्सपेन्डीचर को रेशनलाइज़ नहीं करेंगे तब तक एग्रीकल्चरज प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकती।

भरतपुर का इलाका ग्रेनरी हो सकता है, क्योंकि वहां इरिगेशन की पोटेन्शियलिटी है। लेकिन पोटीन्शियलिटी होते हुए भी इसको निगलेक्ट किया गया है। यह राजाओं के समय में भी निगलेक्टेड रहा है इसलिये जैसा स्टेन्डर्ड वहां के लोगों का राजाओं के समय में था वैसा ही स्टेन्डर्ड आज भी बना हुआ है। आज जनतन्त्र में भी उनके स्टेन्डर्ड में कोई फर्क नहीं आया, जब भूतकाल को देखते हैं और भविष्य को भी देखते हैं तो दोनों समय में उनको कुछ नहीं मिला। तो जनता निराश होती है कि डेमोक्रेसी से भी उनको कोई फायदा नहीं मिला। डेमोक्रेसी के हम बेनीफिट्स देना चाहते हैं तो एक्सपेन्डीचर को रेशनलाइज़ करिये। आप जो एक्सपेन्डीचर करते हैं वे रीज़नल डेस्पेरिटी को डिमिनिश करने के लिये होना चाहिये, इसलिये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइनर इरिगेशन के लिये आपको प्रोफिट का ज्यादा ध्यान न देते हुए डेन्सिटी ऑफ पोपुलेशन और अनाज की पैदावार को देखना चाहिये। आप केवल कुछ ही इलाकों में इस प्रकार खर्च करते हैं तो यह रेशनलिटी नहीं होगी, इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस संबन्ध में दूसरे इलाकों को भी ध्यान में रखा जाय। इतना कहते हुए मैं अपने कट मोशन को विद्ड्रा करने की सदन से इजाजत चाहता हूँ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान केनाल के निर्माण के संबन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि अफसोस नहीं होना चाहिये। अफसोस नहीं था, केनाल के निर्माण के सम्बन्ध में जो शंकायें निर्मित हुई हैं उन शंकाओं को सदन के सामने रखना गैर वाजिब नहीं है।

श्री सभापति : जो कट मोशन आपने पेश किया है उसके जवाब में माननीय मन्त्री महोदय ने जो कहा उसी का जवाब दीजिये, जो नये पोइन्ट्स हों उन्हीं को रखिये।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि अफसोस नहीं करना चाहिये सदस्यों को। हमें तो इसमें बड़ी खुशी है कि सब से बड़ी नहर का निर्माण हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो नीति है, उसकी ओर मैंने सदन का ध्यान अकर्षित किया था। अभी अभी जो फिरोज़खां नून ने वक्तव्य दिया था, उसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। यह तो बहुत ही स्वागत की बात है कि इतनी बड़ी केनाल का निर्माण यहां हो रहा है। मैंने इस विषय में जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसको मैं प्रस्तुत नहीं करता।

दूसरा प्रस्ताव यह था कि जवाई बांध से कुछ बड़े लोगों को ज्यादा पानी मिल गया, उस सम्बन्ध में जैसा फॉर्मुला बनाया गया है, कम से कम आठ बीघा में दे सकते हैं।

Page No.96

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

लेकिन बड़े आदमियों को ज्यादा पानी दिया गया है ।

लघु सिंचाई के सम्बन्ध में भी मैंने प्रस्ताव रखा है । सभापति महोदय, हमारी तरफ सीकर, झुंझुनू चूरू और नागौर जिले ऐसे हैं, जहां नदियें नहीं हैं और पानी भी कम बरसता है । इतना सब होते हुए भी प्रथम पंच वर्षीय योजना में इन इलाकों को ओवरलुक कर दिया गया । द्वितीय पंच वर्षीय योजना में भी इस इलाके के लिये कोई विशेष योजना हमारे सामने नहीं आयी । पानी की कमी जिस इलाके में हो, वहां की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि उदयपुर डिवीज़न में इतना खर्च क्यों किया जाता है ? उदयपुर डिवीज़न को दिया जाता है तो वह भी राजस्थान का ही हिस्सा है, वहां पर भी यदि विकास होता है तो ठीक बात है । पर किसी क्षेत्र को बिलकुल ही छोड़ दिया जावे और इसलिये छोड़ दिया जावे कि वहां से कोई बोलने वाला नहीं, तो यह उचित बात नहीं । दुर्भाग्य से उधर का कोई मिनिस्टर यहां नहीं कि जो वहां रिप्रेजेन्टेशन कैबिनेट में कर सके ।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : माननीय सदस्यों के यह ध्यान में होगा कि सीकर के इलाके के लिये स्पेशल इर्रिगेशन कमेटी का निर्माण हुआ है जो जांच कर रही है वहां की पोटेन्शियेलिटी के बाबत ।

एक माननीय सदस्य : उस इलाके के के तो कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट हैं ।

(हंसी)

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : कांग्रेस प्रेसीडेन्ट तो नाम के हैं ।

श्री सभापति : Hon. Member should address the Chair if he wants to continue. Shri Rameshwar Dayal.

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, मैंने कोटा डिवीजन में लघु सिंचाई कार्य में सन्तोषजनक प्रगति न होने के सम्बन्ध में एक कटौती का प्रस्ताव रक्खा था और सन्तोषजनक प्रगति न होने के सम्बन्ध में धन के अभाव के साथ साथ कुछ और अतिरिक्त कारणों पर भी प्रकाश डाला था । उदाहरण स्वरूप आज तक कोटा डिवीजन में इस बात का सर्वे नहीं हुआ कि कहां कहां पर किस की सिंचाई का कार्य चलाया जाना चाहिये या उनका विकास होना चाहिये । इसी प्रकार से मैंने यह भी निवेदन किया था कि इस डिपार्टमेंट के अन्दर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, ट्रेन्ड सर्वेअर्स या ओवरसीयर हैं, उनकी इतनी बड़ी भारी कमी है, कि जो थोडी बहुत धन-राशि इस काम के लिये राज्य सरकार द्वारा हमारे डिवीजन में दी जाती है उसका भी पूर्ण-रूपेण उपयोग नहीं कर पाते ।

मैंने उदाहरण के तौर पर बतलाया था कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में ५७-५८ के बजट में तीन लाख रुपया स्वीकार किया गया था । लेकिन खेद की बात है कि यह रुपया वहां उपयोग में नहीं आया और वैसे ही खत्म हो गया । इसके अलावा मैंने यह भी कहा था कि बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अन्दर जहां कि इस सम्बन्ध में काफी साधन उपलब्ध हैं, जहां काफी शक्ति है, सामर्थ्य है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिये था, काफी उत्पादन बढ़ सकता है और जो हमारी खाद्यान्न समस्या है, उसके समाधान में बल मिल सकता है । उन तमाम बातों को सभापति महोदय, आपके द्वारा मैंने मन्त्री महो

(श्री रामेश्वरदयाल)

दय के सामने रक्खा था कि वे उन पर विचार करके कुछ सुझाव दें, मार्ग दर्शन करें, राज्य सरकार की नीति के बारे में कि क्या उन तमाम बातों को दूर करके सिंचाई योजना के सम्बन्ध में कुछ आगे प्रगति करने के बारे में उनके पास कोई ठोस कार्यक्रम है या इस सम्बन्ध में वे क्रान्तिकारी सुझाव लेना चाहते हैं। मैं चाहता था कि माननीय मन्त्री महोदय विस्तृत रूप से कुछ कहें, अपने विचार प्रकट करें ताकि हमें सन्तोष मिलता है पर अफसोस है कि इस बारे में ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया। ज्यादा क्या, इसको तो छोड़ दिया गया; आइन्दा इस ट्रान्सपोर्ट फैसीलिटी के बारे में और अन्य सुविधाओं के बारे में राज्य सरकार क्या करना चाहती है ! खैर. कुछ भी हो मैंने जो एक कटौती का प्रस्ताव रक्खा है, उसको वापिस लेने के लिये मैं सभापति महोदय आपकी आज्ञा चाहता हूं।

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय सभापति महोदय इसके पहले कि मैं....

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज़ ! क्या मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूं कि जितने भी कट मोशन्स जिन जिन सदस्यों ने पेश किये हैं, उनमें उनके ध्यान में जो नये पॉइन्ट्स आये हैं, जिनका जवाब देना उनके लिये आवश्यक हो, वही दें।

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय, मुझे इसके लिये कहना है कि तथ्यों में कुछ गलतफहमी हो गई है इसलिये सफाई करना जरूरी है।

श्री सभापति : जो निवेदन करना चाहते हों समय की तरफ ध्यान देते हुए बहुत संक्षेप में निवेदन करें तो अच्छा हो, ताकि समय पर सारा काम समाप्त कर सकें।

श्री जगदीशप्रसाद : On a point of information, Sir, सदन में किसी भी एक मिनिस्टर का होना जरूरी है। पर इस समय कोई मिनिस्टर कुर्सी पर नहीं है, न डिप्टी मिनिस्टर ही कोई हैं। यह तो सदन का अपमान है।

(श्री सभापति द्वारा बुलाये जाने पर गृह मन्त्री का सदन में पदापर्ण एवं सदन की कार्यवाही लगभग आधे मिनिट के लिये बंद)

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) ऑर्डर प्लीज़। माननीय मन्त्री महोदय का मैं एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब सदन के अन्दर वाद-विवाद किसी सब्जेक्ट पर चल रहा हो तो या तो मन्त्री महोदय या उनके डिप्टी का हाउस में रहना अनिवार्य है, आवश्यक है, और अभी ऐसी स्थिति आ गई थी कि सदन में न मन्त्री ही थे और न डिप्टी मिनिस्टर ही। तो मैं समझता हूं कि भविष्य में मन्त्री महोदय को इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : मुझे बहुत अफसोस है कि यहां कोई नहीं था। मेरा ख्याल था कि यहां कोई है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं सदन से।

(करतल-ध्वनि)

श्री दयाकृष्ण विजय : माननीय सभापति महोदय, मुझे दुख है कि जो कटौती प्रस्ताव....

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : मैं समझता हूं कि मेरे निवेदन पर माननीय सदस्य ध्यान रक्खेंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : वैसे ही मैं कह रहा हूं।

उसको वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता क्यों कि जो बातें मैंने रक्खी हैं, वे मेरे प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित हैं। उनका जो उत्तर दिया गया, वह पहले के प्रश्नों के उत्तर जो दिये गये उस पुरानी जानकारी के ही आधार पर दिये गये। आज की उनकी कोई नई तैयारी नहीं है और जो मैंने बताया था कि जो बोर्डर्स रख दिये गये, वे गलत तरीके से ही रक्खे गये थे। उनको आज वापिस उठाया जा रहा है और इसमें दुबारा फिर भारी खर्चा किया जा रहा है। जो शीट पाइलिंग की गई थी वह धरती के लेवल पर ही था और आज बीच में जो दीवार बनाई गई है उसका बनाने का तरीका भी बहुत खतरनाक है। उसके गिर पड़ने का डर है। इसका तो आज या कल में ही निरीक्षण किया जावे और देखा जावे कि इस प्रकार का निर्माण वास्तव में उचित है या नहीं। यह बहुत बड़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण बात है जिसके लिये माननीय सदस्यों से मैं मांग करूंगा कि इसकी तुरन्त जांच होनी चाहिये विशेषज्ञों के द्वारा। इसलिये मेरे कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : जहां तक मेरे कटौती के प्रस्ताव का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जो उत्तर माननीय मन्त्री महोदय ने दिया, उसमें उन्होंने यह बताया कि लोगों ने नाराज होकर उस फीडर का शिलारोपण हटा दिया है, किन्तु मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मैंने ऐसा नहीं कहा। इसके बारे में मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि जबकि स्वयं माननीय मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया कि अभी तो इसका एस्टीमेट बनाना है और भारत सरकार के विचारार्थ भेजना है। तो ऐसा स्थिति में फीडर का शिलारोपण होने और उसे हटाने की बात कैसे संभव है। मैंने तो यह कहा था कि चारभुजा में बनाये जाने वाले जवाहर सागर तालाब के शिलान्यास का पत्थरलोगों ने फेंक दिया।

दूसरा जो भ्रम हुआ वह यह था कि खारी नदी को फीडर के रूप में राजसमन्द में डाल दिया गया तो हम उसका विरोध करते हैं। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं कि चारभुजा सैनियाणा होते हुए गोमती ऑलरेडी राजसमन्द में गिरती है। इसलिये खारी नदी के बान्ध के कारण उस पर असर पड़ता है ऐसी बात नहीं है। पहले के बहुत से टूटे हुए बान्ध हैं, उन्हें पहले रोका जावे यह मेरा कहना है और फिर खारी को जब तक राजसमन्द में नहीं डालें तब तक ऊपर के बान्ध नहीं बन सकते। सैन्याणा टूटा तालाब खारी पर स्थित नहीं है, वह तो गोमती पर स्थित है। खारी का पानी वहां डालने का इन्तजार क्यों करना पड़े जहां ऑलरेडी पानी है और जिनके निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया था और जिसे बाद में वापिस रोक दिया गया। तो मैं यह संकेत करते हुए कि जो काम शुरू कर दिया गया है उसे जारी रक्खा जाय, बन्द करने का कोई कारण नहीं मैं यह चाहता हूं कि चारभुजा और सैनियाणा का तालाब जो तीन सौ वर्ष पहले के बने हुए हैं, वे टूट गये हैं तो उनको सुधार जाय। तो इन शब्दों के साथ यह मानते हुए कि माननीय मंत्री महोदय इन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और उन लोगों को जो इनकी इन्तजार में हैं अब अधिक परेशान

(श्री मनोहर कोठारी)

नहीं करेंगे, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (बांदीकुई) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने मेरी मांग २४ व २५ का उत्तर देते हुए फरमाया था कि कर्मचारियों ने सर्वे कर लिया है, इस बात का कि कितना पानी गादरवाड़ा में आ सकता है....

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि मेरा निवेदन आपके ध्यान में है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : पूर्ण रूपेण।

उस संबंध में मुझे यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि आम तौर से सर्वे इन्जीनियर्स ने कभी किया होगा, लेकिन इस खास बात का सर्वे कि भरतपुर जिले में कौन-कौन सी नदियां जाकर गिरती हैं और उनका कुल साल भर में औसत पानी जाता है annual average discharge of the Water. इसके बिल्कुल सही आंकड़े तैयार करने चाहिए और इसके बाद में उससे कितनी भूमि की इर्रिगेशन याने सिंचाई होती है और उसके लिए कितने पानी की आवश्यकता है? इसके लिए खास तौर से स्पेसिफिक सर्वे करना जरूरी है। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि आया जो पानी पहुंचता है, वह कम है, सप्लर्स है या पर्याप्त है। इसके साथ ही यह निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया था कि जयपुर जिले के लिए माईनर इर्रिगेशन के साधनों के लिए पिछली पंचवर्षीय योजना में २ लाख से कुछ अधिक रुपया रखा गया था, जब कि टोंक जिले में ६ लाख रुपया रखा गया था और टोंक जिले की आबादी हमारे जयपुर जिले से पांच गुना कम है। याने हमारे जयपुर जिले की आबादी पांच गुना ज्यादा है, टोंक जिले की आबादी से....

श्री सभापति : यह मांग कीजिए कि जयपुर जिले को भी ६ लाख मिलना चाहिए।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : नहीं साहब, इससे कहीं ज्यादा मिलना चाहिए। ३० लाख मिलना चाहिए क्योंकि जयपुर जिले की आबादी टोंक जिले से पांच गुना ज्यादा है। मैं यह कहूंगा कि जयपुर जिले के साथ पिछली पंचवर्षीय योजना में भी साफ इन्साफ नहीं हो सका। इसलिये खास तौर से इस बात की आवश्यकता है कि इस जिले में जहां कि पर्याप्त मात्रा में साधनों की उपलब्धि है, वहां तो इतना रुपया दिया ही जाना चाहिए। हां, सीकर और झुंझुनूं के लिए कहा जाय कि वहां पानी नहीं है और दूसरे अनेक साधनों की उपलब्धि नहीं हो सकती। लेकिन इसके लिए नहीं कहा जा सकता। यहां वर्षा से भी काफी पानी प्राप्त होता है और बरसाती नदियां भी काफी हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि यहां पर मेजर प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत भी इस जिले में कोई प्रोजेक्ट नहीं रखा गया है। माईनर इर्रिगेशन के लिए यहां काफी गुंजाइश है और पेरेनियल सोर्स ऑफ इर्रिगेशन भी हमारे यहां काफी हैं।

फिर यह निवेदन करूंगा कि यह राइपेरियन राइट्स जो हैं यानी नदियों के पानी लेने के अधिकार विभिन्न प्रान्तों के बीच वह यह हैं कि जिस प्रान्त से वह नदी पहले निकलती है उस जगह उसका अधिकारी वही है। फिर वही सिद्धांत विभिन्न जिलों के ऊपर एप्लाई किया जायगा। जो कैचमेन्ट एरिया

(विश्वम्भरनाथ जोशी)

होता है, वह ही उस पानी को लेने का अधिकारी है। उस कैचमेन्ट एरिया में पानी काम आने के बाद फिर पानी बचता है तो दूसरे लोग ले सकते हैं। अब पाकिस्तान ...

श्री सभापति : आपका भाषण विस्तृत नहीं होगा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जी हां। मैं यह कह रहा हूं कि इस सिद्धांत को नहीं माना जायेगा तो पाकिस्तान के मुकाबिले में हिन्दुस्तान का केस ही बहुत ढीला पड़ जायेगा। सवाल यह है कि म्युटेटिस, म्युटेन्डस, मेन्टेन करने के लिए राइपेरियन राइट्स का सिद्धांत है कि जो कैचमेन्ट एरिया के लोग हैं, वह ही अपनी जरूरत के माफिक पहले पानी ले लें और फिर बाकी बचे तो दूसरे एरिया के लोगों को दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि जो उदाहरण हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का आप दे रहे हैं तो पहले घर में ही ऐसा उदाहरण कर दें न लड़ने का।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यही बात तो मैं माननीय मंत्री महोदय से कर रहा हूं। जो बात अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कर रहे हैं वह अपने घर में जरूर पहले करनी चाहिए। यह दलील ऐसी है कि जो बहुत माकूल है। साबों नदी पर गादरवाड़ा के पास में डैम बना करके उसका फाइनल विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर बहुत ही सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, उसका निर्णय करेंगे। अब मैं आवश्यक नहीं समझता कि अपने इन कटौती प्रस्तावों को वोट करने के लि सदन के सामने रखूं और अगर मुझे अनुमति दी जाये तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव नम्बर २४ व २५ वापिस करने की अनुमति सदन से मांगता हूं।

श्री श्योपतसिंह : मंत्री महोदय ने मेरे भाखरा एरिया के लोगों के....

श्री सभापति : मैंने जो माननीय सदस्यों से निवेदन किया था वह आपके ध्यान में है।

श्री श्योपतसिंह : हां ध्यान में है, सुन लिया। भाखरा एरिया के लोगों के लिए जो आश्वासन दिया है, उसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। जहां राजस्थान कैनाल के बारे में ठेकेदारी सिस्टम क्यों खत्म किया जाय उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। राजस्थान का करोड़ों और लाखों रुपया ठेकेदारों और ऑफिसरों की जेब में जाये, इससे तो अच्छा है कि लोगों के पास जाना चाहिए और इसके लिए ठेकेदारों से काम न कराकर लोगों से करवाया जाये। इसके लिए ऐसा बोर्ड बनाया जाय कि जो इस बात को पूर्णतः देखे कि यह ठेकेदार जो एक एक दिन में हजार हजार रुपया कमाते हैं, वह न कमा सकें। इस बात का मंत्री महोदय ने कोई आश्वासन नहीं दिया है और आशा है कि वह इसमें गड़बड़ नहीं होने देंगे। साथ ही मशीनरी के बारे में कहूंगा जो कि भाखरा कैनाल में आई थी और जो २६ लाख रुपये की मशीनरी है। वह एक या डेढ़ साल से रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई है। इसलिए मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है, उसको मैं वापिस लेने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सभापति : अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा। मैंने निवेदन किया कि काफी सदस्यों ने नये पाइंट्स उठाये थे और उनका उत्तर मंत्री महोदय की ओर से दिया गया था

(श्री सभापति)

और मैं समझता हूं कि अब जो कटमोशन्स् मूव हुए हैं, उनके मुताल्लिक मैं माननीय सदस्यों से यह दर्याफ्त करूंगा कि कौन इनमें से वापिस लेना चाहते हैं और जो वापिस नहीं लेना चाहेंगे उनको मैं हाउस के सामने वोट के लिए रखूंगा। तो मैं सर्वप्रथम उनके नाम कॉल आॅउट करता हूं, जिन्होंने कि कट मोशन्स मूव किए हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने कट मोशन्स को वापिस लेना चाहें तो ले लें।

श्री श्रीमानसिंह : I beg leave of the House to withdraw.........

श्री सभापति : Order ! Order please !! Have little patience. I am calling out the names in the order as they have been put before me.

Shri Sohanlal Bhatnagar

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सभापति मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री सोहनलाल भटनागर ने जो कटमोशन्स पेश किये हैं वे वापिस लेने की उनको इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सोहनलाल भटनागर : मैं अपने कटमोशन्स वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : श्री बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने कटमोशन्स वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री बहादुरसिंह को कटमोशन्स वापिस लेने की आज्ञा दी जाये ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं अपने कटमोशन्स वापिस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचंद डागा : I want permission to withdraw my cut motion Sr.

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि जो कटमोशन श्री मूलचन्द डागा ने रखे हैं, वे उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचंद डागा : I withdraw my cut motion.

श्री सभापति : श्री रामेश्वरदयाल।

श्री रामेश्वरदयाल : Mr. Chairman, I beg leave to withdraw my cut motion to the proposed grant.

श्री सभापति : श्री रामेश्वरदयालजी ने जो कट मोशन्स पेश किये हैं क्या उनको वापिस लेने की सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामेश्वरदयाल : I withdraw.

श्री सभापति : श्री पी० के० चौधरी, he has already withdrawn.

(अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री रामकरणसिंह ।

श्री रामकरणसिंह : माननीय सभापति महोदय, एक जरा सी चीज़ की शंका है और मेरी शंका का निवारण हो जाये तो मैं वापिस ले लूं ।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हाउस का जो कार्य प्रारंभ हो गया हैं उसमें अड़चन पैदा न करें तो अच्छा होगा । इस शंका को माननीय मन्त्री महोदय से मिलकर निकाल लें । आपने शंका भी की तो जरा सी चीज की ।

श्री रामकरणसिंह : इसलिये कि मेरी तहसील भी तो जरा सा हिस्सा है ।

श्री सभापति : कटमोशन्स को विद्ड्रॉ करने का समय आ गया है और बीच में हाउस की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा ।

श्री रामकरणसिंह : फिर मैं वापिस लेना पसन्द नहीं करूंगा ।

श्री सभापति : श्री मनोहर कोठारी

श्री मनोहर कोठरी : जो कटौती का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है मैं सदन से उसे वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री मनोहर कोठारी को उनके कटमोशन को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मनोहर कोठरी : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : श्री भीमसेन ।

श्री भीमसेन : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

श्री सभापति : श्री भीमसेन ने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है क्या सदन की अनुमति हैं कि उनको अपना कटमोशन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री भीमसेन : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला ।

डॉ० चन्द्रकला : सभापति महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं ।

श्री सभापति : डॉ० चन्द्रकला ने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया है क्या सदन की अनुमति है कि उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० चन्द्रकला : मैं कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूं ।

श्री सभापति : श्री बी० एन० जोशी ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I beg leave of the House to withdraw my cut motions No. 24 and 25.

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि श्री बी० एन० जोशी ने जो कटौती प्रस्ताव पेश किया है, उनको वापिस लेने की उनको अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

Page No.103

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : I withdraw my cut motions.

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह ।

श्री श्रीभानसिंह : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री सभापति : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्री श्रीभानसिंह ने जो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं उनको वापिस लेने की उनको अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my cut motions.

श्री सभापति : बाकी के जितने भी कट मोशन्स पेश किये गये हैं और जिन्हें माननीय सदस्य वापिस नही लेना चाहते हैं, उनको एक साथ ही हाउस की स्वीकृति के लिए पेश करना चाहता हूं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी ने यह आश्वासन दे दिया कि जल्दी ही उसका काम खत्म हो जायगा, लिहाजा इस उम्मीद पर मैं अपना कट मोशन वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री सभापति : रावराजा श्री सरदारसिंह ने जो कटमोशन पेश किया है, क्या सदन की अनुमति है कि उनको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना कट मोशन वापिस लेता हूं ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८, सिंचन, नौचालन वगैरह पर बाकी के जो कट मोशन्स पेश किये गये हैं, उनको स्वीकार किया जाय । जो इनके पक्ष में हो वे "हां" कहें । (कोई आवाज नहीं) जो इनके विपक्ष मे हों वे "ना" कहें ।

(सरकारी पक्ष की ओर से "ना" की आवाजें)

"ना" पक्ष जीता । "ना" पक्ष....

(बाधा)

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, वैसे टाइम को ध्यान में रखते हुए यह बात ठीक है, लेकिन यह परम्परा बड़ी गलत होगी । इसमें संभवतः ऐसा हो सकता है कि कई कटमोशन्स पर डिवीज़न क्लेम किये जा सकते हैं । हमारा तो विरोधी पक्ष है 'ना' कहना चाहते हैं, लेकिन यह अच्छी चीज नहीं है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए लोक सभा में जो प्रोसीडिंग्स हैं और वहां पर जिस तरह से कटमोशन्स एक साथ लिये जाते हैं;वह मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़कर सुना देता हूं :

"Mr. Speaker I will now put the cut motions together to the vote of the House."

All the cut motions were put and negatived.

"Mr. Speaker. I will now put the demand to the vote of the House."

इसलिए एक साथ कट मोशन्स जितने भी हैं, लिये जाना हाउस की पराम्परा के अनुसार है और जैसा कि लोक सभा में होता है उसके अनुसार है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : It is now being.......

श्री तनसिंह : लोक सभा में जो रूल्स आॅफ प्रोसीज़र और कन्डक्ट आॅफ बिज़नेस के हैं उनमें और और हमारे यहां के रूल्स में अन्तर है। मान लिया जाय कि जितने भी कटौती प्रस्ताव हैं उनको एक साथ लिया जाय लेकिन कई ऐसे इम्पोर्टेन्ट कटमोशन्स हैं जिन पर कि वाद-विवाद हुआ है और उनमें विभाजन की मांग की जाये तो वह मांग की जा सकती है और वोट लिये जा सकते हैं। सब को एक साथ लेने में विभाजन के समय एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है।

श्री सभापति : मैं समझता कि हूँ मान-नीय सदस्य जो बोल रहे हैं उनके कोई कट-मोशन्स नहीं हैं, वे जनरल प्रिन्सिपल पर बोल रहे हैं और वह जनरल प्रिन्सिपल लोक सभा में जिस तरह से काम में लाया जाता है, वह मैंने पढ़कर सुनाया। यदि इसके बाद भी किसी माननीय सदस्य को इसमें कोई एतराज हो और वे इन्डिपेन्डेन्टली अपने कट मोशन्स वोट के लिये रखवाना चाहते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह रूल्स आॅफ प्रोसीज़र लोक सभा के हैं और यहां अपने अलग रूल्स हैं।

श्री सभापति : मैंने सारी बातें पढ़कर सुना दीं। उसके बाद, मैं समझता हूं कि डिस्कशन का कोई पॉइन्ट नहीं रह जाता है। आप सैपरेटली, इन्डिपेन्डेन्टली कट मोशन्स वोट के लिये रखवाना चाहते हैं तो आपको इजाजत है।

(विराम)

मैं समझता हूं कि कोई माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए हैं, इसलिए मैं मानता हूं कि वे इन्डिपेन्डेन्टली वोट के लिये नहीं रखना चाहते हैं।

प्रश्न यह है कि जो कटमोशन्स विद्ड्रॉ नहीं हुए हैं, उन पर सदन की अनुमति ले ली जाय। जो इनके पक्ष में हों वे हां कहें.......

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, इसमें प्रोसीजरल मिस्टेक रहेगी। यदि एक साथ सब को लिया गया तो प्रोसीजरल मिस्टेक रहेगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जिस वक्त मैंने पढ़कर सुनाया था उस वक्त मौजूद नहीं थे। लोक सभा में जैसा प्रोसीज़र है वह चीज़ मैंने आपको पढ़कर सुना दी और वहां यह प्रोसीज़र है कि all the motions are put together. तो ऐसी परिस्थिति में एक डिमान्ड है उसके ऊपर कई कटमोशन्स हैं, उनके एक साथ लिये जाने में माननीय सदस्य को क्या आपत्ति है ?

श्री भैरोंसिंह : मैं अर्ज करूं, सभापति महोदय, पार्लियामेंट में जो तरीका है वह यह है कि स्पीकर महोदय की तरफ से सब कट मोशन्स हाउस में पढ़कर सुनाये जाते हैं और बाद में टेक्निकल मूव किये जाते हैं वह चेयर की तरफ से हो सकते हैं। ऐसी सूरत में चेयर उनको एक साथ रख कर वोट करना चाहती है ; यहां पर टेक्निकली न तो सदस्यों की तरफ से मूव हुए हैं और न चेयर की तरफ से ; केवल ऐसा प्रिज़्यूम किया गया है। उस सूरत के अन्दर यह प्रोसीज़र लागू नहीं होता है। जब चेयर की तरफ से कट मोशन्स मूव हुए हों, उस सूरत में लागू होता है। यहां पर न चेयर ने उनको मूव किया है और न इन्डिविजुअल मेम्बर्स ने मूव किये हैं, तो इन्डिविजुअल कट मोशन पर वोटिंग होगा।

श्री सभापति : किसी मेम्बर की, यदि अपने कट मोशन्स इन्डिपेन्डटली वोट के लिये रखवाने की इच्छा है तो खड़े होकर बतलाएँ कि वे इन्डिपेन्डेन्टली रखवाना चाहते हैं। मैं उनको इन्डिपेन्डटली ले लूंगा। लेकिन जब किसी माननीय सदस्य ने उठकर यह नहीं कहा तो चेयर का यह समझ लेना स्वाभाविक है कि कोई माननीय सदस्य इनको इन्डिपेन्डेन्टली नहीं रखवाना चाहते। ऐसी हालत में सारे कट मोशन्स को एक साथ वोटिंग के लिए रख देना उचित है।

प्रश्न यह है कि जो कट मोशन्स पेश हुए हैं और विद्ड्रॉं नहीं किये गये हैं उनको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

सब कट मोसन्स गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट बन्धन, आदि के संबंध में ३१ मार्च, सन् १६५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १०,६४,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

अनुदान की मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

कल सुबह ११ बजे तक के लिए हाउस की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की बैठक सायं ४.४६ बजे, कल दिनांक १६ मार्च, १६५८ म. पू. तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, १८ मार्च, १९५८)

स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर ३७८६

कमिश्नर व जिलाधीश आदि अधिकारियों के स्थानान्तरण संबंधी नियम

स्टाम्प वैन्डर्स ।

तहसीलदार, दूनी के दुर्व्यवहार के विरोध में किया गया अहिंसात्मक आन्दोलन ।

अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जानेवाली छात्रवृत्ति ।

भ्रष्टाचार निरोध ।

प्रारम्भिक पाठशाला, जालोर ।

एस. टी. सी. स्कूलों का स्थानान्तरण ।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ।

पंचायत, सांचोर द्वारा ताण्डिया बाजार से दुकानें हटाये जाने हेतु दिया गया आवेदन-पत्र ।

ऊन सफाई व कताई केन्द्र ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ।

गोचर भूमि ।

बीकानेर इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया गया व्यय ।

हरिजन वैलफेयर बोर्ड ।

बुनाई शिक्षकों की नियुक्ति ।

सामोद (जयपुर) की चारदीवारी का विक्रय ।

राजकीय हाईस्कूल, आबू रोड में कमरों की कमी ।

राजस्थान मंत्रणा परिषद् ।

स्तम्भ

तहसील शाहबाद में हाई स्कूल की स्थापना ।

पुरुषार्थियों के लिये आरक्षित भूमिखण्ड गंगानगर ।

डिग्री कॉलेज ।

जिलाधीशों के कार्यों का निरीक्षण ।

हिन्दी का राज्य-भाषा के रूप में प्रयोग ।

लगान सम्बन्धी पर्चों की उब्रदारियां ।

गणतंत्र दिवस पर देहली में राजस्थान द्वारा प्रस्तुत झांकी ।

ग्राम अजीतपुर (भादरा) की सामलात व जोहड का पायतन ।

सवर्णों की अनसूचित जाति के लिये संरक्षित स्थानों पर नियुक्ति ।

अम्बर चर्खा प्रशिक्षण ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, खारची ।

मापतोल ।

जिला विकास समिति, पाली ।

अनुदानों की मांगों पर मतदान । ३८४६

मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–सिंचन, नौचालन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) इत्यादि ।

उपरोक्त मांग श्री रामकिशोर व्यास, सिंचाई मंत्री, द्वारा प्रस्तावित की गई जिस पर २५ कटौती प्रस्ताव निम्नलिखित सदस्यों द्वारा

स्कम्भ

प्रस्तुत किये गये :—

(१) रावराजा श्री सरदारसिंह ।
(२) श्री सोहनलाल भटनागर ।
(३) डा० बहादुरसिंह ।
(४) श्री रामेश्वरदयाल ।
(५) श्री पी० के० चौधरी ।
(६) श्री रामकरणसिंह ।
(७) श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।
(८) श्री मनोहर कोठारी ।
(६) श्री भीमसेन ।
१०) श्री दयाकृष्ण विजय ।
(११) श्री श्योपतसिंह ।
(१२) डॉ० चन्द्रकला ।

स्कम्भ

(१३) श्री विश्वम्भरनाथ जोशी ।
(१४) श्री श्रीमानसिंह ।
(१५) श्री भोलानाथ ।

सिंचाई मंत्री के उत्तर के पश्चात् १८ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिए गये तथा शेष प्रस्ताव अस्वीकृत हुए । तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकृत की गई ।

बुधवार, दिनांक १६ मार्च, १६५८ की कार्य-सूची

अनुदानों की मांगों पर मतदान (पुलिस) ।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६४८ का उत्तर देखिये)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(LAW DEPARTMENT)
NOTIFICATION

Dated Jaipur, the 6th Dec., 1952

No. F. 12 (41)-L/52 : The following Act of the Rajasthan State Legislative has received the assent of His Highness the Rajpramukh on the 3rd day of December, 1952 and is hereby published for general i nformation :—

THE RAJASTHAN OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1952
(Act No. XXVII of 1957)

Received the assent of His Highness the Rajpramukh on the 3rd day of December, 1952.

An Act to provide for adoption of Hindi as the language to be used for the official purposes of the State of Rajasthan.

Whereas Article 345 of the Constitution of India inter alia provides that the Legislature of a State may by law adopt Hindi written in Devnagri script as the Language to be used for all or any of the official purposes of that State;

And whereas it is expedient to provide for the adoption of Hindi written Devnagri Script as the language to be used for the official purposes of the State of Rajasthan and for other matters hereinafter appearing.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature as follows:-

1. Short title, extent and commencement-(1) This Act may be called the Rajasthan Official Langnage Act, 1952.
   (2) It extends to the whole of Rajasthan.
   (3) It shall come into force on such date as the State Govrnment may, by notification in the Rajasthan Gazette, appoint in that behalf.

2. Hindi to be official language of the State-(1) Without prejudice to the provisions of Articles 346 and 347 of the Constituion of India, Hindi written in Devnagri script shall, with effect from the date of the commencement of this Act, to be language used in respect of the following, namely;

परिशिष्ट

(i) Bills introduced in the State Legislature.

(ii) Acts passed by the State Legislature.

(iii) Ordinances promulgated under Article 213 of the Constituion of India, and

(iv) Orders, rules, regulations and bye-laws issued by the State Government under the Constitution of India or under any Central or State law.

3. Without prejudice as aforesaid, Hindi written in Devnagri script shall, with effect from such date within one year from the commencement of this Act as the State Government may, by notification in the Rajasthan Gazette, appoint in this behalf, be the language used in respect of all or any of the official purposes of the State, other than those mentioned in sub-section (1) and different dates may be appointed for such different purposes.

Maharaja Sawai Mansingh
Rajpramukh, State of Rajasthan.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६५० का उत्तर देखिये)

हमारा राजस्थान नामक झांकी का विवरण

हमारा राजस्थान, नामक झांकी में राजस्थान के जीवन, कला एवं ऐतिहासिक वस्तुओं का चित्रण करने का प्रयास किया गया था जिससे साधारण व्यक्ति को भी राजस्थान के जन-जीवन की जानकारी मिले।

इस झांकी में राजस्थान की प्रसिद्ध इमारतों, सांस्कृतिक कार्यकलापों एवं विभिन्न कार्य-क्षेत्रों का चित्रण किया गया था।

चित्तौड़ की प्रसिद्ध गगनचुम्बी इमारत जयस्तम्भ जो मेवाड़ के अतीत गौरवशाली इतिहास व स्वतन्त्रता प्राप्ति के संग्रामों की सुन्दर स्मृति है व राजस्थान की शिल्पकला की उत्कृष्ट स्तर की याद दिलाने वाला हवामहल इस झांकी में सफलतापूर्वक दिखाया गया था। इसके अतिरिक्त आदिवासी अपनी प्रसन्न मुद्रा में लोक गीत गाते हुए व ग्रामीण महिलाएं सिर पर पानी के घड़े लिये हुए जो राजस्थान का साधारण दृश्य है, व पर्यटकों को भिन्न भिन्न स्थानों का चित्र लेते हुए आदि दृश्य झांकी में चित्रित किये गये थे।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६५४ का उत्तर देखिये)

(अक्टूबर-सन् १९५६ से जनवरी सन् १९५८ तक की प्रगति का विवरण)

कृषि

१.	खाद के खड्डे	५२१
२.	हरी खाद	१७७ बीघा जमीन
३.	फर्टिलाइज़र	१८० मन
४.	नीव वितरण गेहूँ सी ५९१	७५.४७ मन
	रुई इन्दोर १	१३३ मन
	खरीफ बीज	५८ मन
५.	(१) समूची	११० एकड़
	(२) फर्श	३१० पौधे
६.	डिमोन्स्ट्रेशन प्लोटस	
	रबी १९५७	५७
	खरीफ १९५७	४१
	रबी १९५८	३४
७.	सुधरे औजार	८

पौधों की सुरक्षा

१.	कीटाणुओं एवं रोगो का उन्मूलन	१४०

सिंचाई

१.	नये कुएं	४१
२.	मरम्मत किये गये कुएं	६१
३.	पम्पिंग सैट	४
४.	उक्त साधनों से अतिरिक्त अधिक सिंचित क्षेत्र	३२२ एकड़

पशु पालन

१.	प्रजनन कार्य	३ साचोरी सांड वितरित किये गये।
२.	बधिया किये गये	६१ बैल
३.	रोग-मुक्त एवं टीके लगाये गए	५२३६ मवेशियों
४.	पशु चिकित्सा केन्द्र	१ (खारची)

भेड़ व ऊन

१	भेड़ व ऊन प्रदर्शनी	१

स्वास्थ्य एवं सफाई

१.	डिस्पेन्सरी	२ (खारची एवं अलना)
२.	स्वास्थ्य कोष में एकत्रित दान	५४८५) रु० २५ न० पै०

पीने के पानी की सुविधा

१.	पीने के पानी के कुओं का निर्माण	२८
२.	पीने के पानी के कुए निर्माणाधीन	३४
३.	कूए बनाने के लिये सरकारी सहायता	१७५५०) रु०
४.	जन–सहयोग	२२,३५०) रु०

शिक्षा

१.	स्कूल भवनों का निर्माण	५ ४३.०००) रु० की लागत के ये स्कूल भवन पूर्णतः जन–श्रम एवं धन से निर्मित हुये हैं।
२.	प्राइमरी स्कूल निर्माणाधीन	२० १५,०००) रु. सरकारी सहायता ४५.०००) रु. जन–सहयोग

समाज की शिक्षा

१.	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	४०
२.	सामुदायिक केन्द्र	४
३.	वाचनालय एवं पुस्तकालय	२१
४.	महिला मंडल	४
५.	युवा कृषक संगटन	१३
६.	विकास मेला एवं प्रदर्शनी	२०
७.	ग्राम मुखिया शिविर	५
८.	ग्राम मुखिया प्रशिक्षित किये गये	१६०

यातायात

१.	ग्राम–पथ प्रशस्त किया गया	४० पूर्णतः जनता द्वारा बनाया गया यह मार्ग अनुमानतः २०,०००) रु० की लागत का है।
२.	कच्ची सड़क	६ मील

सहकारिता

१.	सहकारी संस्थायें	३०
२.	सदस्य संख्या	१०३१

परिशिष्ट

अल्प बचत

१.	कुल एकत्रित धनराशि	९८,१०१) रु०

जन-सहयोग

१.	श्रम, एवं धन के रूप से प्राप्त जन-सहयोग	१,५५,०००) रु०

पंचायतें

१.	पंच एवं ग्राम मुखिया प्रशिक्षण	१६०
२.	विकास मण्डल	८०

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १८ मार्च, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३७८६	११	(अनुपस्थिति-कृपया आगे देखिये	(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)
३७८८	१६	कोई सहादत लेकर उपस्थित	कोई शहादत लेकर उपस्थित
३८०५	१४	ही, नहीं बल्क वे वहां पर	ही, नहीं बल्कि वे वहां पर
३८१०	१४	हिन्दी को राज्य भषा के	हिन्दी को राज्य भाषा के
३८१२	अन्तिम से ६	में समझता हूं	मैं समझता हूँ
३८१३	५	मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन	मुख्य मन्त्री जी से निवेदन
३८१४	६	श्री मोहनलाल सुखाडया	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
३८१६	३-४	लोग अंग्रेज दां हैं।	लोग अंग्रेजीदां हैं।
३८१८	१३	झांकी प्रतुत की गई थी ?	झांकी प्रस्तुत की गई थी ?
३८२३	अन्तिम	म का उद्योग बढ़ेगा।	लम का उद्योग बढ़ेगा।
३८२७	१५	पाली द्वरा सन्	पाली द्वारा सन्
३८३३	अन्तिम से ६	शिड्यूल्ड कास्ट औ शिड्यूल	शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल
३८४१	२	निश्चित आ या	निश्चित हुआ है या
३८४२	६	(अमिहित मूल्य)	(अभिहित मूल्य)
,,	अन्तिम से ३	द्वारा वास्तविक मूल्यन किये	द्वारा वास्तविक मूल्य न किये
३८४५	२	श्री रिखबचंद धरीवल	श्री रिखबचन्द धारीवाल
३८५४	११	बेचारों के खेतों के	बेचारों के खेतों को
३८५८	अन्तिम से ३	करें तो पैदा र बढ़ाना भी	करें तो पैदावार बढ़ाना भी
३८५६	अन्तिम से ८	तो इर्रिगेशन हो ाता है।	तो इर्रिगेशन हो जाता है।
३८६४	४	अन्दर ७० लल का एस्टीमेट	अन्दर ७० लाख का एस्टीमेट
,,	२१	सबसे ज्या।	सबसे ज्यादा
,,	अन्तिम से ७	भी कफी शिथिलता	भी काफी शिथिलता
,,	अन्तिम से ४	कोटा डिविझन और है,	कोटा डिविज़न और है,
३८६७	२२	इस वर्प किसी भी	इस वर्ष किसी भी
३८६८	२५	की परसनल प्रोर्टी	की पर्सनल प्रोपर्टी
३८६६	अन्तिम पंक्ति	सुपरिन्टेंडिग इन्जीनियर	सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर
३८७०	१६	आधार पर परकाश्तकारों	आधार पर काश्तकारों
३८७१	११	बाड नदी का	बाडी नदी का
३८७२	१३	योजना है उसरे सारे	योजना है उससे सारे
३८७३	१०	कारा सरकार उनसे	कारण सरकार उनसे
३८७६	२७	इस मेंट में सिर्फ	इस मद में सिर्फ

१	२	३	४
३८८४	६	ऐसी बातों र भी	ऐसी बातों पर भी
३८८८	६	जोतने के लिते बैल	जोतने के लिये बैल
३८६६	अन्तिम से ६	ज्यादा पेउत्ता की गई है।	ज्यादा उपेत्ता की गई है।
३६०८	२३	रिपोर्ट की ओर दिलाना	रिपोर्ट की ओर दिलाना
३६१६	१८	केनाल के मोघे ओर	केनाल के मोघे और
,,	अन्तिम से ५	इससे शादूर्ल नहर	इससे शादूल नहर
३६१६	८	के प्रस्ताव प्रस्तु हुए	के प्रस्ताव प्रस्तुत हुए
३६२२	७	सुरिद्वित बनादें	सुरत्तित बनादें
३६२४	३	मेरे सुभाव इस ओर	मेरे सुझाव इस ओर
३६२८	अन्तिम	एस्टीट्मेस	एस्टीमेट्स
३६३०	अन्तिम ६–७	आउट स्कर्ट्स के हाउस	आउट स्कट्स के हाउस
३६३६	अन्तिम से ७	**अनेक माननीय सस्य**	**अनेक माननीय सदस्य**
३६४७	५	I ams orry,	I am sorry
३६५७	१७–१८	गवर्नमेंट ने का शुरू किया	गवर्नमेंट ने काम शुरू किया
३६६१	२१	कही गई की कई	कही गई कि कई
३६७२	अन्तिम से ६	सोयशलिस्टिक गवर्नमेंट	सोश्यलिस्टिक गवर्नमेंट
३६७३	४	ये वर्क्स रेग्युनरटिव	ये वर्क्स रेम्युनिरेटिव
३६८४	२	(विश्वम्भरनाथ जोशी)	(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
,,	१३	म्युटेन्डस	म्युटेन्डिस
३६८७	१२	Sr.	Sir.
३६६४	अन्तिम से १	सब कट मोसन्स गिर गये।	सब कट मोशन्स गिर गये।
३६६५	अन्तिम से २	(तदन्तर सदन की बैठक	(तदुनन्तर सदन की बैठक
४०००	अन्तिम से १०	Official Langnage	Official Language
४००३	१३	६. डिमोन्ट्रेशन फ्लोटस	६. डिमोन्सट्रेशन फ्लोटस